शुक्रवार,
९ अप्रैल, १९५४

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—:o:—

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

शुक्रवार ९ अप्रैल, १९५४

सभा दो बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

कर्मचारी वर्ग सम्बन्धी आवश्यकताओं का पुनर्विलोकन

*१६९४. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या वित्त मंत्री] २२ दिसम्बर, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १२२७ के सम्बन्ध में दिये] गये उत्तर का निर्देश करके यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या विभिन्न मंत्रालयों की कर्मचारीवर्ग सम्बन्धी आवश्यकताओं का अवैयक्तिक पुनर्विलोकन करने के लिये नियुक्त की गई विशेष अधिकारी-मण्डली ने अपना काम पूरा कर लिया है ; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो इसकी महत्वपूर्ण सिफारिशें क्या हैं ?

वित्त उपमन्त्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) भारत सरकार की विभिन्न संस्थाओं की कर्मचारीवर्ग सम्बन्धी आवश्यकताओं का अवैयक्तिक पुनर्विलोकन करने के लिये नियुक्त की गई विशेष अधिकारी-मण्डली ने अभी तक खाद्य तथा कृषि मंत्रालय, सिंचाई तथा विद्युत और श्रम मंत्रालयों तथा उनसे संलग्न व अधीनस्थ कार्यालयों के सम्बन्ध में अपना काम पूरा किया है । इसके अतिरिक्त इसने लोक सेवा आयोग के कार्यालय, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के नौ कार्यालयों, संचार मंत्रालय तथा समुद्र पार संचार सेवा, डाक तथा तार विभाग के दस अधीनस्थ कार्यालयों, सड़क संस्था तथा परिवहन मंत्रालय के नौवहन तथा प्रकाशस्तम्भ विभाग के महानिदेशालय के सम्बन्ध में कार्य को समाप्त कर लिया है ।

(ख) इस विशेष मंडली की सिफारिशें मुख्यत: (१) कर्मचारीवर्ग के घटाने तथा (२) ऐसे मामलों में प्रक्रिया में सुधार करने से, जिनमें प्रयत्न का नाश या तथा श्रम का दोहरापन देखने में आया है, संबंधित हैं इस मण्डली के कुछ कार्यालयों के सम्बन्ध में अतिरिक्त राजस्व के साधनों के बारे में भी सुझाव दिये हैं ।

सरदार हुक्म सिंह : जिन मंत्रालयों का काम इन्होंने पूरा कर लिया है, उनके सम्बन्ध में कितने व्यय की बचत की इसने सिफारिश की है ?

श्री एम० सी० शाह : ऐसे मंत्रालयों के सम्बन्ध में उन्होंने ११६ लाख रुपये की

बचत की सिफारिशें की हैं । मंत्रालयों ने ४७·६६ लाख रूपये के सम्बन्ध में इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है । इनमें से २५·५२ लाख रुपये की बचत को कार्यान्वित कर दिया गया है ।

सरदार हुक्म सिंह : जहां तक मंत्रालयों तथा अधीनस्थ कार्यालयों में कर्मचारीवर्ग सम्बन्धी आवश्यकताओं का सम्बन्ध है उन्होंने कितने कर्मचारियों की छंटनी की सिफारिश की है ?

श्री एम० सी० शाह : मंत्रालयों तथा संलग्न कार्यालयों के सम्बन्ध में मेरे पास एक लम्बी सूची है ।

अध्यक्ष महोदय : वह उन व्यक्तियों की संख्या जानना चाहते हैं जिनकी छंटनी का विचार किया गया है ।

श्री एम० सी० शाह : मेरे पास यह सूचना नहीं है । मेरे पास प्रत्येक विभाग के सम्बन्ध में जितने रुपयों की बचत की सिफारिश की गई है, वह सूचना उपलब्ध है ।

सरदार हुक्म सिंह : अभी तक तीन मंत्रालयों तथा अधीनस्थ कार्यालयों के सम्बन्ध में काम पूरा हो चुका है, उनके सम्बन्ध में की गई सिफारिशों के अनुसार क्या राजस्व को बढ़ाने की दिशा में किसी राशि की सिफारिश की गई है ?

श्री एम० सी० शाह : मितव्ययता एकक ने कुछेक तरीकों का प्रासंगिक रूप से सुझाव दिया है तथा कहा है कि यदि उन संलग्न तथा अधीनस्थ कार्यालयों में इन तथा कुछ अन्य शुल्कों को बढ़ा दिया जाय तो ५२ लाख रुपये से ५६ लाख रुपये तक के राजस्व के मिलने की सम्भावना हो सकती है । सम्बन्धित मंत्रालय खाद्य तथा कृषि मंत्रालय और उसके संलग्न कार्यालय हैं ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या समस्त मंत्रालयों तथा अधीनस्थ मंत्रालयों के सम्बन्ध में कार्य के पूरा करने के लिये अपेक्षित समय का कोई अनुमान है, क्योंकि दो वर्ष हो चुके हैं तथा उन्होंने केवल चार के बारे में ही काम को पूरा किया है ?

श्री एम० सी० शाह : उन्होंने छः मंत्रालयों को देख लिया है तथा सातवें के सम्बन्ध में काम आरम्भ कर दिया है । उस एक मंत्रालय को छोड़कर, जो कि विचाराधीन है, १९ मंत्रालयों में से १२ मंत्रालय शेष हैं । इनमें से छः महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं तथा वे यथासम्भव काम को शीघ्रता से करने के प्रयत्न कर रहे हैं ।

बिहार में स्वर्ण निक्षेप

***१५६५. श्री झुलन सिन्हा :** क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के कुछ भागों में स्वर्ण के मिल सकने की सूचना मिली है ; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो क्या इसकी उपलब्धता के प्रकार तथा सीमा के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) तथा (ख). हां, श्रीमान् ।

श्री झूलन सिन्हा : क्या सर्वेक्षण का परिणाम सम्बन्धित राज्य सरकारों को भेज दिया गया है ?

श्री के० डी मालवीय : सर्वेक्षण कुछ समय से हो रहा है । स्वर्ण के विद्यमान होने की विस्तृत सूचना "दामोदर घाटी तथा पार्श्ववर्ती क्षेत्रों के खनिज पदार्थ तथा औद्योगिक विकास में उनका प्रयोग"

नामक अनुसन्धान लेख में दिया गया है। इसके लेखक श्री वी० आर० खेदकर हैं। महत्वपूर्ण स्थान जिनमें स्वर्ण का सर्वेक्षण किया गया है, संजल नदी, मोना नदी, सुवर्ण रेखा आदि हैं।

श्री झूलन सिन्हा : क्या सम्बन्धित राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों में स्वर्ण साधनों की खोज के लिये कोई उपाय कर रही हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : मेरे पास जो सूचना है, उसके अनुसार कुछ समय से प्रयत्न हो रहे हैं तथा समवाय बनाये गये हैं। वे वहां पर उपलब्ध सोने की खोज करने के प्रयत्न करती रही हैं। इस बारे में राज्य-सरकारों की क्रियाशीलता के मामले में मेरे पास कोई अन्तिम सूचना उपलब्ध नहीं है।

श्री मेघनाद शाहा : क्या सोने की उपलब्धि इस प्रकार की है कि किसी संस्था की स्थापना एक मितव्ययी योजना सिद्ध होगी ?

श्री के० डी० मालवीय : इस बारे में कुछ सीमा तक विस्तृत खोज कि जाने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। विस्तृत सर्वेक्षण तथा खोज के सम्बन्ध में हम एक योजना पर सक्रिय रूप से विचार कर रहे हैं।

विश्व विद्यालय अनुदान आयोग

***१६९६. श्री एस० एन दास** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनदान आयोग ने अपना काम आरम्भ कर दिया है ;

(ख) क्या उन्होंने कोई योजना तथा कार्यक्रम तैयार किया है ;

(ग) क्या विश्वविद्यालयों को तदर्थ अनुदान देने के प्रश्न पर विचार किया गया है ; तथा

(घ) यदि ऐसा है, तो इसकी सिफारिशें क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अपना कार्यक्रम बना रहा है।

(ग) तथा (घ). एक विवरण जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान अयोग द्वारा स्वीकृत सहायता अनुदानों (जिनमें तदर्थ अनुदानों का वृत्तांत भी शामिल है) का वर्णन है, सदन पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या १]**

श्री एस० एन० दास : क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नियुक्ति के समय से लेकर इस आयोग के कार्यक्षेत्र को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग द्वारा प्रस्तावित स्तर तक लाने के लिये किसी सीमा तक बढ़ाया गया है ?

डा० एम० एम० दास* : आयोग के कार्यक्षेत्र में वृद्धि करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि आयोग की स्थापना विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिश के अनुसार की गई थी।

श्री एस० एन० दास : क्या इस विचार से कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने एक विभिन्न प्रकार के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना का सुझाव दिया था, सरकार ने इस आयोग के बारे में विश्व-

*यह उत्तर बाद में सभासचिव द्वारा दिनांक ९-४-५४ के वाद-विवाद भाग १ के पृष्ठ भाग २२३१ के अनुसार कथा गया।

विद्यालय शिक्षा आयोग की विभिन्न सिफारिशों पर विचार किया है ?

डा० एम० एम० दास : माननीय सदस्य को स्मरण होगा कि इस आयोग की नियुक्ति से पहले विश्वविद्यालय अनुदान समितियां थीं तथा इस आयोग को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग द्वारा रिपोर्ट के प्रस्तुत किये जाने के बाद ही नियुक्त किया गया था । इस आयोग को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिशों के अनुसार ही नियुक्त किया गया है ।

श्री एस० एन० दास : क्या सभा-सचिव को विदित है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के विभिन्न कृत्यों के सम्बन्ध में क्या सुझाव दिये थे तथा इस आयोग को इस समय एक सीमित क्षेत्र सहित नियुक्त किया गया है ?

डा० एम० एम० दास : जहां तक मुझे विदित है हाल में नियुक्त किये गये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्र को सीमित नहीं किया गया है ।

श्री मेघनाद साहा : क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सभापति सारा समय काम करने वाले अधिकारी हैं या केवल कुछ समय के ?

डा० एम० एम० दास : वह इस आयोग के सभापति हैं तथा उन्हें किसी दूसरे मंत्रालय में भी कुछ और काम करना पड़ता है ।

श्री सी० आर० चौधरी : क्या विश्वविद्यालयों को दिये गये अनुदानों से सम्बद्ध महाविद्यालयों को भी लाभ पहुंचाने का विचार किया गया है ?

डा० ऐम० एम० दास : अनुदान दो प्रकार के हैं । जहां तक केन्द्रीय सहायता से चलने वाले विश्वविद्यालयों का सम्बन्ध है, इन्हें संधारण अनुदान कहा जाता है । विभिन्न विश्वविद्यालय इन अनुदानों का विश्वविद्यालय के बनाये रखने में प्रयोग कर सकते हैं । जहां तक राज्यों की सहायता से चलने वाले विश्वविद्यालय का सम्बन्ध है, इन्हें विशेष योजनाओं के लिये दिया जाता है ।

श्री जेठालाल जोशी : क्या उपनिवेशों या विदेशों में कोई भारतीय विश्वविद्यालय है, तथा यदि ऐसा है, तो क्या ऐसे विश्वविद्यालयों को अनुदान देने की कोई सिफारिश है ?

डा० एम० एम० दास : सदन पटल पर रखे गये विवरण में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान प्राप्त करने वाले विश्वविद्यालयों के नाम दिये गये हैं । माननीय सदस्य द्वारा वर्जित प्रकार के किसी विश्वविद्यालय का नाम मुझे इस सूची में नहीं मिलता है ।

श्री मेघनाद साहा : क्या माननीय मंत्री को विदित है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिशों के अनुसार सभापति का पद एक सारे समय का पद होना चाहिये ?

डा० एम० एम० दास : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना पिछले वर्ष नवम्बर मास के मध्य में की गई थी तथा सम्भव है कि सभी बातों को अभी तक पूरा न किया गया हो ।

ढलाई करने वालों को प्रशिक्षण केन्द्र खड़गपुर

*१६९७. **श्री के० पी० सिन्हा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि भारतीय टेकनोलाजी संस्था, खड़गपुर में ढलाई करने वालों का एक प्रशिक्षण केन्द्र खोला जायगा ;

(ख) इस में कितने प्रशिक्षार्थी एक साथ लिये जा सकेंगे ; तथा

(ग) प्रवेश के लिये क्या अर्हताएं निश्चित की गई हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा एम० एम० दास): (क) से (ग). ढलाई करने वालों की ट्रेनिंग प्रयोजना के अन्तर्गत प्रथम पाठ्य-क्रम इस संस्था में शुरू हुआ है । इस परियोजना के अन्तर्गत लगभग बीस बीस प्रशिक्षार्थी तीन तीन महीने के अल्पकालीन पाठ्यक्रम में शामिल होंगे । प्रवेश मूलतः उन ढलाई करने वालों के लिये होगा जो कि भारत की सुस्थापित् फाऊंडरियों तथा सरकारी टेक्निकल संस्थाओं की ओर से भेजे जायेंगे।

श्री के० पी० सिन्हा : क्या खड़गपुर के अलावा और भी किसी जगह ऐसा केन्द्र खोलने का विचार है ?

डा० एम० एम० दास : हां, श्रीमान् । एक प्रस्थापना यह भी है कि इस तरह की एक और संस्था अथवा इसकी एक शाखा भारतीय विज्ञान संस्था, बंगलौर में खोली जाये ।

श्री के० पी० सिन्हा : इस समय तक कुल कितने छात्र दाखिल किये गए हैं तथा क्या इन में से कोई विदेशी भी है ?

डा० एम० एम० दास : प्रथम पाठ्यक्रम के लिये २३ छात्र दाखिल किये गए हैं । मुझे यह मालूम नहीं कि क्या किसी विदेशी को भी दाखिल किया गया है अथवा नहीं ।

श्री मुनिस्वामी : क्या यह सत्य है कि इस संस्था का उपकरण बिना किसी लागत के विदेशों ने दिया है तथा यदि दिया है तो किस सीमा तक ?

डा० एम० एम० दास : अमरीकी टेक्निकल सहकारिता आयोग ने एक फाऊंडरी टेकनोलोजी विशारद भेजना मान लिया था तथा वह आ भी गया है और उसकी देखरेख में इस विभाग का काम शुरू किया गया है । इस टेक्निकल आयोग ने आवश्यक उपकरण प्रदाय करना भी मान लिया है ।

लुके छिपे लाया गया सोना

***१६९९. श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सीमाशुल्क अधिकारियों ने (१) १९५३ में तथा (२) १९५४ में १५ फरवरी तक कुल कितना तथा कितने मूल्य का लुके छिपे लाया गया सोना ज़ब्त किया है;

(ख) इस सोने का कैसे निवारण किया जाता है;

(ग) कहां से यह सोना लुके छिपे लाया जा रहा था ;

(घ) इस में कितने व्यक्ति ग्रस्त थे ; तथा

(ङ) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या २**]

(ख) 'कारण-बताने' का नोटिस देने के बाद यदि सोना समुद्र सीमाशुल्क अधिनियम के अन्तर्गत ज़ब्त करने योग्य हो तो इसे या तो सीधे ज़ब्त किया जाता है या मालिक को यह विकल्प दिया जाता है कि वह जुरमाना देकर इसे वापस ले सकता है, यदि वह रिज़र्व बैंक आफ इंडिया से अनुमति का एक प्रमाणपत्र प्राप्त करे । अन्यथा यह इसके मालिक को वापस दिया जाता है । यदि सोना सीधे ज़ब्त किया जाय अथवा यदि मालिक को यह विकल्प स्वीकार न हो कि वह निश्चित समय के अन्दर ज़ब्ती के ेे में निश्चित किया गया जुर्माना अदा

करेगा तो यह सोना टकसाल भेज दिया जाता है।

(ग) फारस की खाड़ी, पूर्वी अफ्रीका, सिंगापुर, भारत की पुर्तगाली तथा फ्रांसीसी बस्तियों आदि से भारत में लुके छिपे सोना लाने की घटनायें देखने में आई हैं ?

(घ) उल्लिखित कालावधि में कुल ६३४ व्यक्ति इन घटनाओं में ग्रस्त थे।

(ङ) सोने की ज़ब्ती के अलावा कुछ अपराधियों को जुर्माने का भी दंड दिया गया तथा कुछेक अपराधियों पर विदेशी विनिमय विनियम अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा चलाया गया।

श्री एम० एल० द्विवेदी : इस ५० लाख रुपये के सोने में से कितना सोना नई किस्म की वैज्ञानिक मशीन जो कि हर सीमा शुल्क चौकी पर रखी गई है, की सहायता से पकड़ा गया है ?

श्री ए० सी० गुहा : मेरे पास कोई निश्चित सूचना नहीं परन्तु मेरा विचार है कि इस सोने का अधिक भाग उस मशीन की सहायता से नहीं पकड़ा गया है। लगभग सारी मात्रा पुराने तरीकों से पकड़ी गयी है।

श्री एम० एल० द्विवेदी : भारत भर की विभिन्न पड़ताल चौकियों पर इस प्रकार के उपकरण लगवाने पर भारत सरकार ने कितना धन खर्च किया है ?

श्री ए० सी० गुहा : मुझे इस के लिये पूर्व सूचना चाहिये।

श्री के० सुब्रह्मण्यम् : सोने की मात्रा तथा ग्रस्त व्यक्तियों की संख्या के सम्बन्ध में १९५३ की तुलना में १९५२ में आंकड़े क्या क्या थे ?

श्री ए० सी० गुहा : मेरे पास १९५२ के आंकड़े नहीं हैं।

श्री बूबराघसामी : क्या मैं जान सकता हूं कि कितनी बार सोना पकड़ा गया तथा क्या किसी व्यक्ति ने एक से अधिक बार लुके छिपे सोना लाया है ; और ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध क्या अतिरिक्त कार्यवाही की गई है जिन्हों ने कि एक से अधिक बार सोना लुके छिपे लाया है ?

श्री ए० सी० गुहा : यह सूचना भी मेरे पास नहीं है। मेरे पास केवल यह सूचना है कि कितने व्यक्ति ग्रस्त हैं।

श्री जोकीम आल्वा : क्या इस वर्ष सीमा शुल्क पाबन्दियों को सख्त करने के परिणामस्वरूप तथा गोआ में राजनीतिक गड़बड़ के कारण उत्तरी कनारा तथा बेलगांव की सीमाओं की निगरानी कड़ी कर देने के परिणामस्वरूप लुके छिपे सोना लाने की घटनाओं में विशेष कमी हुई है ?

श्री ए० सी० गुहा : देखरेख की व्यवस्था दृढ़ करने से लुके छिपे सोना लाने की घटनाओं में मेरे विचार में कमी हुई है। इसका एक कारण यह भी है कि फ्रांसीसी बस्तियों में सोने की कीमत लगभग वही है जोकि भारत में है तथा इसलिये वहां से लुके छिपे सोना यहां लाना लोगों के लिए लाभकर नहीं।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या मैं जान सकता हूं.....

अध्यक्ष महोदय : अब मैं अगले प्रश्न को लेता हूं।

अंडमान तथा नीकोबार द्वीप

*१७००. **श्री विभूति मिश्र** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत किन किन राज्यों से कृषक परिवार बसने के लिए अंडमान तथा निकोबार चले गए हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत अंडमान में

बस जाने के लिए जो कृषक परिवार वहां गए हैं वह पश्चिम बंगाल तथा त्रावणकोर-कोचीन राज्यों से लिए गए हैं।

श्री विभूति मिश्र : और जगह से कोई जाय तो उनको बसाने की सुविधा सरकार दे सकती है ?

श्री दातार : हमारी अपनी परियोजना के अन्तर्गत वहां जितने भेजे जा सकते हैं हम उन्हें भेजना चाहते हैं।

श्री विभूति मिश्र : जब वहां कोई बसने के लिये जाता है तो उसको सरकार कौन सी सुविधा देती है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि यह प्रश्न यहां पर बार बार पूछा गया है।

केन्द्रीय खाद्य टेक नोलोजी गवेषणा संस्था

*१७०१. **श्री एन० राचय्या** : क्या **प्राकृतिक ससाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या केन्द्रीय खाद्य टेकनोलोजी गवेषणा संस्था के लिए सरकार ने कोई सलाहकार समिति नियुक्त की है ;

(ख) यदि की है, तो इसके सदस्यों के नाम क्या हैं ;

(ग) यह कब बनाई गई थी ; तथा

(घ) क्या इस समिति की सामायिक बैठकें हुआ करती हैं ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) से (घ) . सूचना देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ३]**

श्री एन० राचय्या : क्या इस संस्था में नियुक्तियां इसी समिति के निदेश से हुआ करती हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : नियुक्तियां साधारणत: इस संस्था के संचालक द्वारा ही की जाती हैं।

श्री एन० राचय्या : इस समिति का सेवाकाल क्या है ?

श्री के० डी० मालवीय : मैं समझता हूं कि वह इस समिति के कृत्य जानना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में वह कालावधि जानना चाहते हैं।

श्री एन० राचय्या : मैं जानना चाहता हूं कि यह समिति कितने समय के लिए नियुक्त की गई है।

श्री के० डी० मालवीय : यह समिति मैसूर के मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में अप्रैल १९५३ में नियुक्त की गई थी। समिति के दूसरे सदस्य डाक्टर एस० एस० भटनागर, डा० डी० वी० करमरकर, डा० के० राजगोपाल, डा० ए० नागराज राव, श्री शंकरय्या, श्रीमती सुनंदमा, जो कि खाद्य उद्योगों से सम्बन्धित एक उद्योग की मालिक हैं, तथा डा० वी० सुब्रह्मण्यम जो इस संस्था के संचालक हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि यह समिति कितने समय के लिए नियुक्त की गई है।

श्री के० डी० मालवीय : यह तीन वर्ष के लिये होगी।

श्री मुनिस्वामी : क्या सरकार को मालूम है कि इस संस्था के बहुत से परिणाम धनाभाव के कारण प्रयोग में नहीं लाए गए हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : नहीं, श्रीमान् मुझे इसकी जानकारी नहीं।

कृत्रिम वर्षा

*१७०२. **श्री विश्वनाथ रेड्डी :** क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नई दिल्ली में बादलों की रचना और उन्हें आकाश में आच्छादित करने के लिये प्रयोग करने का निर्णय किया गया है ; और

(ख) क्या क्षेत्रीय प्रयोग भी किये जायेंगे ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) कैन्द्रीय वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् क्षेत्रगत प्रयोग करने का विचार रखती है।

श्री विश्वनाथ रेड्डी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या अगले मानसून में क्षेत्रगत प्रयोग किये जायेंगे और यदि हां, तो क्या बहुधा सूखे रहने वाले भागों में उक्त प्रयोगों को प्राथमिकता दी जायेगी।

श्री के० डी० मालवीय : केन्द्रीय वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा बोर्ड और वायुमंडल गवेषणा समिति की राय में क्षेत्रगत कार्य करने के पहले बादलों की सृष्टि तथा वर्षा उत्पत्ति के संबन्ध में पर्याप्त मात्रा में मूल अनुसंधान करना शेष है, लेकिन इसके बाद शीघ्र ही बादलों के जल तत्व तथा अन्य वस्तुओं की जांच के सम्बन्ध में क्षेत्रगत कार्य करने का विचार है।

श्री विश्वनाथ रेड्डी : मैं जानना चाहता हूं कि राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में जो प्रयोग किये जा रहे हैं वे आस्ट्रेलिया में किये जा रहे प्रयोगों के मार्ग पर ही हैं अथवा उनसे विभिन्न मार्गों पर हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में अभी तक कोई यथार्थ काम नहीं हुआ है। केन्द्रीय औद्योगिक तथा वैज्ञानिक गवेषणा परिषद् द्वारा नियुक्त समिति ने कुछ सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। उनमें एक सिफारिश यह है कि कतिपय प्राविधिक मामलों के सम्बन्ध में प्रयोगशाला के भीतर प्रयोग किया जाना चाहिये जिनका मेरे लिये यहां उल्लेख करना आवश्यक नहीं है। ज्योंही कुछ क्षेत्रगत कार्य के साथ साथ मूल जांच हो जायेगी हम इस सम्बन्ध में वास्तविक कार्य करने के लिये क्षेत्र में जा सकते हैं।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इसका सफल एक्सपेरीमेंट किसी और देश में भी हुआ है या नहीं ?

श्री के० डी० मालवीय : जो सूचनाएं हमें प्राप्त हैं उनसे मालूम होता है कि अमरीका में और आस्ट्रेलिया में इस सम्बन्ध में काम हुआ है और यह भी कि वहां पर सफलता मिली है पर कितनी सफलता मिली है इसके बारे में कुछ सन्देह है।

श्री बल्लाथरास : प्रथम नियमित प्रयोगों में कितना समय लगेगा ?

श्री के० डी० मालवीय : मैं कुछ नहीं कह सकता।

रबड़ अनुसंधान संस्था

*१७०३. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पूना में रबड़ अनुसंधान संस्था की स्थापना के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) उक्त प्रस्ताव के प्रति रबड़ निर्माता संस्था की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) और (ख). रबड़ निर्माताओं के परामर्श से वैज्ञानिक और औद्योगिक गवेषणा परिषद् द्वारा भारत में रबड़ उद्योग के लिये एक अनुसंधान संस्था बनाने के प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

श्री एस० सी० सामन्त : प्रश्न के भाग (ख) के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी ने यह नहीं बताया कि इस प्रस्ताव के प्रति रबड़ निर्माता सन्था की क्या प्रतिक्रिया हुई है ।

श्री के० डी० मालवीय : प्रारम्भ में रबड़ निर्माताओं की कलकत्ता सन्था की ओर से एक परियोजना प्रस्तावित की गई थी जिसे बम्बई की सन्था ने स्वीकार नहीं किया । बाद में बम्बई सन्था से उनकी अपनी परियोजना रखने के लिये कहा गया । उन्होंने कुछ प्रस्ताव रखे जिनका राष्ट्रीय रासायनिक गवेषणा प्रयोगशाला, पूना के निदेशक द्वारा परीक्षण किया गया लेकिन चूंकि बम्बई और कलकत्ता की दो सन्थाओं में अभी भी कुछ अन्तर था राष्ट्रीय रासायनिक गवेषणा प्रयोगशाला के निदेशक से अपनी परियोजना तैयार करने के लिये कहा गया और उस योजना पर अब दोनों सन्थाओं की ओर से विचार किया जा रहा है।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जानना चाहता हूं कि क्या पूना में संस्था की स्थापना अधिक मितव्ययी सिद्ध होगी ;

श्री के० डी० मालवीय : वर्तमान सिफारिशों से यही संकेत मिलता है ।

श्री एस सी० सामन्त : मैं जानना चाहता हूं कि क्या खड़गपुर संस्था म वर्तमान में चलने वाला रबड़ टेक्नोलोजी का रिफ्रेशर कोर्स प्रस्तुत गवेषणा में सहायक होगा ?

श्री के० डी० मालवीय : मेरे पास जानकारी नहीं है ।

श्री केल्लप्पन : क्या रबड़ उत्पादन करने वाले क्षेत्र में संस्था आरम्भ करने का प्रस्ताव है ?

श्री के० डी० मालवीय : अभी तो सरकार जिस प्रस्ताव पर विचार कर रही है वह पूना में संस्था स्थापित करने से सम्बंधित है ।

मणिपुर राज्य बैंक

*१७०४. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **वित्त मंत्री** बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार मणिपुर राज्य बैंक को बन्द करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त राज्य की जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिय सरकार का किसी अनुसूचित बैंक की शाखा स्थापित करने का विचार है; और

(ग) क्या सरकार ने गत वर्ष मणिपुर राज्य बैंक के हिसाब की नियन्त्रक महालेखा परीक्षक से लेखापरीक्षा कराई थी ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) प्रश्न विचाराधीन है ।

(ख) ग्राम महाजनी जांच समिति के अनुसार इम्पीरियल बैंक आफ इण्डिया ने इम्फाल में शाखा खोलना स्वीकार कर लिया है ।

(ग) आसाम के सामान्य लेखा परीक्षक ने बैंक के हिसाब की सामान्य जांच की थी ।

कोरिया में क्षेत्रीय चिकित्सा टुकड़ी

*१७०५. **श्री एल० जोगेश्वर सिंह** : क्या **रक्षा** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय क्षेत्रीय चिकित्सा टुकड़ी के साथ कोरियाई मंच पर सेवा करने वाले समस्त भारतीयों को उनके कार्य की प्रशंसा स्वरूप भारत सरकार उन्हें उपयुक्त पदक प्रदान करने का विचार रखती है ?

(ख) यदि हां, तो उक्त पुरस्कार का विस्तृत ब्यौरा क्या है; और

(ग) किस समय तक इस कार्य के होने की आशा की जाती है ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) से (ग) कोरियाई मंच पर सेवा करने के लिये विशेष पदक नियुत करने का प्रस्ताव नहीं है । २८ जुलाई, १९५३ को जारी की गई अधिसूचना के अधीन भारत के बाहर सेवा करने वाले सामान्य सेवा पदक १९४७ के साथ साथ 'ओवरसीज़ क्लास्प' पहन सकते हैं । अवधि आदि के सम्बंध में अर्हता शर्तें क्षेत्र के प्रत्येक कार्य के लिये सरकार द्वारा निर्धारित कर दी गई हैं ।

भारतीय क्षेत्रीय चिकित्सा टुकड़ी के जिन कर्मचारियों ने कोरियाई मंच पर सेवा की थी वह 'ओवरसीज़ क्लास्प' धारण करने के अधिकारी हैं । कोरियाई युद्धक्षेत्र में सेवा करने के लिये 'ओवरसीज़ क्लास्प' प्रदान करने के सम्बन्ध में अर्हता शर्तों की जांच सरकार द्वारा की जा रही है, और शीघ्र ही उनकी घोषणा होने की आशा की जाती है ।

श्री एल० जोगेश्वर सिंह : कोरिया जाने वाले कितने भारतीय इस पुरस्कार के पात्र हैं ?

श्री सतीश चन्द्र : यह अन्तिम रूप से तै नहीं किया गया है । विस्तृत रूपरेखा निर्धारित की जा रही है जिन्हें उचित समय में घोषित कर दिया जायगा ।

श्री एल० जोगेश्वर सिंह : क्या सरकार उन भारतीय सैनिकों को भी ठीक ऐसे ही उपयुक्त पदकों से विभूषित करना चाहती है जिन्होंने तटस्थ राष्ट्र प्रत्यावर्तन आयोग के साथ कोरिया के युद्धक्षेत्र में सेवा की है ?

श्री सतीश चन्द्र : मेरा विचार है कि भारत के बाहर सेवा करने वाले समस्त सैन्य कर्मचारियों को इस क्लास्प के लिये जांचा जायेगा । लेकिन यह विषय विचाराधीन है ।

कोलम्बो योजना सम्मेलन

*१७०६. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री १९५३ में नई दिल्ली में कोलम्बो योजना सम्मेलन के लिये आये हुए प्रतिनिधियों की रेल यात्रा का व्यय बताने की कृपा करेंगे ?

वित्त मंत्री के सभासचिव (श्री बी० आर० भगत) : ४४,७१९ रुपये ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या यह सच है कि हमारे बांध क्षेत्रों में इन प्रतिनिधियों को यात्रा कराने के लिये भारत की विभिन्न रेलों से श्रेष्ठ सेलून मंगाये गये थे ?

श्री बी० आर० भगत : वहां कोई भी सेलून नहीं था । एक पर्यटक गाड़ी थी ।

अलीपुरद्वार का भू-सीमाशुल्क कार्यालय

*१७०८. **श्री कथम** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पश्चिमी बंगाल स्थित अलीपुरद्वार का भू-सीमाशुल्क कार्यालय बन्द कर दिया है ;

(ख) यदि किया है, तो इसके कारण क्या हैं ;

(ग) क्या प्रभावित व्यापारियों से इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(घ) यदि मिला है, तो क्या सरकार उक्त कार्यालय को पुनः खोलना चाहती है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) और (ख). इस समय अलीपुरद्वार को औपचारिक रूप से भू-सीमाशुल्क स्टेशन घोषित नहीं किया गया है, किन्तु इसके बावजूद भी विशेष रूप से इस स्थान पर व्यापारियों को सीमाशुल्क की अदायगी की रसीदें दी जा रही हैं ।

(ग) जी हां । जिस समय सीमाशुल्क की अदायगी की रसीदें थोड़ी अवधि के लिये नहीं दी गई थीं, उस समय हमारे पास अभ्यावेदन पहुंचा था ।

(घ) कार्यालय को फिर से खोला गया है, किन्तु कार्यालय रखे जाने का प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री बर्मन: कार्यालय रखे जाने के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब होगा ?

श्री ए० सी० गुहा: मैं तो बता चुका हूं कि यह मामला विचाराधीन है, और मेरा विचार भी है कि शीघ्र ही इस सम्बन्ध में निर्णय भी होगा ।

दिल्ली के भाषा पढ़ाने वाले अध्यापक

*१७०९. **श्री राधा रमण**: क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या दिल्ली के शिक्षा निदेशालय को कोई पत्र भेजा गया था कि वह भाषा पढ़ाने वाले अध्यापकों के वेतन-स्तरों में परिवर्तन करे; और

(ख) यदि भेजा गया था, तो क्या उस पर कोई कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) नहीं, श्रीमान् । हां दिल्ली राज्य सरकार को चिट्ठी भेजी गई थी ।

(ख) समझा जाता है कि दिल्ली राज्य सरकार इस पर कार्यवाही कर रही है ।

श्री राधा रमण: सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

डा० एम० एम० दास: केन्द्रीय सरकार अथवा दिल्ली राज्य सरकार ?

अध्यक्ष महोदय: सभा-सचिव तो केन्द्रीय सरकार की ओर से ही उत्तर दे सकते हैं ।

श्री राधा रमण : क्या सरकार को मालूम है कि दिल्ली राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है ?

अध्यक्ष महोदय: मुझे मालूम नहीं कि यह विषय राज्य सरकार के अधीन है या नहीं । माननीय सदस्य किस बात की जानकारी चाहते हैं ?

श्री राधा रमण : केन्द्रीय सरकार ने भाषा के अध्यापकों के वेतन-स्तर के सम्बन्ध में राज्य सरकार को कोई पत्र भेजा है । इसी प्रश्न के उत्तर में शुरू में यह भी बताया गया कि कोई भी पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, किन्तु इस मामले में कार्यवाही की जा रही है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उस कार्यवाही के सम्बन्ध में जानती है ।

डा० एम० एम० दास: खेद है कि मैं ठीक से माननीय सदस्य की बात को सुन नहीं पाया । मैं ने कहा था कि इस सम्बन्ध में दिल्ली के शिक्षा विभाग को नहीं अपितु दिल्ली राज्य सरकार को चिट्ठी भेजी गई थी और राज्य सरकार ने दिल्ली के शिक्षा विभाग को वह चिट्ठी भेजी है ।

श्री राधा रमण: अभी भी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उस चिट्ठी का विषय जानती है, और क्या वह यह भी जानती है कि दिल्ली राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ।

डा० एम० एम० दास: अंग्रेज़ी भाषा को छोड़ कर अन्य भाषाओं के अध्यापकों की पर्याप्त निम्नतम योग्यता और उनको नये स्तर से वेतन दिये जाने के सम्बन्ध में ही वह चिट्ठी थी । दिल्ली राज्य सरकार ने ही यह वेतन-स्तर लागू किया है । किन्तु अभी हाल में, उस चिट्ठी की किसी विशेष बात पर उन्हें कुछ संदेह था, और इसलिए उन्होंने केन्द्रीय सरकार को उस बात का हवाला दिया था । केन्द्रीय सरकार उस विशेष बात पर विचार कर रही है । जहां तक पत्र की अन्य बातों का सम्बन्ध है, दिल्ली राज्य सरकार ने उनको कार्यान्वित किया है ।

सांस्कृतिक छात्रवृत्तियां

*१७१२. **डा० रामा राव**: (क) क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सांस्कृतिक क्षेत्रों में काम करन वाले युवक कर्मचारियों के निमित्त १९५४-५५ के लिए छात्रवृत्तियां दी गई हैं ?

(ख) क्या इन छात्रवृत्तियों को दिये जाने के कुछ नियम हैं ?

(ग) इन दी गई छात्रवृत्तियों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री के **सभा-सचिव** (**डा० एम० एम० दास**) : (क) अभी नहीं ।

(ख) ये छात्रवृत्तियां उन प्रतिभाशाली कलाकारों के लिए हैं जो आयु में ३५ वर्ष से अधिक न हों और जिन्होंने अपनी पसन्द के क्षेत्र में इतनी कुशलता प्राप्त की हो कि उनसे भविष्य में किसी प्रतिभाशाली कृति की आशा हो ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

डा० रामा राव : उन संस्थाओं के नाम क्या हैं जिन के माध्यम से इन छात्रवृत्तियों को दिये जाने का विचार किया जा रहा है ?

डा० एम० एम० दास: ये छात्रवृत्तियां किसी भी संस्था को नहीं दी जाएंगी । ये तो अलग अलग क्षेत्रों के प्रतिभाशाली युवकों को दी जाएंगी ।

भारतीय नौसेना

*१७१४. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) ब्रिटिश नौकाधिकरण से ऋण पर लिये गये भारतीय नौसेना के 'गोदावरी,' 'गोमती'तथा 'गंगा' नामक पोत हमारे समुद्रों में कब आये थे ; तथा

(ख) क्या इन पोतों का भार अपने पर लेने के लिए हमारे पास पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षण पदाधिकारी तथा नाविक हैं ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) ये पोत भारत में २८ सितम्बर, १९५३ को पहुंचे थे ।

(ख) जी हां ।

सरदार हुक्म सिंह: क्या हमारे पास ऋण पर लिये गये यही विध्वंसक पोत हैं अथवा हमारे पास अपने भी कोई विध्वंसक पोत हैं ?

श्री सतीश चन्द्र : हमारे पास अपने भी कई और विध्वंसक पोत हैं ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या इन पोतों को ऋण पर लेते समय हमने इनकी ब्रिटिश समुद्रों में मरम्मत आदि कराने पर कोई व्यय किया था ?

श्री सतीश चन्द्र : हमने इन पोतों को भारत लाने से पहले इनकी मरम्मत तथा आधुनिकीकरण पर कुछ व्यय किया था ।

कुमारी एनी० मस्करीन : इन पोतों की मरम्मत पर कितना व्यय किया गया था ?

श्री सतीश चन्द्र : तीन पोतों के सम्बन्ध में यह राशि ११७ लाख रुपये थी ।

श्री जोकीम अल्वा : क्या एच० एम० एस० 'नाइजेरिया' पोत खरीदा जा रहा है क्या इन पोतों के पदाधिकारी यहां से उसे लाने के लिए जायेंगे ?

श्री सतीश चन्द्र : ये पोत तो पहले से ही हमारे पास हैं । 'नाइजेरिया' के मिलने में कुछ समय लगेगा । यहां लाये जाने से पहले इसकी मरम्मत आदि होगी । इसमें कुछ समय लगेगा । भारत से कुछ पदाधिकारी तथा नाविक इसे लेने जायेंगे । यह हमारे अपने नौसेना के पोतों से होंगे ।

तम्बाकू शुल्क (बिहार)

***१११५. श्री झूलन सिन्हा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५२-५३ में बिहार में तम्बाकू शुल्कों से कुल कितनी आय हुई थी ; तथा

(ख) उस क्षेत्र में प्रशासन व्यवस्था पर कितना व्यय हुआ था ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) (क) तथा (ख) । सन् १९५२-५३ में बिहार राज्य से एकत्र किये गये केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की राशि ३०४ लाख रुपये थी । उसी वर्ष में इस शुल्क के एकत्र करने में १७ लाख रुपये का व्यय किया गया था ।

श्री झूलन सिन्हा : क्या इस १७ लाख रुपये की राशि में केन्द्रीय प्रधान कार्यालय का व्यय भी शामिल है ?

श्री ए० सी० गुहा : यह व्यय पटना संग्रह-कार्यालय (कलक्ट्रेट) पर किया गया था तथा इसमें क्षेत्र-कार्य पर नियुक्त अधिकारियों का वेतन भी शामिल है ।

श्री **झूलन सिन्हा** : क्या इस राज्य में पिछले वर्ष की अपेक्षा तम्बाकू की खेती वाले क्षेत्र में इस वर्ष कोई वृद्धि हुई है, तथा क्या इस आंकड़े में अनाज की खेती से हटाई गई कोई भूमि भी शामिल है ?

श्री ए० सी० गुहा : मेरे पास यहां यह आंकड़े नहीं हैं ।

भारत का विदेशी व्यापार

***१७१६. श्री एस० एन० दास** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को भारत के विदेशी व्यापार में गैर-भारतीयों को दलाली के सम्बन्ध में कमीशन तथा बीमे के रूप में दी गई राशि के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त है; तथा

(ख) धन के इस निकास के लिये कौन से तथ्य उत्तरदायी हैं ?

वित्त मंत्री के सभा-सचिव (श्री बी० आर० भगत) : (क) तथा (ख) । सरकार को कोई सूचना प्राप्त नहीं है, परन्तु क्योंकि परिवहन तथा बीमा व्यापार का अधिकांश भाग विदेशियों के हाथ में है तथा विदेशी व्यापार के एक बड़े भाग के गैर-भारतीय बैंकों द्वारा दिये जाने के कारण इस मद पर गैर-भारतीयों को काफ़ी धन दिया जा रहा होगा ।

श्री एस० एन० दास : क्या इस राशि को ज्ञात करने के लिए सरकार कोई प्रयत्न कर रही है ?

श्री बी० आर० भगत : जहां तक भाड़ों तथा किरायों का संबन्ध है, रिज़र्व बैंक आफ इण्डिया ने पहले ही एक सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ कर रखा है। जहां तक आया त

पर बीमे का सम्बन्ध है, एक और सर्वेक्षण आरम्भ करने की प्रास्थापना भी की गई है। जहां तक विदेशी बैंकों द्वारा किये गय विदेशी व्यापार के अनुपात का सवाल है, सर्वेक्षण कार्य पूरा किया जा चुका है तथा इसे रिज़र्व बैंक आफ़ इण्डिया के बुलेटिन में प्रकाशित कर दिया गया है।

श्री एस० एन० दास : भारतीय निर्यात में कितने प्रतिशत भाग को भारतीय बीमा समवायों द्वारा किया जाता है ?

श्री बी० आर० भगत : मेरे पास आंकड़े नहीं हैं।

श्री एस० एन० दास : क्या स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारतीय मुद्रा-विनिमय बैंकों तथा बीमा समवायों द्वारा किये जा रहे भारतीय व्यापार में कोई कमी हुई है या वृद्धि ?

श्री बी० आर० भगत : जैसा कि मैंने कहा, ऐसी सूचना उपलब्ध नहीं है। जहां तक बीमे की दरों का सम्बन्ध है रिज़र्व बैंक पहले से ही सर्वेक्षण करने वाला है।

श्री बी० पी० नायर : मैं देखता हूं कि विदेशी व्यापार में भारतीयों तथा ग़ैर-भारतीयों के तुलनात्मक भागों के सम्बन्ध में हाल ही में रिज़र्व बैंक आफ़ इन्डिया ने एक सर्वेक्षण कराया था। मैं जान सकता हूं कि इस मामले में रिज़र्व बैंक ने बीमे तथा दलाली के बारे में आंकड़ों आदि का संग्रह क्यों नहीं किया था ?

श्री बी० आर० भगत : जहां तक बीमे का सम्बन्ध है वे एक और सर्वेक्षण आरम्भ करने वाले हैं।

कृत्रिम चावल

*१७१७. **श्री एन० राचय्या :** क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री** २६ नवम्बर, १९५३ के तारांकित प्रश्न संख्या ३४५ के सम्बन्ध में दिय गय उत्तर का निर्देश करके यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय गवेषणा संस्था ने तब से टैपियोका और मूंगफली से कृत्रिम चावल तैयार करने के लिए एक नये संयन्त्र की प्रस्थापना प्रस्तुत की है ;

(ख) यदि ऐसा है, तो यह प्रस्थापना कब प्रस्तुत की गई थी ;

(ग) नये संयन्त्र की लागत कितनी है ; तथा

(घ) इस मामले में सरकार ने अभी तक क्या कार्यवाही की है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) तथा (ख). हां, श्रीमान् नवम्बर, १९५३ के अन्त तक।

(ग) तथा (घ)। संयन्त्र के लिए मूल्य-कथन मांगे गये हैं तथा मशीनों के लिए पक्के क्रयादेशों को देने से पहले उनकी जांच पड़ताल की जायगी।

श्री एन० राचय्या : यह चावल जनता को किस दर पर मिल सकेगा ?

श्री के० डी० मालवीय : इस सम्बन्ध में अभी कुछ कहना समय से बहुत पहले की बात है।

श्री एन० राचय्या : प्राकृतिक चावल की अपेक्षा कृत्रिम चावल की पोषण अर्हा क्या होगी ?

श्री के० डी० मालवीय : वैज्ञानिकों का यह दावा है कि इस कृत्रिम चावल की पोषण अर्हा प्राकृतिक चावल के बराबर होगी।

श्री केलप्पन : क्या यह सच नहीं है कि इस प्रयत्न को खाद्य स्थिति में सुधार होने तथा लोगों द्वारा कृत्रिम चावल के

पसन्द न किये जाने के कारण छोड़ दिया गया है?

श्री के० डी० मालवीय : इस नकली चावल बनान के प्रयत्न का सम्बन्ध माननीय सदस्य द्वारा निर्दिष्ट खाद्य की कमी से नहीं है । इस प्रयत्न का सम्बन्ध उस पोषक खाद्य को खोज निकालने के सम्बन्ध में है जिसे सस्ते दामों पर पैदा किया जा सकता है तथा जिसे उन क्षेत्रों में वितरित किया जा सके तथा खाया जा सके जहां के निवासी मुख्यतः चावल भोजी हैं ?

पंडित डी० एन० तिवारी : प्राकृतिक चावल और सिन्थेटिक चावल के स्वाद भिन्न भिन्न होंगे या एक समान होंगे ?

श्री के० डी० मालवीय : जिस प्रकार दो मनुष्यों के चरित्र नहीं मिलते और खूबियां नहीं मिलतीं, उसी प्रकार दो खाने वाली चीज़ों के स्वाद भी नहीं मिल सकते ।

डा० रामा राव : क्या कृत्रिम चावल म विटामिन 'बी' होगा ?

श्री के० डी० मालवीय : हां, श्रीमान्, इसम विटामिन 'बी' है ।

मनीपुर में अधिग्रहण की गई जमीनें

*१७१८. **श्री एल० जोगेश्वर सिंह :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने उन ज़मीनों के बारे में, जिन्हें मनीपुर राज्य में विमान-क्षेत्रों के बनाने के प्रयोजनों से पिछले विश्व-युद्ध में अधिग्रहण किया गया था या जिनको पट्टे पर लिया गया था प्रतिकर देने का फैसला किया है ;

(ख) यदि ऐसा है तो, प्रतिकर के भुगतान के लिए कुल कितनी राशि की मंजूरी दी गई है; तथा

(ग) इस सम्बन्ध में कितने दावे प्राप्त हुए हैं ?

रक्षा उप मन्त्री (सरदार मजीठिया) : (क) जी हां ।

(ख) २२,०५,००० रुपये ।

(ग) रक्षा मंत्रालय में तीन अभियाचिकाऐं प्राप्त हुई हैं परन्तु मनीपुर के प्राधिकारियों को प्राप्त हुई अभियाचिकाओं की संख्या ज्ञात नहीं है ।

श्री एल० जोगेश्वर सिंह : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह मामला बहुत देर से लटका हुआ है क्या सरकार का इस विषय में कोई कार्यवाही करन का विचार है जिस से यथासम्भव शीघ्र से शीघ्र भुगतान किया जा सके ?

सरदार मजीठिया : मैं बता चुका हूं कि अन्तिम रूप से यह निश्चय किया गया है कि २२,०५,००० रुपये दिये जायें ।

श्री एल० जोगेश्वर सिंह : भुगतान यथासम्भव शीघ्र से शीघ्र करने के लिये क्या पग उठाये गये हैं ?

सरदार मजीठिया : मेरा भी तो यही तात्पर्य है । निश्चय कर लिया गया है । बहुत जल्दी ही भुगतान कर दिया जायेगा ; सम्भवतः यह अगले मास ही में आरम्भ हो जाये ।

श्री एल० जोगेश्वर सिंह : क्या इस विषय में सलाह देने के लिये सरकार का विचार एक तदर्थ समिति बनाने का है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सरदार मजीठिया : सरकार का विचार कोई समिति बनाने का नहीं है क्योंकि उचित पड़ताल के पश्चात राशियां निश्चित की गई थीं और उस के बाद और अग्रेतर पड़ताल करके दावे तय किये गये हैं। माननीय सदस्य को यह भी जानने की उत्सुकता होगी कि कितने एकड़ को अधिग्रहणमुक्त कर दिया गया है । ३५०४ और कुछ एकड़

भूमि में से ३३३० एकड़ पहले ही अधिग्रहण-मुक्त की जा चुकी है । अत: भारत सरकार के पास बहुत थोड़ी भूमि रह गई है और इसलिये समिति नियुक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री मुनिस्वामी : इस का कितने किसानों पर प्रभाव पड़ा होगा ?

सरदार मजीठीया : व्यक्तियों की संख्या बताना मेरे लिये कठिन है । परन्तु जैसा कि मैं ने बताया मंत्रालय को केवल तीन अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । अत: अब जिन लोगों पर इस का प्रभाव पड़ेगा उन की संख्या बहुत अधिक नहीं होगी ।

ईसाई धर्म प्रचारक

***१७१९. श्री कानावडे पाटिल :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या १६ मार्च, १९५४ के "हिन्दुस्तान स्टैण्डर्ड" में प्रकाशित ईसाई धर्म के प्रचार के सम्बन्ध में संवैधानिक अधिकारों के प्रवर्त्तन के बारे में रायपुर में उन के द्वारा व्यक्त किये गये विचार सरकारी नीति के सूचक हैं ; तथा

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में अपनी नीति बतायेगी ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) जी नहीं, इस समाचार का विस्तृत ब्यौरा ग़लत है और भ्रान्तिजनक है ।

(ख) इस विषय में सरकार की नीति ५ और ६ अप्रैल १९५४ को गृह तथा राज्य मंत्रालयों की आयव्ययक सम्बन्धी मागों के विषय में हुए वाद विवाद के समय बता दी गई थी ।

श्री कानावडे पाटिल : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस देश के विदेशी धर्मप्रचारकों के सम्बन्ध में बहुत सी ग़लतफ़हमियां फैली हुई हैं, क्या सरकार इस देश के लोगों के धर्मपरिवर्तन के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट व्क्तव्य दे रही है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : जब कभी आवश्यकता पड़ेगी और इस की मांग की जायेगी, तो मैं इस के लिये तैयार रहूंगा ।

श्री कानावडे पाटिल : क्या हमारे वर्तमान संविधान के अन्तर्गत धर्मपरिवतन की आज्ञा है ?

अध्यक्ष महोदय : वह सम्मति पूछ रहे हैं ; मैं इस की आज्ञा नहीं दूंगा ।

श्री कानावडे पाटिल : क्या सरकार के पास इन व्यक्तियों द्वारा गत पांच वर्षों में किये गये धर्मपरिवर्तनों के सम्बन्ध में जानकारी है ?

डा० काटजू : यह तो जनगणना का विषय है । यदि कोई आंकड़े पूछेगा तो मैं उन्हें बता दूंगा कि कितनों का धर्मपरिवर्तन किया गया था ।

श्री जांगड़े : क्या सरकार को मालूम है कि मध्य प्रदेश के रायगढ़ जिले में गत पांच वर्षों में जसपुर तहसील में डेढ़ हज़ार हिन्दू आदिवासियों को ईसाई बनाया गया है और इस के लिये रांची से २० लाख डालर दिये गये ?

डा० काटजू : मुझे इसकी तहकीक मालूम नहीं है, हां, आप ने जो फ़रमाया वह मैंने सुन लिया ।

श्री बादशाह गुप्त : क्या हमारे धर्मप्रचारकों को भी विश्व में सर्वत्र वही अधिकार और विशेषाधिकार मिले हुए हैं जो भारत में विदेशी धर्मप्रचारकों को प्राप्त हैं ?

डा० काटजू : क्या मैं भारत से बाहर अपने धर्मप्रचारकों की संख्या जान सकता हूं ?

सरदार ए० एस० सहगल : क्या कोई माननीय मंत्री प्रश्न पूछ सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न धर्मप्रचारकों की संख्या के बारे में नहीं पूछा गया है अपितु इस बारे में पूछा गया है कि क्या दोनों को समान अधिकार मिले हुए हैं ।

डा० काटजू : मेरे माननीय मित्र मुझे बड़ी विषम स्थिति में डाल रहे हैं । मैं उन्हें जो अधिकार देता हूं उस को तो मैं जानता हूं । किन्तु उन्हें बाहर क्या अधिकार मिले हुए हैं, यह मैं नहीं जानता हूं ।

वैज्ञानिक गवेषणा के लिये छात्रवृत्तियां

*१७२१. **डा० रामा राव:** (क) क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५१-५२, १९५२-५३ तथा १९५३-५४ में कलकत्ता विश्वविद्यालय को किन किन विषयों में वैज्ञानिक गवेषणा करने के लिये कितनी ज्येष्ठ और कनिष्ठ छात्रवृत्तियां दी गईं ?

(ख) कितने विद्वानों ने अपना गवेषणा कार्य पूरा कर लिया है ?

(ग) उनमें से कितनों को राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में रख लिया गया है ?

शिक्षा मंत्री के० सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) एक विवरण, जिस में अपेक्षित जानकारी दी हुई है, सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये** परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ४]

(ख) दो ।

(ग) यह जानकारी इकट्ठी की जा रही है । और सदन पटल पर रखदी जायेगी ।

डा० रामा राव : इन उत्तर स्नातकों को राष्ट्रीय प्रयोगशाला के किस विभाग में रखा गया है ?

डा० एम० एम० दास : यह विशिष्ट जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

श्री एन० बी० चौधरी : विवरण में रिक्तियों की पूर्ति के सम्बन्ध में अभ्यंश का उल्लेख किया गया है । कलकत्ता विश्व-विद्यालय के लिये कितना अभ्यंश नियत किया गया है और यह किस आधार पर नियत किया गया है ?

डा० एम० एम० दास : यदि माननीय सदस्य इस विवरण को ध्यान से पढ़ें तो उन्हें इस का उत्तर मिल जायेगा । अन्तिम स्तम्भ, अर्थात १९५२-५३ की संख्या कलकत्ता विश्वविद्यालय के लिये नियत अभ्यंश को बताती है ।

श्री एम० डी० रामास्वामी : क्या इन छात्रवृत्तियों के साथ प्रशिक्षण के पश्चात् नौकरी देने की भी प्रत्याभूति दी जाती है ?

डा० एम० एम० दास : इन छात्र-वृत्तियों के साथ सरकार की ओर से छात्र-वृत्तिधारियों को अपना प्रशिक्षण समाप्त कर चुकने के पश्चात कोई नौकरी देने की प्रत्याभूति नहीं दी जाती है ।

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी

*१७२२. **सरदार हुक्म सिंह :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५३–५४ में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, देहरादून से प्रशिक्षण समाप्त कर चुकने के पश्चात कितने छात्र सैनिकों को कमीशन दिया गया ; तथा

(ख) उसी अवधि में कितने प्रशिक्षणार्थियों को इस आधार पर अलग कर दिया गया कि उन में एक पदाधिकारी बनने के लिये अपेक्षित गुण नहीं थे ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) १९५३ में संयुक्त सेवा शाखा के २७९ छात्र-सैनिकों ने तथा सैनिक शाखा के ३४० छात्र-सैनिकों ने सफलतापूर्वक अपना प्रशिक्षण समाप्त किया। सैनिक शाखा के ३४० छात्र-सैनिकों को स्थल सेना में कमीशन दे दिया गया। अन्यों को पूरा प्रशिक्षण समाप्त करने पर कमीशन मिलेगा।

(ख) १९५३ में ३७ प्रशिक्षणार्थियों को पदाधिकारियों जैसे गुणों से युक्त न होने के कारण हटा लिया गया था, इन में से १५ संयुक्त सेवा शाखा के थे और २२ सैनिक शाखा के थे। इन आंकड़ों में १९५३ में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पढ़ाये जाने वाले सभी पाठ्यक्रमों में से हटाये गये छात्र-सैनिक सम्मिलित हैं और केवल उस वर्ष पूरे हुए पाठ्यक्रमों में से हटाये गये छात्र-सैनिक ही नहीं हैं।

सरदार हुक्म सिंह : जिन छात्र-सैनिकों को हटाया गया है उन के प्रशिक्षण पर सरकार कितना धन व्यय कर चुकी थी ?

सरदार मजीठिया : मेरे पास यहां इस के आंकड़े नहीं हैं। परन्तु स्पष्ट है कि विभिन्न छात्र-सैनिकों पर अलग अलग राशियां व्यय की गई हैं क्यों कि उन्हें भिन्न भिन्न समयों पर हटाया गया था।

सरदार हुक्म सिंह : क्या इस कार्य के लिये नियुक्त कुंजरू समिति ने अब तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ?

सरदार मजीठिया : नहीं, उस समिति ने अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया है।

सरदार हुक्म सिंह : इस प्रश्न पर चर्चा के समय रक्षा संगठन मंत्री ने यह बताया था कि जिन छात्र-सैनिकों को अवधि पूरी होने से पहले हटा लिया गया था उन्हें कोई हानि नहीं हुई है क्योंकि जितना समय उन्होंने अकादमी में बिताया था उस में उन्हें उच्च श्रेणी में रखा गया था। क्या इन ३७ प्रशिक्षणार्थियों को जिन्हें कि हटा लिया गया था माननीय मंत्री की घोषणा के अनुसार यह पदोन्नति मिलेगी ?

सरदार मजीठिया : अगली ऊंची श्रेणी के लिये पदोन्नति के सम्बन्ध में मैं यह दोहराना चाहूंगा कि दो वर्ष तक जे० एस० डब्ल्यू० का पाठ्यक्रम पूरा किये हुए व्यक्तियों को मान्यता दी गई थी वर्ष प्रतिवर्ष के मामलों के लिये नहीं। इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है और हमें आशा है कि हम शिक्षा मंत्रालय के साथ सफलता-पूर्वक बातचीत को पूरा कर लेंगे। यदि उन्होंने दो वर्ष का प्रशिक्षण पूरा कर लिया होगा और वे पढ़ाई के विषयों में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण हो गये होंगे, तो उन्हें वह पदोन्नति दे दी गई होगी।

सरदार हुक्म सिंह : क्या हमें इस ३७ का अलग अलग ब्यौरा मिल सकता है और उन में से कितने पहले ही स्नातक थे जो उस सुविधा से लाभ नहीं उठा सकते थे जिस का कि उन्हें वचन दिया गया था और कितने मैट्रिक पास थे जो कालेज में प्रविष्ट हो सकते थे ?

सरदार मजीठिया : जैसा कि मैंने बताया, उन में से १५ संयुक्त सेवा शाखा में से निकाले गये थे और उन के लिये कम से कम अर्हता मैट्रिकुलेशन है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में विभिन्न श्रेणियां हैं, कुछ जे० एस० डब्ल्यू० से लिये जाते हैं, कुछ सीधे ही लिये जाते हैं और वे स्नातक होते हैं। कुछ प्रादेशिक सेना से लिये जाते हैं, कुछ राष्ट्रीय छात्र-सेना निकाय से और इसी प्रकार अन्य-संस्थाओं से लिये जाते हैं। मैं यह नहीं बतला सकता कि उन में कितने

स्नातक थे और कितने नहीं थे, क्योंकि मेरे पास इस के आंकड़े नहीं हैं ।

श्री धुलेकर : जिन स्नातकों को दो वर्ष या इस से अधिक के पश्चात् अस्वीकृत कर दिया गया था क्या उन्हें कोई और नौकरियां दी जायेंगी ?

सरदार मजीठिया : यह रक्षा मंत्रालय के हाथ में नहीं है । यदि वे सामान्य रूप से प्रार्थना पत्र देंगे और यदि वह उन के लिये उपयुक्त होंगे तो उन्हें नौकरियां मिल जायेंगी ।

विश्व विद्यालय अनुदान आयोग के सम्बन्ध में ९ अप्रैल १९५४, को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १६९६ के उत्तर में भूलसुधार

डा० एम० एम० दास : एक अनुपूरक प्रश्न के अपने उत्तर में भूलसुधार करने की क्या मुझे आज्ञा ह ?

अध्यक्ष महोदय : जी हां ।

डा० एम० एम० दास : माननीय मित्र श्री एस० एन० दास के प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा था कि वह वर्तमान विश्व विद्यालय अनुदान आयोग, विश्व विद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिशों के अनुसार स्थापित किया गया है । मेरा निवेदन यह है कि यह वर्तमान आयोग अस्थायी है जो उस अनुविहित आयोग की स्थापना तक काय करता रहेगा जिसकी स्थापना संसद् द्वारा पारित एक अधिनियम द्वारा की जायगी । हमारा मंत्रालय वह विधेयक तैयार कर रहा है और विधेयक के पारित हो जाने के बाद अनुविहित कमीशन की स्थापना की जायगी । विधेयक को यथा संभव शीघ्र ही प्रस्तुत किया जायगा ।

अल्प सूचना प्रश्न तथा उत्तर

आय-व्ययक बनाने की वर्तमान प्रणाली तथा वित्तीय नियंत्रण का प्रयोग

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९. **श्री बंसल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या उनका ध्यान आय-व्ययक बनाने की वर्तमान प्रणाली तथा वित्तीय नियंत्रण के प्रयोग के सम्बन्ध में श्री अशोक के० चन्दा की सिफारिशों के बारे में जो समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए समाचारों की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) क्या इन सिफारिशों पर सरकार ने विचार किया है ;

(ग) क्या यह सच है कि ये सिफारिशें बहुत ही गोपनीय एवं गुप्त हैं ;

(घ) यदि हां, तो किन परिस्थितियों में इन सिफारिशों के बारे में मालूम हुआ ;

(ङ) इनके बताने का दायित्व किस पर है; तथा

(च) इस बात का सुनिश्चय करने के लिये कि उच्च स्तरीय गोपनीय बातें जब तक कि सरकारी तौर पर बताई न जांय वे किसी को न मालूम हो सकें क्या कार्यवाही की जा रही है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) तथा (ख) । इस सिलसिल में प्रकाशित कुछ समाचारों को मैंने देखा है । सभी समाचारों एवं प्रकाशित टिप्पणियों को जो कि सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई होंगी मैंने नहीं देखा है। जो कुछ मैंने देखा है उसमें से तो कुछ ठीक है तथा कुछ गलत ।

प्रशासनिक प्रक्रियाओं के पुनर्विचार का प्रश्न तो सरकार के सामने बहुत दिनों से है और समय समय पर कुछ कार्यवाही की भी गई है । प्रशासनिक एवं तत्सम्बन्धी

प्रक्रियाएं तो उन विभिन्न नियमों तथा विनियमनों में निहित है जो बहुत दिन हुए तब बनाये गये थे ।

मंत्रिमंडल तथा योजना आयोग में पिछले दो वर्षों में इस बारे में कई बार चर्चा हुई है ।

१७ जनवरी १९५४ को मंत्रिमंडल के सचिव को एक टिप्पणी भेजते हुए मैंने सुझाव दिया था कि इन पुराने नियमों तथा विनियमनों पर अनौपचारिक एवं शीघ्रतर पुनर्विचार किया जाय । उस टिप्पणी में से कुछ उद्धरण यहां देता हूं :—

> "मैं देखता हूं कि बहुत से नियम प्रक्रियाएं तथा विनियमन, जिनके अधीन हम काम कर रहे हैं, बहुत ही पुराने हैं । यह हो सकता है कि उनमें कभी छोटे मोटे परिवर्तन हुए हों, किन्तु मुख्यतः वे ज्यों के त्यों ही हैं, अतः प्रकटतः यह वांछनीय है कि उनमें आमूल परिवर्तन किया जाय ताकि वह वर्तमान परिस्थितियों के लिए अनुकूल हो जायें । श्री एप्पिलबाई ने उन बातों तथा कार्यों को करने के लिये जो कि प्रशासन का अब तक भाग नहीं रही है और जो कि हमें अब करनी है उनके लिए वर्तमान प्रशासनीय मापदंड को अपनाने की आवश्यकता के बारे में कहा है । अतः यह आश्चर्य की बात नहीं है कि हम इतने पुराने नियमों के अधीन कार्य करने का प्रयत्न करते समय जो बहुत दिन हुए तब एवं विभिन्न परिस्थितियों के अधीन बनाये गये थे, हमें काफ़ी कठिनाइयों एवं देरी का सामना करना पड़ता है ।"

इस टिप्पणी में निम्न बातों पर पुनर्विचार करने का सुझाव मैंने दिया था । (१) असैनिक सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम; उन पर इस प्रकार से विचार किया जाय ताकि नौकरी, चरित्र, अनुशासन, अपील इत्यादि मामले में संघीय तथा राज्य सरकारों में अनुकूलन हो सके ।

(२) संघीय तथा राज्य सरकारों के अधीन उच्च स्तरीय सचिवालय पदों की पूर्ति करने सम्बन्धी वर्तमान प्रबन्ध पर इस प्रकार विचार किया जाय ताकि अधिकतम प्रशासनिक कार्यकुशलता तथा परस्पर अदला बदली हो सके ।

(३) मूल भूत नियम तथा अनुपूरक नियम ताकि उन पर पुनिविचार किया जा सके तथा संहिताबद्ध किया जा सके । (४) वर्तमान वित्तीय प्रक्रिया, ताकि सरकारी कार्य शीघ्र हो सकें ।

मैं ने कहा था कि यह पुनर्विचार विशेषतः इस दृष्टि से होना चाहिये ताकि पंचवर्षीय योजना तथा विभिन्न परियोजनाओं की, जिनका कार्य हमने प्रारम्भ कर दिया है अथवा जो हम भविष्य में प्रारम्भ करेंगे, क्रियान्विति में शीघ्रता हो सके ।

मैं ने यह सुझाव दिया था कि श्री अशोक के० चन्दा, जो उस समय उत्पादन मंत्रालय के सचिव थे, यह तुरन्त तथा अनौपचारिक पुनर्विचार का कार्य करें । ऐसा करने में उन्हें विशेष रूप से मंत्रिमंडल सचिव, प्रमुख सचिव, तथा गृह-कार्य मंत्रालय के श्री बी० एस० बापत से विचार विनिमय करना था ।

मंत्रिमंडल सचिव ने अन्य सचिवों के परामर्श के आधार पर वरिष्ट सचिवों की एक उप-समिति यह विचार करने के लिए बनाई कि यह देरी कहां तथा किस प्रकार हुई थी । इस समिति की बैठक समय समय पर होती रही है तथा इसका कार्य अभी जारी है ।

१० फरवरी, १९५४ को श्री अशोक के० चन्दा ने कुछ वित्तीय प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में एक प्रारम्भिक टिप्पणी मुझे भेजी । उसके बाद प्राधिकार तथा कार्यों के विकेन्द्रीकरण के सम्बन्ध में उन्होंने दूसरी टिप्पणी भेजी । उनकी तीसरी टिप्पणी जो रेलों के सम्बन्ध में है, मंत्रिमंडल सचिव को मिल गई है । मैं समझता हूं कि सेवाओं के सम्बन्ध में अन्य टिप्पणियां भी तैय्यार हो रही हैं ।

इन सभी टिप्पणियों में पृष्ठभूमि की सभी बातों को समझाने के लिए विस्तृत पर्यवेक्षण किया गया है । इन मामलों पर सरकार द्वारा विचार किये जाने का प्रश्न अभी नहीं उठा है । जब सभी टिप्पणियां आ जायेंगी तब उनको सरकार के विचार के लिए सामान्य रूप से भेज दिया जायगा ।

(ग) जी हां :

(घ) तथा (ङ). यह स्पष्ट है कि प्रथम टिप्पणी के सम्बन्ध में कुछ ज्ञात हो गया है । मैं कह नहीं सकता कि इसके लिए कौन उत्तरदायी है । किन्तु यह बड़े दुर्भाग्य की तथा अनुचित बात है कि गोपनीय बातों के बारे में अप्राधिकृत व्यक्तियों को पता चल गया ।

(च) इस सम्बन्ध में हम क्या कार्यवाही कर सकते हैं यह कहना मेरे लिए संभव नहीं है किन्तु गुप्त बातें किसी को ज्ञात न हों इसके लिए निरंतर प्रयत्न किया जा रहा है ।

श्री बंसल : क्या पहिली टिप्पणी के बारे में पता लग जाने के बाद कोई जांच की गई थी ?

श्री जवाहरलाल नेहरू: कोई विशेष जांच तो नहीं की गई थी । मैं ने स्वयं यह अनुभव किया कि ऐसा करना कठिन है । जब कुछ कागज़ बहुत से व्यक्तियों को जैसे मंत्री, कुछ अन्य व्यक्ति जैसे सचिव आदि को भेजे जाते हैं और वे उन कागज़ों को देखते हैं तो जांच के लिए क्षेत्र काफ़ी विस्तृत हो जाता है : अतः इसे रोकने के लिए हम यह करेंगे कि भविष्य में जिन को कागज़ भेजे जायें उन व्यक्तियों की संख्या में कमी की जाये ।

श्री बंसल : जब कि प्रथम टिप्पणी की चर्चा समाचार पत्रों में हो चुकी है तो क्या प्रधान मंत्री उसकी एक प्रतिलिपि सदन पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं तो नहीं समझता कि इस स्थिति में ऐसा करना किसी प्रकार भी वांछनीय है । सदन को मैं यह बताना चाहता हूं कि अभी तक मैंने स्वयं इस पर पूर्णरूप से विचार नहीं किया है क्योंकि मैं इसके बारे में अभी तथ्य इकठ्ठे कर रहा हूं और जब यह तैय्यार हो जायगा तब मैं इस पर विचार करूंगा और निश्चय करूंगा कि किस प्रकार हम इसके बारे में अच्छी से अच्छी टिप्पणी तैय्यार कर सकते हैं जिसमें नियम तथा अन्य बातों सम्बन्धी रचनात्मक योजना हो । अतः सदन पटल पर इस प्रतिवेदन को रखना इस स्थिति में बिल्कुल उचित नहीं होगा ।

डा० लंका सुन्दरम् : इस प्रश्न के महत्व को दृष्टि में रखते हुए क्या इन बातों के बारे में माननीय प्रधान मंत्री प्राक्कलन समिति से परामर्श लेंगे तथा कोई परिवर्तन किये जाने से पूर्व क्या सदन में इस पर पूर्ण-रूपेण चर्चा की जाने की अनुमति देंगे ?

श्री जवाहरलाल नेहरू: मैं नहीं समझा कि प्राक्कलन समिति का इस मामले से क्या सम्बन्ध हो सकता है ?

श्री एच० एन० मुकर्जी: प्रधान मंत्री ने जो कुछ कहा है क्या उससे हम यह समझें

कि इस मामले के सम्बन्ध में अत्यधिक प्रकाशित सरकार का जो घरेलू झगड़ा था वह अब कुछ ठीक हो गया है ।

डा० राम सुभग सिंह : इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि भूतकाल में कई बार गोपनीय बातों के बारे में पता चल गया है, तो इस प्रकार की बातों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये पर्याप्त उपबन्ध क्यों नहीं किये गये ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : इस प्रश्न का उत्तर मैं किस प्रकार दूं । जब इस प्रकार की घटनाओं के बारे में हमें पता चला तो हमने कार्यवाही की है; किन्तु स्पष्टत: मैं यह स्वीकार करता हूं कि इस बुराई पर पूर्णत: नियंत्रण करने में हम अभी समर्थ नहीं हुए हैं ।

श्री जोकीम अल्वा : क्या मंत्रिमंडल की गोपनीय बातों के जो सरकार की अति उच्चस्तरीय गोपनीय बातें समझी जाती हैं, सम्बन्ध में पता लग जाने के विषय में क्या सरकार अत्यावश्यक गोपनीय तथा अनावश्यक गोपनीय बातों में कोई भेद रखना चाहती है; अत्यावश्यक गोपनीय बातों से अभिप्राय राज्य की स्थिरता तथा सुरक्षा सम्बन्धी मामलों से है, तथा अनावश्यक गोपनीय बातों से अभिप्राय उन सभी बातों से है जिनके बारे में प्रत्येक व्यक्ति अपनी टांग अड़ा सकता है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : हम यह कह सकते हैं कि एक के लिए अधिक दंड दिया जाय; किन्तु दंड दोनों के लिए होना चाहिये ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

युद्ध सामग्री कारखाना

*१६९८. **श्री एन० पी० दामोदरन** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) युद्ध सामग्री कारखानों के चिकित्सा संगठनों में वर्ष १९५२-५३ तथा १९५३-५४ में जो सुधार किये गये ;

(ख) उन वर्षों में सरकार द्वारा उन पर किया गया व्यय ; तथा

(ग) लगभग कितने निम्न श्रेणी के अतिरिक्त कर्मचारियों को उससे लाभ हुआ ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) तथा (ख). वर्तमान अस्पतालों एवं औषधालयों सुविधा सम्बन्धी कार्यों में वृद्धि करने के लिए पिछले दो वर्षों में साढ़े आठ लाख रुपये की स्वीकृति दी गई थी । लगभग ५ लाख रुपये अब तक व्यय हो चुके हैं । इनमें से कुछ काय तो पूरे हो गये हैं तथा शेष चल रहे हैं ।

बारह कारखानों के अस्पतालों में लू से बचने के केन्द्र खोलने की स्वीकृति दे दी गई है । एन्टी-बाओटिक औषधियां जैसे क्लोरोमाइसीटिन स्ट्रेप्टोमाइसीन आदि की जब कभी भी आवश्यकता पड़ी तो वह रोगियों को दी गई । कारखानों के यक्षमा पीड़ित कर्मचारियों को लेडी लिनलिथगो सेनीटोरियम कसौली में प्रविष्ट कराने के लिए प्रबन्ध किये गये हैं तथा वहां रक्षा विभाग के नागरिक कमचारियों के लिए १० बिस्तर रक्षित किये गये हैं । विस्तरों एवं कर्मचारियों की संख्या में कुछ वृद्धि की गई है । इन सुधारों के कारण जो आवर्त्तक व्यय हुआ है उसके आंकड़े प्राप्य नहीं है । कारखानों में चिकित्सा संस्थानों पर वर्ष १९५१-५२ में हुए ४·७७ लाख रुपये के अनुमानित आवर्त्तन व्यय की अपेक्षा वर्ष १९५३-५४ में अनुमानित आवर्त्तक व्यय ११·९ लाख रुपये था ।

(ग) सन् १९५३ में विभिन्न कारखानों के अस्पतालों तथा औषधालयों में लगभग १७,३५० रोगियों ने अस्पताल में रहकर तथा १०,४२,००० बाहर के रोगियों ने लाभ उठाया है । वर्ष १९५१ तथा १९५२

में अस्पताल में रहने वाले रोगियों की संख्या क्रमश: १३,६१३ तथा १६,६४८ थी ।

आदिम जातीय विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां

*१७०७. **श्री दशरथ देव** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या आदिम जातीय विद्यार्थियों की माध्यमिक शिक्षा के लिए त्रिपुरा सरकार आय-व्ययक में अलग से कोई उपबन्ध करती है ;

(ख) यदि हां, तो सन् १९५४ में कितना धन व्यय होगा; तथा

(ग) छात्रवृत्तियां पाने वाले आदिम-जातीय विद्यार्थियों की संख्या तथा प्रतिमास दी जाने वाली छात्रवृत्ति की दर ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास : (क) इसके लिए कोई अलग आय-व्ययक उपबन्ध तो नहीं है किन्तु कुल छात्रवृत्तियों की ५५ प्रतिशत छात्रवृत्तियां अनुसूचित आदिमजातियों, अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिऐ रक्षित कर दी गई हैं ।

(ख) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

(ग) १९५३-५४ में ४५ आदिम जातीय विद्यार्थी छात्रवृत्तियां पा रहे हैं । छात्रवृत्ति प्रतिमास ७ रुपया अथवा १० रुपया है जो विद्यार्थी को निम्न श्रेणी अथवा उच्च श्रेणी में होने के अनुसार मिलता है । इन विद्यार्थियों को शुल्क देने से भी मुक्ति मिली हुई है

आंध्र राज्य को ऋण

*१७१०. **श्री रघुरामय्या** :
श्री लक्ष्मय्या :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कुरनूल में अस्थायी राजधानी का निर्माण करने के लिये आंध्र सरकार को अब तक दिये गये विशेष ऋण की राशि ;

(ख) क्या इस कार्य के लिये राज्य सरकार को और कोई अग्रेतर धन राशि देने की प्रस्थापना की गई है ; तथा

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित धन रा

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) कुरनूल में राजधानी का निर्माण करने के लिये आंध्र सरकार को विशिष्ट रूप से कोई ऋण नहीं दिया गया है । इस कार्य के लिये संयुक्त मद्रास राज्य को जुलाई, १९५३ में ४० लाख रुपये का एक ऋण दिया गया था । आंध्र राज्य अधिनियम, १९५३ की सातवीं अनुसूची की धारा १२ की उप-धारा (२) के अनुसार, आंध्र सरकार को १ अक्तूबर, १९५३ से पूर्व राजधानी के निर्माण पर हुए वास्तविक व्यय की सीमा तक इस ऋण की दायिता का भार वहन करना है ; यह रक़म, महालेखा पाल मद्रास की रिपोर्ट के अनुसार, १३,१३,९९९ रुपये है ।

(ख) १९५४-५५ में राजधानी के निर्माण के लिय ऋण दिये जाने की कोई प्रार्थना अभी तक राज्य सरकार की ओर से प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

सोवियत प्राविधिक सहायता

*१७११. **श्री ब्रजेश्वर प्रसाद** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने एशिया तथा दूर पूर्व आर्थिक आयोग के पिछले सत्र में सोवियत प्रतिनिधि द्वारा संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में प्राविधिक सहायता के दिये जाने के प्रस्ताव पर विचार किया है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : मामला विचाराधीन है ।

प्रेसों से जमानतें

*१७१३. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५२ तथा १९५३ में केन्द्र द्वारा शासित राज्यों में किन किन प्रेसों से जमानतें मांगी गईं ; तथा

(ख) प्रत्येक की कितनी रक़म थी ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) और (ख). माननीय सदस्य द्वारा मांगी गई सूचना देने वाला एक विवरण मैं सदन पटल पर रखता हूं। [**देखिय** परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ५]

त्रिपुरा में आदिम जातीय कल्याण

*१७२०. **श्री दशरथ देव** :
श्री बीरेन दत्त :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५३-५४ में त्रिपुरा के आदिम जातीय क्षेत्रों के विकास के लिये स्वीकृत समस्त अनुदान में से अब तक व्यय की गई धन राशि ; तथा

(ख) वह मुख्य मदें जिन पर यह धन राशि व्यय की गई ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृति कुल अनुदान की राशि ४,८७,२०० रुपया थी। उपलब्ध नवीनतम सूचना के अनुसार राज्य सरकार द्वारा व्यय की गई कुल धन राशि २,८१,९५६ रुपया थी। व्यय का ब्यौरा बताने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये** परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ६]

हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटेड

३६२. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) जब से सरकार ने हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटेड, बंगलौर का कार्य भार संभाला है तब से १ फ़रवरी, १९५४ तक 'शिष्टता सेवाओं' पर हुआ कुल व्यय; तथा

(ख) इस विषय में व्यय करने के सम्बन्ध में क्या यदि कोई, नियम अथवा स्थायी आदेश हैं ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) (क) १९४६-४७ से १ फ़रवरी, १९५४ तक हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटेड द्वारा 'शिष्ठता सेवाओं' (दानों सहित) पर किया गया व्यय १,१८,२९८ रुपया है।

(ख) हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के स्थायी आदेश विभागीय अध्यक्षों को अल्पाहार सेवाओं तथा व्यय की अन्य सामान्य मदों को करने की अनुमति देते हैं। दान, उपहार, पदकों, के वितरण तथा व्यय की बड़ी मदों के सम्बन्ध में समवाय के व्यवस्था बोर्ड के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। शिष्ठता सेवाओं के प्रकार तथा मूल्य, अनुमोदन करने वाले प्राधिकार, तथा प्रत्येक मामले में प्राप्त करने वालों के सम्बन्ध में सूचना देने वाले विस्तृत विवरण व्यवस्था बोर्ड को प्रति मास नियमित रूप से भेजे जाते हैं।

हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड

३६३. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) जब से सरकार ने हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटेड, बंगलौर का कार्य-भार संभाला तब से १ जनवरी, १९५४ तक उक्त फ़ैक्टरी द्वारा भवनों के निर्माण तथा उनकी सजावट आदि पर व्यय की गई कुल धन राशि कितनी है ; तथा

(ख) क्या यह निर्माण कार्य केन्द्रीय जन वास्तु विभाग द्वारा किये गये हैं अथवा

ठेके की प्रणाली पर ठेकेदारों के द्वारा किये गये हैं ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) हिन्दुस्तान एयरक्रॉफ्ट लिमिटेड द्वारा १९४६-४७ से १ जनवरी, १९५४ तक भवनों के निर्माण तथा उनकी सजावट आदि पर व्यय की गई कुल धनराशि ६७·८ लाख रुपय के लगभग है ।

(ख) हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटेड में निर्माण कार्य मूल्यवेदन पत्र प्रणाली पर ठेकेदारों द्वारा किये जाते हैं ।

खनन गवेषणा केन्द्र

३६४. श्री बलवन्त सिंह महता : क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि शीघ्र ही एक खनन गवेषणा केन्द्र के स्थापित किये जाने की प्रस्थापना है ;

(ख) यदि हां, तो उसे कहां स्थापित किया जायेगा ;

(ग) उसे मूर्तरूप प्राप्त करने में कितना समय लगेगा ; तथा

(घ) उस पर होने वाला अनुमानित वार्षिक व्यय ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास): (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) जीलगोड़ा में ।

(ग) यह अभी नहीं बताया जा सकता है ।

(घ) दो लाख रुपये ।

हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटेड

३६५. श्री वी० पी० नायर : क्या **रक्षा** मंत्री हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के दैनिक-दर पर वेतन पाने वाले तथा नियमित कर्मचारियों की सेवा शर्तों के प्रमुख अन्तरों को बताने की कृपा करेंगे :

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है [देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ७]

औद्योगिक योजनायें तथा परियोजनायें

३६६. श्री वल्लाथरास : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १ मार्च, १९५४ को रक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड, मूल्यरूप के मशीनी औज़ार बनाने वाली फ़ैक्टरी, राडर तथा वायरलैस उपकरण परियोजना सहित औद्योगिक योजनाओं तथा परियोजनाओं पर कुल विनियोजन ; तथा

(ख) इन योजनाओं तथा परियोजनाओं में से कितनों में अभी तक उत्पादन कार्य प्रारम्भ नहीं किया है ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) सरकार द्वारा पूंजी विनियोजन इस प्रकार किया गया है :—

	रुपये (करोड़ों में)
हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटेड बंगलौर	३·२०
मूलरूप के मशीनी औज़ार बनाने वाली फ़ैक्टरी, अम्बरनाथ.	४·९५
युद्ध-सामग्री फ़ैक्टरियां १-४-५३ को (इन की संख्या १९ है)	३१·८२
भारत इलैक्ट्रौनिक्स इंडस्ट्री जलाहल्ली	·२५
योग	४०·२२

(ख)

	रुपये (लाखों में)
भारत इलैक्ट्रौनिक्स इंडस्ट्री	
मशीनी औज़ार विभाग	१७३
मूलरूप विभाग	२५३
शिशिक्षु प्रशिक्षण	६९
योग	४९५

Par. S. 18. III. 42. 54.
285

अंक ३ शुक्रवार

संख्या ४२ ९ अप्रैल १९५४

1st Lok Sabha

संसदीय वाद विवाद

लोक सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

(अंक ३ में संख्या ३१ से संख्या ४५ तक हैं)

——:०:——

भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही

विषय-सूची

अनुदानों की मांगें—

मांग संख्या ८१—उत्पादन मंत्रालय [पृष्ठ भाग २११७—२१५३]
मांग संख्या ८२—नमक [पृष्ठ भाग २११८—२१५३]
मांग संख्या ८३—उत्पादन मंत्रालय के अधीन अन्य संस्थायें [पृष्ठ भाग २११८—२१५३]
मांग संख्या ८४—उत्पादन मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय [पृष्ठ भाग २११८—२१५३]
मांग संख्या १३२—उत्पादन मंत्रालय का पूंजी व्यय [पृष्ठ भाग २११८—२१५३]

अधिक आयु विवाह प्रतिबन्ध विधेयक [पृष्ठ भाग २१५३]

मुफ्त, बलात् अथवा अनिवार्य श्रम निवारण विधेयक [पृष्ठ भाग २१५३]

भारतीय शस्त्रास्त्र संशोधन विधेयक [पृष्ठ भाग २१५४—२१९२]

संसद सचिवालय नई दिल्ली।

(मूल्य ६ आने)

PSD

लोक-सभा

शुक्रवार, ९ अप्रैल १९५४

सभा दो बजे **समवेत** हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर १

(देखिये भाग १)

२–५५ म.प.

अनुदानों की मांगें*

अध्यक्ष महोदय : अब सदन उत्पादन मंत्रालय सम्बन्धी अनुदानों की मांगों पर विचार आरम्भ करेगा ।

१९५४–५५ के लिए अनुदानों की यह मांगें अध्यक्ष महोदय ने प्रस्तुत कीं :

मांग संख्या	शीर्ष	राशि
		रुपये
८१	उत्पादन मंत्रालय	७,७१,०००
८२	नमक	१,२०,९३,०००
८३	उत्पादन मंत्रालय के अधीन अन्य संस्थायें	१,१९,०७,०००
८४	उत्पादन मंत्रालय के अधीन विविध विभाग और व्यय	१८६,०७,०००
१३२	उत्पादन मंत्रालय का पूंजी व्यय	१३,२९,२३,०००

*राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से प्रस्तुत की गई ।

[अध्यक्ष महोदय]

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि
	निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :		
८१	डा० मेघनाद साहा (कलकत्ता--उत्तर पश्चिम)	औद्योगिक उत्पादन सम्बन्धी नीति	१०० रुपये
	श्री नम्बियार (मयूरम्)	गिरिडीह की कोयला खानों के श्रमिकों की समय से पूर्व अनिवार्य निवृत्ति को रोकना	१०० रुपये
	श्री नम्बियार	बरमो कोयला खान (गिरिडीह) के ठेके के श्रमिकों की २६ जनवरी (गणराज्य दिवस) की मज़दूरी रोक लेना	१०० रुपये
	डा० एन० बी० चौधरी (घाटल)	सिन्दरी उर्वरक कारखाने के उपोत्पाद का उपयोग न किया जाना	१०० रुपये
	डा० एन० बी० चौधरी	श्रमिकों को संसद् सदस्यों से उनके कारखाने के दौरे के दौरान में मिलने पर प्रतिबन्ध	१०० रुपये
८२	श्री के० के० बसु (डायमंड हार्बर)	विदेशी विशेषज्ञों के सम्बन्ध में विशाखापटनम के पोत निर्माण घाट का कार्य-संचालन	१०० रुपय
	श्री रामचन्द्र रेड्डी (नेलोर)	सब नमक के कारखानों में परीक्षणात्मक प्रयोगशालाएँ स्थापित करने की आवश्यकता	१०० रुपये
	श्री के० के० बसु	नमक उद्योग को विकसित करने में असफलता	१०० रुपये
८३	श्री टी० के० चौधरी (बरहामपुर)	कोयले के परिवहन के लिए उचित सुविधाओं का अभाव	१०० रुपये
	श्री के० के० बसु	कोयला आयुक्त कार्यालय का कार्य संचालन जिस से बड़ी कोयला खानों की अपेक्षा छोटी कोयला खानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है	१०० रुपये

श्री **राधेलाल व्यास** (उज्जैन) : उत्पादन मंत्रालय मई १९५२ में बनाया गया था और यह अभी अविकसित ही है ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

किन्तु इसी मंत्रालय के काम पर ही सुदृढ़ और सम्पन्न भारत का भविष्य निर्भर है । सदन को ज्ञात है १० या ११ राजकीय औद्योगिक समवाय इस मंत्रालय के अधिकार में हैं और इन के अतिरिक्त नमक, कोयला और शोधन केन्द्रों के विभाग भी इस के अधीन हैं । सिन्दरी कारखाने में तैयार किये जाने वाले अमोनियम सलफेट के प्रयोग के फलस्वरूप हमारी खाद्य की पैदावार बहुत बढ़ गई है और चावल की जापानी ढंग की कृषि में सिन्दरी के उर्वरक बहुत उपयोगी सिद्ध हुए हैं । इस कारखाने के उपोत्पादों की भी बहुत मांग है और सदन को यह जान कर हर्ष होगा कि इनका उत्पादन अधिक से अधिक सीमा तक बढ़ाने के लिए योजनाएं बनाई गई हैं । हमें आशा है कि ऐसा करने से उर्वरक का मूल्य और भी गिर जायगा और यह अधिक सस्ते दामों पर कृषकों को मिल सकेगा । इस सम्बन्ध में मेरा एक सुझाव यह है कि इस मामले के प्रचार और जनसम्पर्क पहलू पर अधिक ध्यान दिया जाय और अंग्रेजी में जो मासिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है, उस के साथ, देश की हिन्दी भाषी जनता को ध्यान में रखते हुए हिन्दी में भी एक पत्रिका प्रकाशित की जाय, ताकि उर्वरक अधिक लोक प्रिय बन सके ।

हमारे पास कुछ पुराने कारखाने भी हैं, जिन में हिन्दुस्तान गृह निर्माण कारखाना भी है । अब यह कारखाना उत्पादन मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया है और इस से अधिक से अधिक लाभ उठाने का तरीका निकाला गया है । इस की मरम्मत की गई है और इस में नये यन्त्र लगा दिये गये हैं, ताकि इस में नई चीजें तैयार की जा सकें । यह कम्पनी ३०,००० फुट लम्बी पाइप लाइन बना चुकी है और नई चीजें भी शीघ्र तैयार होने लगेंगी । अन्य राजकीय उद्योगों में जिन में हिन्दुस्तान केबल्स लि० हिन्दुस्तान मशीन टूल्ज़ लि० पैनसिलिन फैक्टरी, डी० डी० टी० फैक्टरी आदि सम्मिलित हैं । नई कम्पनी, हिन्दुस्तान स्टील लिमिटिड में इस वर्ष उत्पादन कार्य शुरू हो जायेगा । अपने २००० मील लम्बे समुद्रीय तट को और विदेशों के साथ व्यापार को ध्यान में रखते हुए हमें अपने पोत निर्माण उद्योग को विकसित करने की बहुत आवश्यकता है । हमें हर्ष है कि उत्पादन मंत्रालय ने पोत निर्माण के सम्बन्ध में पंच वर्षीय योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पग उठाये हैं । विशाखा पटनम पोत घाट में अब बहुत शीघ्र प्रतिवर्ष २ $\frac{1}{2}$ जहाजों के स्थान पर ६ जहाज़ बना करेंगे ।

हिन्दुस्तान स्टील लि० की स्थापना के बारे में भी सब ने मंत्रालय के काम की प्रशंसा की है । हमें आशा है कि बहुत शीघ्र देश में अधिक इस्पात पैदा होने लगेगा जिस से देश के औद्योगीकरण में प्रगति होगी और हमें आयातों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा ।

नमक के सम्बन्ध में हमें यह देख कर बहुत संतोष होता है कि देश में इस का आधिक्य हो गया है और अब हम प्रति वर्ष ८० लाख मन नमक निर्यात कर रहे हैं । देश के विभाजन से हम खान के नमक से वंचित रह गये हैं किन्तु मन्डी में कुछ नमक की खानें हैं और वहां

[श्री राधेलाल व्यास]

खुदाई हो रही है । मैं आशा करता हूं कि सरकार इन से पूरा लाभ उठायेगी । एक मामले पर मंत्रालय का ध्यान देने की आवश्यकता है । वहां ३६००० गेलन नमकीन पानी, जिस में से ६०० मन नमक निकाला जा सकता है नदी में चला जाता है । खान इन्जीनियर को ६०० फ़ुट जस्ती नाली की आवश्यकता ह । अभी तक यह उसे नहीं मिली ! यदि यह उसे मिल जाये, तो वह बारीक नमक का उत्पादन शुरू कर सकता है । सांभर के नमक का मूल्य ६ रुपया प्रतिमन है । इस की अपेक्षा इस नमक का मूल्य २-८-० प्रति मन होगा ।

श्री **मेघनाद साहा** : उत्पादन मंत्रालय ने कुछ बहुत महत्वपूर्ण वस्तुओं का उत्पादन शुरू किया है । मुझे उन का विवरण देने की आवश्यकता नहीं किन्तु मैं यह कह सकता हूं कि सरकार ने बहुत अच्छा पग उठाया है, क्योंकि यह काम सरकारी क्षेत्र में शुरू किया गया है । मिश्रित अर्थ-व्यवस्था के समर्थकों को यह समझना चाहिए कि कुछ अत्यधिक महत्वपूर्ण चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें इस देश में गैर-सरकारी समवायों द्वारा नहीं किया जा सकता । उदाहरणतया लोहा और फौलाद उद्योग को लीजिये इस के लिए १०० करोड़ रुपये की पूंजी की आवश्यकता है, जो कि इस देश की कोई फ़र्म इकट्ठा नहीं कर सकती । सरकार ने इस उद्योग का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया है और हमें इस बात का स्वागत करना चाहिए किन्तु मुझे खेद है कि सरकार ने अन्य उद्योगों को अपने हाथ में नहीं लिया । ऐसे बहुत से उद्योग हैं जो कि इस देश में निजी उद्योगपतियों द्वारा नहीं चलाये जा सकते । एलूमिनियम उद्योग को लीजिये । देश में यह उद्योग है तो अवश्य, किन्तु वह बहुत छोटे पैमाने का और त्रुटिपूर्ण है । जो एलूमिनियम इस देश में तैयार किया जाता है उस पर अन्य देशों की अपेक्षा लगभग दुगनी लागत आती है । यदि हम ने इस देश में एलूमिनियम उद्योग चलाना है, तो इसे उचित ढंग से चलाना चाहिए । हमें प्रति वर्ष लगभग ५०,००० टन एलूमिनियम की आवश्यकता है । यदि देश में विद्युत संसाधनों का विकास किया जाये, तो इतनी मात्रा पैदा की जा सकती है । अब जो काम हो रहा है वह बहुत अनियमित तरीके से हो रहा है । पहले इसे रांची में तैयार किया जाता है, फिर इसे अलवाय ले जाया जाता है वहां से फिर इसे साफ करने के लिए कलकत्ता भेजा जाता है और हमें ७०० रुपया प्रति टन केवल भाड़े पर खर्च करने पड़ते हैं । निर्माण के इस तरीके से बहुत नुकसान होता है । मेरे विचार में उत्पादन मन्त्रालय को एलूमिनियम तैयार करने का कार्य दामोदर घाटी में या हीराकुंड घाटी के समीप शुरू करना चाहिए । वहां वॉकसाइड भी बहुत पाया जाता है और सस्ती बिजली भी मिल सकती है ।

भूतकाल में सरकार की औद्योगिक नीति बहुत अस्पष्ट रही है । पूंजीगत वस्तुओं के अधिकांश उद्योगों को गैर-सरकारी व्यक्ति नहीं आरम्भ कर सकते जैसे कि लोहा, एलूमिनियम, भारी रसायन और सोडा क्षार के उद्योग हैं । जब तक इस देश में इस प्रकार के उद्योग नहीं बनते, तब तक देश में औद्योगिक उत्पादन नहीं बढ़ सकता । जब तक हमारे देश में औद्योगिक उत्पादन १० से २० प्रतिशत

तक नहीं बढ़ जाता तब तक देश की प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ सकती। माननीय वित्त मन्त्री ने कहा है कि देश में १९५० की अपेक्षा औद्योगिक उत्पादन काफी बढ़ गया है किन्तु यह संतोषजनक नहीं है। इसे और भी अधिक बढ़ना चाहिए था। जब तक लोहा और इस्पात, एलूमिनियम, मूल रसायन, भारी मशीनरी आदि पर्याप्त मात्रा में न हों, देश में कोई उपभोक्ता उद्योग प्रगति नहीं कर सकते। मैं चाहता हूं कि सरकार एक नई औद्योगिक नीति बनाये और यह घोषणा करे कि औद्योगिक क्षेत्र में वह सब मूल वस्तुएं बनाने के लिए उत्तरदायी होगी।

हमारी दशा लगभग वैसी ही है जैसी कि रूस की पहली पंचवर्षीय योजना के पहले थी। रूसियों ने अपनी पहली पंच वर्षीय योजना में पूंजी वस्तु उद्योग पर ही जोर दिया था। उन्होंने कहा था कि हमें उपभोक्ता वस्तुओं के सम्बन्ध में कुछ वर्षों तक शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। पूंजी वस्तुओं का उत्पादन बढ़ जाने पर हम उपभोक्ता वस्तुएं सरलता से बना सकते हैं।

टेकनिकल स्वायत्तता के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। आजकल जब कभी भी हम कोई नया उद्योग आरम्भ करते हैं तो हमें विदेशों का मुंह ताकना पड़ता है। उनसे विशेषज्ञों की याचना करनी पड़ती है। इस्पात फैक्ट्री का ही उदाहरण ले लीजिए। परामर्श शुल्क के रुप में ही हमें मैसर्स क्रुप्स एन्ड डिमैग कम्पनी को दो करोड़ रुपये देने पड़े हैं इसके अतिरिक्त और भी रुपया देना पड़ा है। अतः मेरे विचार में यह बहुत आवश्यक है कि हम इस देश में ऐसा टेक्निकल स्टाफ तैयार करें जो अगला लोहे और इस्पात का संयंत्र स्वयं ही बना कर खड़ा कर सके। रूस ने अपने पहले इस्पात के कारखाने को बनाने में तो विदेशियों की सहायता ली थी किन्तु उसके पश्चात उसने समस्त कारखाने अपने आप बनाये थे। अतः मेरा निवेदन है कि सरकार इस दिशा की ओर ध्यान दे और आवश्यक टेक्निकल कर्मचारियों को भविष्य के लिए तैयार कर। भारतीय विशेषज्ञों को अभी से जर्मन फर्म के साथ लगा देना चाहिए जिससे वे यह सीख जायें कि नक्शे कैसे तैयार होते हैं, कारखाना कैसे बनाया जाता है तथा उसमें काम किस प्रकार से होता है। यदि ऐसा किया गया तो दूसरा लोहे और इस्पात का कारखाना बनाने में हमें बहुत अधिक सहायता मिलेगी तथा हमें धन भी कम व्यय करना पड़ेगा। मेरा तो यह भी निवेदन है कि कारखानें में लगाई जाने वाली मशीनों को देश में ही बनाना आरम्भ कर दिया जाय। कुछ वर्ष पहले उद्योगों के संचालक, डा० जे० सी० घोष नें इस सम्बन्ध में एक योजना तैयार की थी। यदि सरकार उस पर पुनः विचार करे तो मुझे विश्वास है कि देश को बहुत अधिक लाभ हो सकता है।

अन्त में मुझे केवल इतना कहना है कि इस देश के पूंजीपति चाहे सरकार की कितनी ही आलोचना करें किन्तु उत्पादन मंत्रालय को पूंजी वस्तु सम्बन्धी समस्त उद्योगों को अपने अधिकार में कर लेना चाहिए। मैं यह समझने में असमर्थ कि सिन्दरी उर्वरक फैक्टरी का प्रबन्ध ऐसे प्रतिक्रियावादी उद्योगपतियों को क्यों सौंप दिया गया है जो प्रत्येक बात को अपने ही दृष्टिकोण से देखते हैं तथा प्रबन्धकों और मजदूरों के बीच असंतोष के बीज

[श्री मेघनाद साहा]

बोते हैं। मेरी समझ में यह नहीं आता कि भूतपूर्व प्रबन्ध संचालक को फैक्टरी से हटा कर और जगह क्यों भेज दिया गया है। यह तो मालूम ही है कि भूतपूर्व प्रबन्ध संचालक ने अच्छा काम किया था तथा विदेशों से नये उद्योग चलाने का प्रशिक्षण भी लेकर आए थे, फिर भी, न जाने उन्हें क्यों हटा दिया गया। यह सरकार न अच्छा नहीं किया क्योंकि इस प्रकार हम अनुभवी व्यक्तियों को उन कार्यों में न लगा कर जिनमें वे उपयुक्त बैठते हैं अन्य कार्यों में लगा देते हैं जहां उनके अनुभव से कोई लाभ नहीं उठाया जा सकता।

श्री विश्वनाथ रेड्डी (चित्तूर) : इस मंत्रालय के सम्बन्ध में बहुत कम कटौती प्रस्ताव रखे गए हैं जिससे पता लगता है कि अधिकतर सदस्य मंत्रालय के काय से संतुष्ट हैं। फिर भी, मैं चाहता हूं कि इस मंत्रालय के कार्य का विस्तार हो। हमारे देश में ऐसे उद्योगपति बहुत कम हैं जो बड़े बड़े उद्योगों में धन लगाने के लिए तैयार हों। इस्पात का ही उद्योग ले लीजिए। कोई भी उद्योगपति इतनी पूंजी लगाने के लिए तैयार नहीं है। सरकार ही ऐसे कारखाने खोल सकती है। मैं श्री मेघनाद साहा की इस बात से सहमत हूं कि इस मंत्रालय को देश के पूंजी वस्तु उद्योगों को अपने हाथ में लेना चाहिए।

कुछ समय से हम अपने औद्योगिक उपक्रमों में इस बात का पता लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि कौन सी संगठन व्यवस्था सबसे अच्छी रहेगी। विदेशों में भी संगठन-व्यवस्था के बारे में मतभेद चल रहा है। फिर भी, सीमित कम्पनियां बनाने की हम ने जो पद्धति अपनाई है वह बहुत ठीक है। इस प्रकार सरकार का इन उद्योगों पर पूरा नियंत्रण भी रहता है और साथ ही कारबार चलाने का अनुभव भी प्राप्त हो जाता है।

बहुधा उत्पादन मंत्रालय की इस बात के लिए आलोचना की जाती है कि सरकारी उपक्रमों को चलाने के लिए बहुत अधिक संख्या में विदेशों से टेक्निकल विशेषज्ञ बुलाए जाते हैं। वास्तव में, बात यह है कि बड़े बड़े उद्योगों के सम्बन्ध में यह हमारा पहला कदम है, इसलिए हमें विदेशी विशेषज्ञों की आवश्यकता पड़ेगी ही। बिना विदेशी विशेषज्ञों की सहायता के हमारा काम चलना असम्भव है।

यह भी कहा जाता है कि उपक्रमों के लिए हम जो अवधि निर्धारित करते हैं बहुधा हम उस अवधि में उस उपक्रम को पूरा नहीं कर पाते। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस दिशा में हमारा यह पहला प्रयास है तथा हमें बहुत सी बातों का अनुभव नहीं है, अतः विलम्ब हो जाना कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। वैसे तो स्वयं मंत्रालय इस बात का प्रयत्न करता रहता है कि उपक्रम निश्चित अवधि में काम करने लगें लेकिन यदि कुछ महीनों का विलम्ब हो जाता है तो हमें उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए।

अभी श्री साहा ने कहा था कि हम ने क्रुप्स और डिमेग को केवल परामर्श के लिए दो करोड़ रुपये की राशि दी है। वास्तव में देखा जाए तो यह राशि बहुत अधिक नहीं है। इस्पात के कारखाने पर जितनी पूंजी लगाई जाने वाली है उसका यह केवल २.५ या ३ प्रतिशत है। यह राशि न केवल परामर्श के लिए दी गई है बल्कि नक्शे बनाने, मशीनें खड़ी करने,

फैक्टरी में कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का इस्पात बनाने के लिए दी गई है। साधारणतः यह चर्चा की जाती है कि सरकार को इतनी कम राशि पर इतनी सहायता कैसे प्राप्त हो गई। कुछ भी हो, मुझे विश्वास है कि जब यह कारखाना काम करने लगेगा तो हम ने जो कुछ पूंजी लगाई है उससे कई गुना अधिक लाभ होने लगेगा।

पंच वर्षीय योजना की अवधि में भारी विद्युत उद्योग भी स्थापित करने का उल्लेख किया गया है। लेकिन सरकार ने इस सम्बन्ध में शीघ्रता नहीं दिखाई है। क्योंकि योजना की अवधि में अनेक स्थानों पर पनबिजली बनाई जायेगी इसलिये आवश्यक है कि हम शीघ्र से शीघ्र विद्युत संबन्धी मशीनें अपने देश में बनाना आरम्भ कर दें। अतएव, मेरा निवेदन है कि इस प्रकार का कारखाना शीघ्र ही खोला जाये।

श्री **नागेश्वर प्रसाद सिन्हा** (हज़ारीबाग पूर्व) : पंच वर्षीय योजना में बताया गया है कि देश के संसाधनों का प्रभावी और सन्तुलित ढंग पर उपयोग किया जाये। यह नीति कोयले के उपयोग के सम्बन्ध में भी लागू की गई है। धातु कर्मिक कोयले का सुरक्षण करने के हे सरकार ने कोयला खान (सुरक्षण तथा बचाव) अधिनियम १९५२ पारित किया था। कोयले की समस्याओं पर व्यापक दृष्टिकोण से विचार करने के लिये एक कोयला बोर्ड नियुक्त किया गया था। बोर्ड ने पहला कार्य यह किया कि द्वितीय श्रेणी तक के धातुकर्मिक कोयले के निकाले जाने पर पैंगिंग प्रणाली (खूटियां लगा कर निर्धारित करना) लागू कर दी। जिसका परिणाम यह हुआ कि कोयले के उत्पादन में कमी होने लगी। लेकिन साथ ही खानों पर कोयले का संग्रह बढ़ता गया। उनको भेजने में विलम्ब होने लगा। इस सब का परिणाम यह हुआ है कि उद्योग का विकास रुक गया है। खानों के मालिक खानों को चलाना लाभप्रद नहीं समझते। वे मजदूरों की छंटनी करके बेकारी बढ़ा रहे हैं।

मैं पैंगिंग के विरुद्ध नहीं हूं लेकिन जिस प्रकार उस का प्रयोग किया गया हैं मैं उससे सहमत नहीं हूं। आप प्रत्येक खान के लिये लक्ष्य निर्धारित कर दीजिये परन्तु इस प्रकार कीजिये जिससे असंतोष न बढ़े।

दूसरी बात यह है कि खानों पर कोयले का संग्रह बढ़ रहा है। जब कि उत्तरी, पश्चिमी और दक्षिणी भारत में कोयले का अकाल सा पड़ा हुआ है तब कोयला इतनी अधिक मात्रा में खानों पर ही क्यों पड़ा है? इसका कारण यह है कि कोयला भेजने के लिये डब्बों की कमी है। उपकर बढ़ा दिये गये हैं। बाजार मन्दा हो गया हैं। आस्ट्रेलिया हमारे कोयले से प्रतियोगिता करने लगा है। इन सब बातों के अतिरिक्त छोटे छोटे उत्पादकों को डब्बे उपलब्ध नहीं हो पाते बड़े बड़े उत्पादक सारे डब्बे ले लेते हैं। इस प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिये। जो भी इस उद्योग में लगा हुआ है उसे सब के बराबर ही सुविधाएं दी जानी चाहियें।

१ अप्रैल के पश्चात् से सरकार ने कोयले की खानों नियंत्रण और प्रबन्ध अपने में ले लिया है। उसने ठेकेदारी प्रथा समाप्त कर दी है

[श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा]

१९५२-५३ में सरकार को कोयला खानों से ६१ लाख रुपये का लाभ हुआ था और कदाचित् इस वर्ष भी हो । मैं पूछता हूं तब मजदूरों की छंटनी क्यों की जा रही है ? गिरडिह क्षेत्र की कोयला खानों से ५५८ खनिक निकाल दिये गये थे । उनकी छंटनी के सम्बन्ध में भी भेदभाव किया गया था । सबसे बाद में आने वालों में से सब को नहीं निकाला गया था । हेटला, जाटकुटी आदि स्थानों पर काम आरम्भ हो गया है फिर भी, पहले निकाले गये खनिकों को काम पर नहीं लगाया जा रहा है । ऐसा नहीं किया जाना चाहिये । छंटनी किये गये खनिकों को पहले काम दिया जाना चाहिये ।

तथ्यान्वेषी समिति ने सिफारिश की है कि और आगे छंटनी करने की गुंजाइश है । लेकिन मेरा निवेदन है कि जब उसने यह सिफारिश की थी तब से अब तक परिस्थितियां बहुत बदल गई हैं अत उसकी सिफारिश को अब कार्यान्वित नही किया जाना चाहिये । इससे बेकारी बढ़ जायेगी । मुझे प्रसन्नता है कि खनिकों की नौकरी की शर्तों में परिवर्तन नहीं किया जायेगा तथा उनकी शिकायतों की सुनवाई होगी।

पंडित एस० सी० मिश्र (मुंगेर उत्तर-पूर्व) : उत्पादन मंत्रालय के लिये १२० करोड़ रुपये की कुल धन राशि स्वीकृत की गई है किन्तु काम कुछ भी नहीं हो रहा है । हमें आश्वासन दिया जाता है कि धैर्य रखे रहो, उत्पादन कार्य निश्चय ही प्रगति करेगा किन्तु मुझे तो ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी पूंजी अवरुद्ध पड़ी हुई है । मुझे उत्पादन मंत्री से कोई शिकायत नहीं है किन्तु उत्पादन मंत्रालय से बहुत सी शिकायतें हैं ।

पूंजी तथा मशीनों की सहायता से निश्चय ही उत्पादन अधिक होता है किन्तु यदि हमारे पास अधिक मशीनें और यन्त्र न हों तो क्या हम हाथ पर हाथ रखे बैठे रहेंगे ? हमें तो, जो कुछ भी थोड़े-बहुत यन्त्र हमारे पास हैं, उन्हीं से अपना काम करना चाहिये । बेकार बैठे रहने से कोई लाभ नहीं । यदि हम उतने ही साधनों का उचित उपयोग करते रहें तो भी हम समझेंगे कि वास्तव में हम कुछ कर रहे हैं ! हमें अपने दोनों हाथों का ही बहुत काफी सहारा है । वे बहुत-कुछ कर दिखा सकते हैं । एक ओर तो हमें पूंजी में वृद्धि करने तथा दूसरी ओर किसी भी प्रकार कुछ साधन जुटाने का प्रयत्न करना चाहिये । वित्त मंत्री तथा उत्पादन मंत्री को मिल-जुल कर कार्य करना चाहिये जिससे अधिकाधिक पूंजी उत्पन्न करने के साधन खोजे जा सकें । हमें ऐसी योजना बनानी चाहिये कि जिससे देश का कोई भी व्यक्ति बेकार न रहे किन्तु आज होता यह है कि कुछ लोग तो उत्पादन करते हैं और अधिक लोग बेकार हैं । जब तक वित्त मंत्री तथा उत्पादन मंत्री के साथ अन्य मंत्रिगण भी मिल कर कार्य नहीं करेंगे तब तक देश की उन्नति नहीं हो सकती । अतः सम्मिलित होकर कार्य करने की आवश्यकता है ।

श्री हेम राज (कांगड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है । मेरे से पहले जो भाई बोल रहे थे वह तो यह ख्याल कर रहे थे कि मानों हिन्दुस्तान में आज तक कुछ बना ही नहीं । मैं समझता हूं कि जिस तरह से जौंडिस

(पीलिया) वाले को हर चीज पीली मालूम होती है उसी तरह उन महाशय को सारे देश भर में कोई चीज़ बनी हुई नज़र नहीं आती उन्हें हर चीज़ पीली नज़र आती है। मेरा ख्याल है कि वह लाल टोपी भी छोड़ आये हैं, वह पीली टोपी लगा कर आते तो उनको सारी चीज़ें नजर आतीं। उनको साफ तौर पर नज़र आ सकता है कि जहां तक उन किसानों का मामला है उस सम्बन्ध में जो सिन्दरी फर्टिलाइज़र्स फैक्टरी (सिन्दरी उर्वरक निर्माणशाला) बनायी गयी है उसने अपना प्रोडक्शन (उत्पादन) का काम यह रिपोर्ट ज़ाहिर करती है कि ३१ अक्तूबर सन् ५१ में शुरू किया और सन् ५१ के दो महीनों में उसने ७४४५ टन कीमियाबी खाद तैयार की, सन् १९५२ में उसकी मिक़दार १७२,५१४ टन पहुंच गयी और सन् १९५३ में वह २६५,७०४ टन पहुंच गयी है। मैं अर्ज़ कर रहा था कि उनको प्रोडक्शन की फील्ड (उत्पादन के क्षेत्र) में यह बढ़ोतरी नज़र नहीं आती, उनको तो बस एक चीज़ नज़र आ रही है कि हिन्दुस्तान में कोई चीज़ नहीं बनी। मैं अपने मिनिस्टर महोदय को इस प्रोग्रेस (उन्नति) के लिये बधाई देना चाहता हूं लेकिन उसके साथ २ मैं उनका ध्यान अपने पहाड़ी इलाक़े की तरफ भी मबजूल कराना चाहता हूं। जिस वक्त हमारे इस देश का बंटवारा नहीं हुआ, था, उस वक्त यह राक साल्ट या सेंधा नमक वह सारा का सारा पंजाब से आया करता था और ख्योड़ा खान से नमक निकला करता था लेकिन जिस वक्त हिन्दुस्तान की तक़सीम हुई और खेवरा पाकिस्तान में चला गया, उसके बाद अब सारे भारतवर्ष में सिर्फ मंडी की खानें ही सेंधा नमक की खानें हैं और यह खानें तीन जगह गोमां, दरंग और मैंगल में ही पायी जाती हैं। मैंगल में खारी पानी के चश्मे भी हैं जिनका पानी नालों में बह कर व्यर्थ जाता है। यहां पर जो नमक पाया जाता है उसकी खपत खास तौर पर हमारे पहाडी इलाके में है। यह जो नमक है यह पहाड़ से नहीं निकलता बल्कि वहां खारी पानी के कुछ चश्में हैं और जैसा कि माननीय सदस्य ने पहले बतलाया मैंगल का चश्मा है और वहां पर नमक का पानी बह रहा है और इसके मुताल्लिक साल्ट एक्सपर्ट कमेटी (नमक विशेषज्ञ समिति) ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है जिसका सारांश यह है कि यदि खारे पानी का उपयोग किया जाय तो उससे ९९ प्रतिशत शुद्ध नमक मिल सकता है जिसकी मात्रा १०,००० से १२,००० टन प्रति वर्ष होगी। यह मात्रा तीनों खानों की उत्पत्ति से दो या तीन गुनी होगी और लोग इसे पसन्द भी अधिक करेंगे। मैंने इसके मुताल्लिक कुछ सवालात भी इस सदन में रक्खे थे और उनके उस वक्त माननीय मंत्री ने जो जवाबात दिये उनसे मुझे ऐसा मालूम होता है कि उनको इन माइन्स के निकालने के लिये और इनको तरक्की देने के लिये कुछ ज्यादा उत्साह नहीं है। मेरे एक सवाल के जवाब में उन्होंने यह फ़रमाया था कि चट्टानों में छिद्रण कार्य प्रारम्भ किया गया था किन्तु कुछ कठिनाइयों के कारण पूरा नहीं हो सका अतः रोक देना पड़ा। अब सरकार ने एक कार्यक्रम बनाया है और इसमें उन्नति हो रही है। यह कहना कठिन है कि यह कार्य कब तक समाप्त होगा। मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि आज तीन साल हो गये हैं और आपने अपने फ़ाइव इयर प्लान (पंचवर्षीय योजना) में भी इन मंडी माइन्स को डेवेलप (उन्नति) करने के लिये एक करोड़ रुपये की व्यवस्था की है।

[श्री हेम राज]

४ म० प०

और उसके बाद जो आपने ५२, ५३ में प्रावीजन किया था और ५३, ५४ में प्रावीजन किया था, एक बार एक लाख और दूसरी बार १० लाख उस में से ३५,४२४ रुपया १३ आना ६ पाई और १९,५१५ रुपये १३ आना ६ पाई खर्च किया गया। इससे पता चल रहा है कि इन मंडी माइन्स को डेवलप करने की आपकी मिनिस्ट्री की रफ्तार बहुत सुस्त है और बहुत ज्यादा कमजोर है। आपने नमक की प्योरिटी ९३ और ९४ पर सेंट के बीच में रखी है। मगर यह मंडी माइन्स का नमक आपको ९९ प्रतिशत प्योरिटी का मिल सकता है। इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि इसके मुताल्लिक ज्यादा से ज्यादा ध्यान देकर आप इन माइन्स को डेवेलप करें।

मुझे आपके एक सवाल के जवाब से एक शक पैदा हो गया है। आपने एक सवाल के जवाब में फरमाया था कि :

"सेंधा नमक के सम्बन्ध में सरकार विशेषज्ञों की सम्मति से सन्तुष्ट है कि शुद्ध नमक जो हमें काफी मात्रा में उपलब्ध है वह सभी कार्यों के लिये उतना ही अच्छा है जितना कि सेंधा नमक।"

आपके जवाब से यह पता चल रहा है कि जो आपका नमक का टारगेट (उद्देश्य) था वह तो पूरा हो गया है। गालिबन इस वजह से मंडी माइन्स को डेवेलप करने का आपके दिल में ज्यादा जोश नहीं है।

इसके साथ साथ मैं एक बात की तरफ और आप की तवज्जह दिलाना चाहता हूं। वह यह है कि आपके जितने भी साल्ट के कारखाने हैं वहां पर आपने मजदूरी वगैरह हर एक चीज का अन्दाजा लगाकर नमक की कीमत मुकर्रर की है। मगर जहां तक मंडी माइन्स का ताल्लुक है आपने किसी चीज का अन्दाजा नहीं लगाया और राक साल्ट का दाम २ रुपया मन और ब्राइन साल्ट का दाम ४ रुपया मन मुकर्रर कर दिया। यह कांगड़ा वैली, कुलू वैली, हिमाचल प्रदेश और काश्मीर का इलाका बहुत गरीब इलाका है। यहां के लोग गरीब हैं। इसके मुताल्लिक मैंने आप को याददहानी के लिए एक चिट्ठी भी भेजी थी कि नमक के प्राइस स्ट्रक्चर को फिर से एग्जामिन किया जाय और उसके बाद कीमत मुकर्रर की जाय।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** पीठासीन हुये]

एक और चीज की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं और वह यह है कि इस समय तक भी आपका नामिनी सिस्टम (नामनिर्देशन प्रणाली) जारी है। आज नमक के लिहाज से हिन्दुस्तान पूरे तौर पर अपनी जरूरतों को पूरा कर सकता है। साथ ही आप ८० लाख मन नमक बाहर भी भेजने के काबिल हो गये हैं। फिर पता नहीं चलता कि अब भी यह नामिनी सिस्टम क्यों जारी है और क्यों हर एक को इजाजत नहीं दे दी जाती कि वह खुला नमक मंगवा सकता है और बेच सकता है।

मुझे आशा है कि मेरी इन बातों पर आप ध्यान देंगे और इन मंडी माइन्स को जल्दी से जल्दी डेवेलप करने की कोशिश करेंगे। अब तो जोगेन्द्र नगर तक रेलवे लाइन खुलने वाली है। इसलिए अगर यह मंडी माइन्स डेवेलप हो जायेंगी तो इनका नमक पंजाब, पेप्सू और हिमाचल प्रदेश का जो सारा इलाका है उसको मिल सकेगा। यह चीज आप के यहां की साल्ट कमेटी की रिपोर्ट में भी दी हुई है कि इस इलाके के

लिए इस नमक का हासिल करना ज़रूरी है ।

अभी हमारे सोढिया साहब ने कहा कि उन को दवा के लिए राक साल्ट की ज़रूरत थी और वह उन को नहीं मिल सका । तो अगर आप इसको डेवेलप करेंगे तो यह दवा के काम में भी इस्तेमाल हो सकेगा ।

श्री पी० सी० बोस (मानभूम—उत्तर): उत्पादन मंत्रालय अभी नव-निर्मित मंत्रालय है । इसके अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के उद्योग तथा कारखाने हैं । अत: इसको बड़ी अच्छी प्रकार से चलाने की आवश्यकता है अन्यथा बहुत सी कठिनाइयां उपस्थित हो जायेंगी ।

हमारी सरकार मिश्रित अर्थ-व्यवस्था में विश्वास करती है । सभी उद्योगों के लिये वह निगमों की व्यवस्था कर रही है । संचालक बोर्ड में कुछ सरकार के प्रतिनिधि रखे गये हैं और कुछ वे लोग जिनका उसमें अंश है । इस प्रकार दुहरा शासन हो जाने से बड़ी गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है जैसा कि हम कोयला उद्योग में देख चुके हैं । मज़दूरों को ऐसी व्यवस्था में अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है क्योंकि वे यह नहीं जान पाते कि उनका असली मालिक कौन है । यही कठिनाई मिश्रित बोर्ड में भी उत्पन्न हो सकती है । इस सम्बन्ध में मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा । किसी फर्म के मैनेजर ने जाड़े की रात्रि में माल लदवाने के लिए मज़दूरों को एक रुपया प्रति डब्बा अधिक देने का वचन दिया क्योंकि माल रोकने से उसका हर्जाना देना पड़ता । अन्त में इसका परिणाम यह हुआ कि विभाग के अध्यक्ष ने इस पर आपत्ति की कि मैनेजर ने पहले से अनुमति क्यों नहीं ली थी। मैनेजर को उसके पद से हटा दिया गया और मज़दूरों की बढ़ी हुई मज़दूरी नहीं दी गई । हड़ताल करने की धमकी देने पर ही फिर मज़दूरों की मांग पूरी की गई और मैनेजर को पुन: उसी पद पर नियुक्त किया गया ।

ऐसी अवस्था में कार्य का उत्तर-दायित्व किसी एक व्यक्ति पर नहीं रहता है । मैनेजर समझता है कि उसे कुछ भी अधिकार नहीं है । सरकार यह सोचती है कि संचालक बोर्ड में अच्छे अच्छे व्यवसायी हैं हीं अत: जो भी आवश्यक समझेंगे वे स्वयं ही कर लेंगे । वे यह समझते हैं कि मालिक तो सरकार है हम क्यों चिन्ता करें । ऐसे निर्माण कार्यों में यही कठिनाई रहती है । अत: सरकार को कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि जिससे इनमें सरकार का नियंत्रण रहे और स्थानीय व्यक्ति इस कार्य को चलाने में अगुवाई करें । अब दो युनियनें बन जाने से उनमें आपस में झगड़ा होता है । उनको यह पता नहीं कि उनके झगड़ों का निबटारा कौन करेगा क्योंकि मैनेजर समझता है कि उसे इतना अधिकार नहीं, सरकार समझती है कि संचालक-बोर्ड में कुशल व्यवसायी हैं हीं वे सब ठीक कर लेंगे और सभापति के पास इन सब चीज़ों पर विचार करने का समय ही कहां । मैं आशा करता हूं कि उत्पादन मंत्रालय इन सब चीज़ों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेगा और उचित ध्यान देगा ताकि इन कठिनाइयों को दूर किया जा सके ।

श्री मुनिस्वामी (टिंडिवनम्) : मैं माननीय मंत्री को इस देश के बड़े नमक निर्माताओं तथा छोटे नमक निर्माताओं के लिये लागू नियमों में अन्तर के बारे में कुछ उदाहरण बताना चाहता हूं, विशेषकर मद्रास राज्य के ।

[श्री मुनिस्वामी]

दक्षिण आरकाट जिले में एक स्थान है जिसका नाम मरक्कणम है जहां १०० एकड़ से अधिक भूमि पर नमक बनाया जाता है। वहां कुछ छोटे छोटे निर्माता भी हैं जिन पर विद्यमान नियम लागू नहीं होते। १९५३ में एक दक्षिण आरकाट जिले के सुपरिन्टेन्डेंट ने एक नमूने के तौर पर परीक्षा की थी जिसमें अधिकारियों ने समानता नहीं रखी। उसने १० जगह के नमक की परीक्षा की और उसे ठीक पाया। बाद को अभ्यावेदन किया गया जिस के परिणामस्वरूप पहले जिस नमक को बेचने की अनुमति नहीं थी उसका ५० प्रतिशत बेचने की अनुमति दे दी गई। कहने का तात्पर्य यह है कि बड़े उत्पादकों के साथ पक्षपात किया जाता है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इस पर ध्यान दें।

परीक्षा करने के लिये जो अधिकारी आते हैं वे भी बड़े २ निर्माताओं के पास जाते हैं। छोटे छोटे निर्माताओं से नमूना मांगा जाता है और उसमें गड़बड़ी कर दी जाती है। जब सहायक आयुक्त को इसका पता लगा तो उसने परीक्षा करने के लिए कहा। आठ ढेरों में से नमूने लिये गये और एक थैले में रख लिये गये थे, तत्पश्चात् तीन-चार नमूने बोटों में से लिये गये थे। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह इसकी जांच करें।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि नालियां तथा नमक बनाने की जगहें व सड़कों की देख-भाल ठीक प्रकार से नहीं की जाती है। छोटे उत्पादकों के साथ एक अन्याय यह भी हो रहा है कि बहुत से बिना लाइसेंस वाले लोग भी नमक बना कर प्रतिद्वंदिता करते हैं। सरकार ने अभी तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं की है। इस प्रकार लाइसेंस प्राप्त लोग इन का सामना नहीं कर सकेंगे।

लिगनाइट की खानों के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि कुछ मशीनें भारत सरकार ने देने के लिए कहा था किन्तु पुर्जे न मिल सकने के कारण वह नहीं मिल सकीं जैसा कि मद्रास सरकार ने अपने प्रतिवेदन में कहा है। १९५२-५३ के प्रतिवेदन में कहा गया है कि कुछ खोदने वाली मशीनें उपलब्ध हो गई हैं। मैं स्वयं उस स्थान पर गया था और देखा कि काम ठीक से नहीं हो रहा है। सदन में प्रश्न पूछे जाने पर माननीय मंत्री ने उत्तर दिया कि फालतू पुर्जे तथा मशीन लिग-नाइट की खानों को भेज दी गई हैं।

दूसरी कठिनाई श्रम की है। उसकी दशा बड़ी खराब है। मंत्री जी ने यह उत्तर दिया था कि यह राज्य का प्रश्न है और सरकार इस सम्बन्ध में अभी कुछ नहीं कर सकती। लिगनाइट की खानों का भविष्य बड़ा उज्ज्वल है और ठीक से कार्य करने पर कम कीमत में २०,००० टन से भी तीन चार गुना अधिक लिगनाइट निकाला जा सकता है। लिग-नाइट की महत्ता को देखते हुये माननीय मंत्री को इन सब बातों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। बहुत से मज़दूर वहां बेकार हैं, बहुत सी मशीनें तथा फालतू पुर्जे काम के योग्य नहीं हैं अतः शीघ्रता करने की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार को इसे अपने हाथ में ले लेना चाहिये, राज्य सरकार के ऊपर छोड़ देना ठीक नहीं।

श्रीमती सुषमा सेन (भागलपुर दक्षिण): मुझे डा० साहा से यह सुनकर वास्तव में

आश्चर्य हुआ है कि इस नवजात उत्पादन मंत्रालय ने पर्याप्त उत्पादन नहीं किया है। भूमिका से हमें पता चलता है कि ग्यारह के लगभग उद्योग हाथ में लिए जा चुके हैं। और अभी हाल में जो उड़ीसा में इस्पात का कारखाना लगाने का काम हाथ में लिया गया है उस पर तो हमें गर्व होना चाहिये। इसी प्रकार बिहार में स्थित सिन्द्री फैक्टरी भी गर्व करने की चीज है। किन्तु मैं माननीय मंत्री से यह निवेदन अवश्य करूंगी कि बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिये प्रयत्न किया जाए।

दूसरा विषय जिस पर मैं कुछ कहना चाहती हूं हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी का है। यह अच्छा हुआ कि पूर्वनिर्मित मकानों सम्बन्धी योजना को त्याग दिया गया और उसके स्थान पर दूसरा काम चालू कर दिया गया। इस काम का नमूना हमें कम लागत मकानों की प्रदर्शनी में देखने को मिला है।

उत्पादन मंत्री(श्री के० सी० रेड्डी) : सर्व प्रथम मैं उन सदस्यों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस मंत्रालय के काम की प्रशंसा की है तथा सुधार के हेतु सुझाव दिए हैं। जो कुछ शिकायतें की गई हैं उनको भी मैंने नोट कर लिया है तथा उन के विषय में पर्याप्त छानबीन के पश्चात उचित कार्यवाही की जाएगी।

इस मंत्रालय को बने लगभग दो वर्ष हुए हैं। देश के औद्योगिक विकास के लिए सरकार ने मिश्रित अर्थ-व्यवस्था की नीति को अपनाया है। इसका अर्थ यह है कि इसका उत्तर दायित्व निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों पर रहेगा। यद्यपि अभी तक यह काम मुख्यतः निजी क्षेत्र द्वारा ही किया जा रहा है किन्तु सरकार ने भी कुछ एक बडे बड़े उद्योगों को चालू करने और उनका विकास करने का बीड़ा उठाया है। सरकार की औद्योगिक नीति का स्पष्टीकरण उनके १९४८ के संकल्प में कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त १९४९ में प्रधान मंत्री द्वारा भी इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया गया था। देश के औद्योगिक विकासार्थ उसी नीति का अनुसरण किया जा रहा है। उसी पृष्टभूमि पर ही पंचवर्षीय योजना को अपनाया गया और इस योजना के अन्तर्गत ही यह विकास कार्य चल रहा है और हमें इसकी प्रगति पर बहुत कुछ संतोष है।

श्री **मेघनाद साहा** : बहुत असंतोषजनक।

श्री के० सी० रेड्डी : संभवतः माननीय सदस्य की यह धारणा है कि प्रथम पंच वर्षीय योजना ही असंतोषजनक है। हो सकता है कि उक्त योजनाके निर्धारित लक्ष्य ही उनकी प्रत्याशाओं और इच्छाओं के अनुकूल न हों, परन्तु वह तो एक दूसरी बात है। उन लक्ष्यों के अन्तर्गत हमारा कार्य संतोषजनक रीति से चल रहा है। और मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह मंत्रालय सरकारी क्षेत्र में देश के औद्योगिक विकास के कुछ भाग के लिए ही उत्तरदायी है। उक्त क्षेत्र के सभी उद्योग इसके अधीन नहीं हैं। उदाहरणतया, रक्षा सम्बन्धी सभी उद्योग, जैसा कि आर्डनेंस फैक्टरियां हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटिड इत्यादि, रक्षा मंत्रालय के अधीन हैं। भारतीय टेलीफोन इन्डस्ट्रीज़ संचार मंत्रालय के अधीन है। चित्तरंजन इंजन फैक्टरी तथा डिब्बा निर्माण फैक्टरी रेलवे मंत्रालय के अधीन हैं। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि उत्पादन मंत्रालय के पास पर्याप्त काम नहीं है। दिन प्रति दिन अधिकाधिक उद्योगों को सरकारी क्षेत्र में लाने और

[श्री के० सी० रेड्डी]

उन्हें बढ़ावा देने का सामान्य उत्तरदायित्व इसी मंत्रालय पर रहता है । इस विषय में हम पर केवल एक ही प्रतिबन्ध रहता है, अर्थात् हमारे वित्तीय संसाधन और इन योजनाओं को एक एक करके चालू कर सकने की हमारी क्षमता ।

श्री मेघनाद साहा ने यह सुझाव दिया है कि हम निकट भविष्य में कुछ एक मूल प्रकार के उद्योग चालू करें । उन्होंने एल्यूमीनियम उद्योग, भारी मशीनरी उद्योग, मूल रसायन उद्योग इत्यादि की ओर निर्देश किया है । मैं मानता हूं कि यह उद्योग हमारे देश की अर्थव्यवस्था में बहुत कुछ महत्व रखते हैं ।

जहां तक अल्यूमीनियम उद्योग का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य को मालूम होगा कि दामोदर घाटी क्षेत्र में एक अल्यूमीनियम का कारखाना चालू करने का प्रस्ताव है । यद्यपि इस प्रस्ताव के बारे में निश्चित रूप से अभी कुछ तय नहीं किया गया है, तथापि अल्यूमीनियम उद्योग की आवश्यकता को हम पूर्ण रूप से महसूस करते हैं और सरकार इस बात को भली प्रकार समझती है कि अल्यूमीनियम का उत्पादन बढ़ाया जाए ।

रसायनिक उद्योग के सम्बन्ध में, मैं इस बात को मानता हूं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग है । इस समय देश में अल्यूमीनियम का उत्पादन बहुत कम है और निकट भविष्य में ही इस उद्योग को विकसित करने की बहुत आवश्यकता है । किन्तु इस समय इस उद्योग का विकास करने की जिम्मेवारी ग़ैर-सरकारी श्रेत्र की है । मेरे माननीय मित्र श्री मेघनाद साहा कदाचित इस दृष्टि के हैं कि गैर-सरकारी उपक्रम असफल रहा है और इस उद्योग को सरकार द्वारा ले लिया जाना चाहिए । हो सकता है कि कुछ हद तक यह असफल रहा हो किन्तु हमें इन चीज़ों में बहुत सी बातों का ख्याल करना पड़ता है । गैर-सरकारी उपक्रम में क्या सम्भावनाएं होंगी, सरकारी उपक्रम में क्या सम्भावनाएं होंगी, किस परिस्थिति में क्या दशा होगी इत्यादि सभी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है ।

जहां तक बड़ी मशीनों के निर्माण के उद्योग का प्रश्न है, मैं उनसे बिलकुल सहमत हूं कि हमें इस पर गम्भीर रूप से विचार करना चाहिये । वास्तव में, बिजली के बड़े सामान की फैक्टरी की स्थापना के साथ हम इस ओर कदम उठा चुके हैं । इस बात को महसूस करते हुए कि देश में चल रही विभिन्न परियोजनाओं से इतनी बिजली उत्पन्न होने वाली है और यह देखते हुए कि इस क्षेत्र में हमारा बड़ा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है । हम ने यह अनुभूत किया कि इस क्षेत्र में अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए हमें विदेशी आयातों पर बहुत अधिक निर्भर नहीं रहना चाहिए । इसलिए पिछले वर्ष हमने इस सवाल पर विचार किया । यद्यपि प्रथम पंच वर्षीय योजना में इसके लिए कोई उपबन्ध नहीं किया गया है । यह महसूस किया गया कि ऐसा उपबन्ध किया जाना चाहिए और बिजली का बड़ा सामान बनाने के लिए ७ करोड़ रुपए का उपबन्ध करके इस दिशा में कदम उठाया गया । इस फैक्टरी के लिए हम ने प्रसिद्ध विदेशी फर्मों से अपनी रिपोर्टें देने को कहा जो प्राप्त हो चुकी हैं और सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन हैं । आशा है कि इस फैक्टरी की स्थापना

के सम्बन्ध में आगामी कुछ मासों में हम कोई निश्चित घोषणा कर सकेंगे।

श्री मेघनाद साहा ने एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया जिसका मैं विशेष रूप से ज़िक्र करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि मूल उद्योगों में हमारी "टेकनीकल स्वायत्तता" होनी चाहिए। उन्होंने इस सम्बन्ध में हमारे विदेशों पर निर्भर रहने में चेतावनी दी साथ ही उन्होंने यह भी बतलाया कि रूस भी अपने आयोजन काल के प्रारम्भिक वर्षों में विदेशी टेकनीकल सहायता पर निर्भर रहा था और इसी सहायता के बल पर अपने अनेक उद्योगों का निर्माण कर सका था। उन्होंने इस सम्बन्ध में रूस में स्थापित प्रथम दो या तीन लोह व इस्पात के कारखानों का ज़िक्र किया। वास्तव में भारत सरकार द्वारा इस समय अनुसरित की जाने वाली नीति का यही स्पष्टीकरण है जहां भी भारत सरकार ने विदेशी फ़र्मों के सहयोग में कार्य करना निश्चित किया है वह टेकनीकल ज्ञान प्राप्त करने के सिलसिले में ही किया है, और किसी प्रयोजन से नहीं। जब सरकार यह समझेगी कि हमारे देश में उद्योगों के निर्माण के लिए अपेक्षित टेक्नीकल क्षमता उपलब्ध है, तब सरकार अवश्य ही देशी वैज्ञानिक ज्ञान और टक्नीकल व्यक्तियों पर निर्भर रहेगी। यही कारण है कि सरकार ने विदेशी फर्मों से देश में उद्योगों की स्थापना करते समय इस का उत्तरदायित्व भी उनके ऊपर रक्खा है कि वे भारतीयों को यथासम्भव शीघ्र ही प्रशिक्षित करें।

इस चीज़ की काफी आलोचना की गई है कि नया इस्पात का कारखाना खोलने में हमने जर्मन फर्म से सहकार किया है। सर एम० विश्वेसरैया तक ने जो औद्योगिक क्षेत्र में भारत के गिने माने वयोवृद्ध हैं, कहा कि नए इस्पात के कारखाने के लिए हमें विदेशी टेकनीकल व्यक्तियों की सहायता नहीं लेनी चाहिए थी।

यदि हम देश के इस्पात के दोनों बड़े कारखानों की ओर देखें, तो मालूम होगा कि प्रारम्भ में इन्हें भी विदेशी सहायता पर निर्भर रहना पड़ा था और आज भी, कुछ मामलों में, विदेशी परामर्शदाता उनके यहां मौजूद हैं। इसलिए हमने जो विदेशी सहकार प्राप्त किया है वह अपरिहार्य था। इसके साथ-साथ यह भी स्मरण रखना चाहिए कि हमने इस समझौते में यह बात भी उपबन्धित की है कि हमारे यहां के लोगों को टेकनीकल ज्ञान में प्रशिक्षित किया जाएगा जिस से कि भविष्य में जो इस्पात का कारख़ाना हम खोलने वाले हैं उसके लिए हमें बाहर से टेक्नीकल सहायता मंगाने की आवश्यकता न पड़े। इस सम्बन्ध में मैं यह भी बतला दूं कि समस्त डिजाइन तथा अन्य सामग्री इस कम्पनी की ही सम्पत्ति होगी जिसका हम कभी भी प्रयोग कर सकेंगे।

श्री मेघनाद साहा ने लोह व इस्पात के टेक्नोलोजिस्टस का एक ब्यूरो खोलने का सुझाव दिया जिस से कि उन्हें डिजाइन बनाने, फैक्टरी निर्मित करने तथा फैक्टरी के कार्यकरण आदि के कामों में जर्मन फर्म के साथ सम्बद्ध कर दिया जाए और वे कारखाने के समस्त प्रक्रमों पर जर्मन टेक्नीशियनों के साथ सम्बद्ध रहें। उनके इस सुझाव पर पूरा गौर किया जाएगा। सिद्धान्ततः हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

एक बात यह उठाई गई कि जो लोग विभिन्न औद्योगिक उपक्रमों में सेवायुक्त हैं उन्हें एक स्थान से दूसरे पर क्यों

[श्री के० सी० रेड्डी]

स्थानान्तरित किया जाता है। मैं नहीं समझता कि तर्क यह किया जा रहा है कि यदि कोई व्यक्ति किसी विशिष्ट फैक्टरी में नियुक्त हो तो वह सदा वहां ही रहा आए। कुछ बातों में इस प्रकार का परिवर्तन न केवल सम्बन्धित व्यक्ति के लिए वरन् सम्बन्धित उद्योग के लिए भी लाभप्रद हो सकता है। जिस व्यक्ति को कुछ औद्योगिक अनुभव प्राप्त हुआ हो . . . . .

श्री सारंगधर दास : (ढेनकनाल-पश्चिम कटक) किन्तु उसे तो वापिस आते ही वायु-निगम में स्थानांतरित कर दिया गया।

श्री के० सी० रेड्डी : मैं इस विशेष मामले के विवरण नहीं लेना चाहता, परन्तु यह देखकर कि यह तबादला सम्बंधित व्यक्ति को भी अच्छा लगेगा, उसे दूसरे राज्य औद्योगिक उपक्रम—वायु-निगम-(एयरलाइन्स कारपोरेशन)—में भेज दिया गया।

श्री मेघनाद साहा : म बता दूं कि इस व्यक्ति का सिंदरी में संभावित सहायक उद्योगों का अध्ययन करने के लिए विदेश भेजा गया था और बाद में उसके उस अनुभव का लाभ उठाने के स्थान में उसे अन्य स्थानांतरित कर दिया गया।

श्री के० सी० रेड्डी : संबंधित व्यक्ति को अधिकांशत: प्रशासनिक अनुभव के कारण वहां रक्खा गया था अकेले प्राविधिक या औद्योगिक अनुभव के आधार पर नहीं। मिह (यूरिया) और तिक्तातु यूयित (अमोनियम नाइट्रेट) आदि के निर्माण की विभिन्न प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए विदेश भेजी गई टुकड़ी में दो अन्य प्रविधि-विशेषज्ञ व्यक्ति भी थे। रिपोर्ट तो है ही। साथ ही उस पदाधिकारी का अनुभव, उसके विचार और सुझाव भारत सरकार को आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध होते रहेंगे। वे प्राप्त न हो सकें ऐसी बात नहीं है और मैं ऐसा नहीं सोचता कि कोई व्यक्ति एक बार किसी औद्योगिक एकक का प्रभारी बना दिया जाए तो फिर वह सदैव वहीं पर बना रहे। उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है, और इससे जरूरी नहीं कि कुछ घाटा हो जाए।

इस संबंध में योजना आयोग द्वारा पहली पंच वर्षीय योजना में रखा गया एक प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है और उसके विषय में अभी तक हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंचे हैं। वह एक औद्योगिक पदाली (केडर) बनाने के विषय में है, जिसका आरंभ अभी कर दिया जाए और जो लगभग १० वर्ष के काल में बने और इसमें से विविध राज्य औद्योगिक उपक्रमों के लिए व्यक्ति प्राप्त हो सकें। आशा है शीघ्र एक निश्चय किया जा सकेगा, जिससे यह पदाली अगले ५ — १० वर्षों में खड़ी की जा सके और उससे हम विविध राज्य उपक्रमों के लिए व्यक्ति प्राप्त कर सकें।

पदाधिकारियों का एक स्थान से दूसरे स्थान को तबादिला एक ऐसा प्रशासनीय विषय है, जिस पर विशेष चर्चा नहीं की जा सकती। मैंने इस बारे में सरकार की नीति बता दी है और संसद सदस्यों आदि द्वारा दिए गए सुझावों को ध्यान में रखते हुए हम प्रत्येक विशिष्ट मामले में यथासंभव सब कुछ करने की कोशिश करेंगे।

अन्य माननीय सदस्यों द्वारा कही गई अन्य बातों का निर्देश करने के लिए मेरे

पास समय नहीं है । गत वर्ष में हमने नए इस्पात संयंत्र संबंधी योजना को अंतिम रूप दिया है, जिसके बारे में मेरी समझ में सारे सदन और देश को प्रसन्नता हुई है । इस बारे में मैं एक बात का उल्लेख करूंगा यद्यपि चर्चा में उसे नहीं उठाया गया है । नए इस्पात संयंत्र के बारे में चार राज्य मध्यप्रदेश उड़ीसा, बिहार, और बंगाल उत्सुक थे और यह बड़ा विवादग्रस्त प्रश्न था । मैं इस समस्या की प्रत्येक अवस्था की चर्चा न करके केवल एक बात का उल्लेख करूंगा, क्योंकि इससे बिहार में कुछ विवाद उठ खड़ा हुआ है । इस्पात संयंत्र के स्थान के बारे में जर्मन विशेषज्ञों की सिफारिशें यथाशीघ्र संबंधित सरकारों के पास भेज दी गईं थीं। पश्चिमी बंगाल, मध्यप्रदेश और उड़ीसा सरकारों ने ही इस विषय में अपने विचार भेजे और हमें बिहार सरकार का कोई विचार प्राप्त नहीं हुआ । ऐसी स्थिति में हमने पश्चिमी बंगाल, मध्यप्रदेश और उड़ीसा के प्रतिनिधियों को ही बुलाया । इससे बिहार में लोगों ने समझा है कि भारत सरकार ने उनकी बिलकुल अवहेलना कर दी है । यह सच नहीं है । और यदि कुछ गलतफहमी हो गई हो, तो मैं उसे दूर करना चाहूंगा !

श्री झूलन सिन्हा (सारन उत्तर) : क्या माननीय मंत्री को विदित है कि बिहार विधान-सभा में एक प्रश्न के उत्तर में बिहार सरकार ने कहा था कि भारत सरकार ने उसे नहीं बुलाया ?

श्री के० सी० रेड्डी : मैं यही तो बता रहा था कि भारत सरकार ने अंतिम अवस्था में बिहार सरकार को नहीं बुलाया क्योंकि उसने जर्मन स्मृतिपत्र की सिफारिशों के बारे में अपनी राय नहीं भेजी थी ।

श्री श्यामनंदन सहाय (मुजफ्फरपुर मध्य) : क्या द्वितीय इस्पात संयंत्र के बारे में जो विचाराधीन है, बिहार सरकार से परामर्श किया जायगा

श्री के० सी० रेड्डी : मैं द्वितीय इस्पात संयंत्र का उल्लेख इस समय न करके उचित समय पर करूंगा, क्योंकि मेरे कुछ संकेत करने पर सदन इसकी प्रगति के विवरण मुझसे मांगने लगेगा ।

कोयले के बारे म कुछ बातें कही गई हैं । श्री सिन्हा ने बताया कि कोयले का उत्पादन गिर गया है । हां, १९५३ में कोयले के उत्पादन में लगभग १ प्रतिशत की कमी हुई है । साथ ही उन्होंने धातु-कार्मिक कोयले के संरक्षण की नीति अपनाने की बात भी कही थी । इस बारे में कई समितियों ने जांच की है और सदन को विदित है कि उन्होंने धातु कार्मिक कोयले के संरक्षण के बारे में प्रभावी नीति अपनाने का समर्थन किया है । १९५२ में हम ने इन सिफारिशों को कार्यान्वित करना शुरू किया और इससे बहुत सीमा तक सुन्दर प्रतिफल निकले हैं । मैं आंकड़े बता कर सदन का समय नहीं लेना चाहता, पर धातुकार्मिक कोयले का उत्पादन काफी कम हो गया है । १९५२ के लिए लगभग ७९ लाख टन का लक्ष्य था और यह पूरा नहीं हुआ, केवल लगभग ७१·७ लाख टन कोयला निकाला गया । धातुकार्मिक कोयले के उत्पादन में कमी हो रही है । मैं कहूंगा कि यह अच्छा ही है । धातुकार्मिक कोयले के उत्पादन की इस कमी का प्रभाव देश में कोयले के समूचे उत्पादन पर भी पड़ता है । पर उत्पादन में कमी और गड्ढों में संचित हो जाने का कारण यातायात की कमी है । मैं इस विषय का निर्देश करते

[श्री क० सी० रेड्डी]

हुए काफी सचेत रहूंगा, क्योंकि कुछ लोगों की धारणा है कि कोयले के यातायात के लिए उपलब्ध किए गए डिब्बों की संख्या काफी ही नहीं, आवश्यकता से अधिक तक थी। मैं मानता हूं कि कुछ समय तक कोयलों के लिए उपलब्ध डिब्बों की संख्या आवश्यकता से अधिक रही। पर इस बात का उल्लेख करते हुए हमें एक बात का ध्यान रखना होगा। कोयले को उत्पादन स्थानों से खपत के सभी केन्द्रों तक ले जाने के लिए आवश्यक यह है कि डिब्बे सभी दिशाओं के लिए पर्याप्त संख्या में सब मिला कर नियमित रूप से उपलब्ध बने रहें। यह सच है कि मुगलसराय से नीचे की ओर जाने के लिए डिब्बे काफी ही नहीं कुछ समय तक तो आवश्यकता से अधिक मात्रा में उपलब्ध रहे, परन्तु मुगलसराय से ऊपर तथा अन्य लाइनों के बारे में स्थिति ऐसी न थी। इसी कारण उत्पादन बहुत कुछ सीमित हो गया है--करना पड़ा है--और इसी कारण गड्डों में कोयला संचित हो गया है। गड्ढों का भंडार लगभग ३० लाख टन अर्थात देश में कोयले की लगभग एक मास की खपत के बराबर है। इसे बहुत चिन्ताजनक तो नहीं माना जाना चाहिए, पर स्कंधों को कम करने के लिए यत्न अवश्य करना चाहिए और विशेषतः रसोई वाले कोयले और ईंट पकाने वाले कोयले के बारे में। इस बारे में कोयले के यातायात के लिए विशेष मात्राओं के आवंटन के लिए हाल में कुछ कार्यवाही की गई है, और आशा है कि कोयला-आयुक्त द्वारा की गई इस कार्यवाही के फलस्वरूप स्थिति सुधर जाएगी।

गिरिदीह कोयला-खान में छंटनी का निर्देश किया गया था। इस बारे में मुझे यही कहना है कि जब किसी स्थल विशेष पर कोयला न रहे, तो उस पर लगे हुए लोगों को न निकाला जाए, तो क्या किया जाए। श्री सिन्हा ने यह भी कहा था कि हेतला गड्ढे की खुदाई के समय इन लोगों को वहां लगा देना चाहिए। उनमें से कुछ लोगों को दूसरी जगह नौकरी दी गई थी और जिन्होंने वे शर्तें मान लीं, आराम से काम कर रहे हैं।

यह भी बताया गया था कि तथ्य निरुपिका समिति का प्रतिवेदन न माना जाए। हमारा विचार ऐसा तो नहीं है, पर व्यवहारतः वैध आदि कारणों से खत्ते में ही पड़ी हुई हैं, जिनको बताने की न जरूरत है और न समय ही है। छंटनी नहीं हुई है और मुझे खुशी है कि प्रभावित ४००० से अधिक व्यक्तियों में से अधिकांश को खपा दिया गया है और आज छंटनी करना उतना आवश्यक नहीं है जितना साल-दो साल पहले था।

नमक और बभ्रुअंगार (लिग्नाइट) के बारे में एक-दो शब्द कह दूं। लिग्नाइट के बारे में भारत सरकार द्वारा भेजी गयी पुरानी मशीनों ने भी मद्रास में पुरोगामी खदान में अच्छा काम किया है। प्राविधिक सहयोग प्राधिकार से भी कुछ मशीनों के दिलाने की व्यवस्था की गई थी और ५-६ लाख रुपए की मशीनें वहां पहुंच चुकी हैं और ४-५ लाख रुपए की मशीनें अभी और आने को हैं। पर मैं यह बात बता दूं कि सरकार इस योजना को पूरा करने के लिए कटिबद्ध है और उसे शीघ्र पूरा करने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी।

५ बजे म. प.

इस कार्य के लिए, योजना आयोग ने हाल में ही एक बैठक बुलाई थी और यह

निश्चय हुआ है कि इस परियोजना को सफल बनाने के लिए कार्यवाही होनी चाहिए

सभापति महोदय : अब मैं कटौती प्रस्तावों पर सदन का मत लूंगा ।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए ।

सभापति महोदय द्वारा मांग संख्या ८१, ८२, ८३, ८४ तथा १३२ मतदान के लिए प्रस्तुत की गईं तथा स्वीकृत हुईं ।

अधिक आयु विवाह प्रतिबन्ध विधेयक

श्री **डी० सी० शर्मा** (होशियारपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि अधिक आयु वालों के विवाहों पर प्रतिबन्ध लगाने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ ।

श्री डी० सी० शर्मा : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

मुफ्त, बलात् अथवा अनिवार्य श्रम निवारण विधेयक

श्री डी० सी० शर्मा (होशियारपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुफ्त, बलात् अथवा अनिवार्य श्रम के लिए दंड का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ ।

श्री डी० सी० शर्मा : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

भारतीय शस्त्रास्त्र (संशोधन) विधेयक

सभापति महोदय : अब सदन भारतीय शस्त्रास्त्र अधिनियम, १८७८ में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार करने के लिए प्रस्तुत किए गए श्री यू० सी० पटनायक के प्रस्ताव पर विचार करेगा ।

श्री यू० सी० पटनायक (घुमसूर) : सितम्बर १९१८ में भारतीय विधान परिषद् में प्रश्न रखा गया । स्वर्गीय सुरेन्द्रनाथ बनर्जी तथा माननीय वी० जे० पटेल ने परिषद् में भारतीय शस्त्रास्त्र अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता, आदि आदि पर प्रश्न किए । उसी मास में स्वर्गीय माननीय जी० एस० खापर्डे ने इस विषय पर एक गैर-सरकारी संकल्प पुरःस्थापित किया । उनके संकल्प में कहा गया था कि "यह परिषद् गवर्नर जनरल से सिफारिश करती है कि भारतीय शस्त्रास्त्र अधिनियम में संशोधन किया जाये ताकि इसे इस विषय पर ब्रिटिश विधान के समान बनाया जा सके ।" उन्होंने अपने भाषण में सारे तथ्यों का उल्लेख किया ।

वह चाहते थे कि भारतीय शस्त्रास्त्र अधिनियम अन्य देशों के विधान जैसा हो । सर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी आदि ने इस का समर्थन किया परन्तु सरकार ने इस का समर्थन नहीं किया और १९१९ में संशोधन करने वाला एक अन्य विधेयक प्रस्तुत किया जिस से स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ । १९२४ में भारतीय शस्त्रास्त्र अधिनियम के अन्तर्गत छूट सम्बन्धी नियम बनाये गये । १९४७ में स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत सरकार

[श्री यू० सी० पटनायक]

द्वारा भारतीय शस्त्रास्त्र नियम १९२४ की अनुसूची १ में दी गई छूटों को जारी रखने या वापस लेने के सम्बन्ध में राज्य सरकारों के मत मांगे गये । उत्तर प्राप्त होने पर भारत सरकार ने अनुसूची में परिवर्तन करने का निश्चय किया तथा इसके फलस्वरूप अनुबन्धित तालिका १ अगस्त, १९५० से नई तालिका से स्थानापन्न कर दी गई है । यह विशेष आदेश राजपत्र में पूर्णतया प्रकाशित नहीं किया गया था। केवल अध्यादेश भाग प्रकाशित हुआ था जिसका सम्बन्ध विशेषकर छूटों को वापस लेने से है । यह केवल लाइसेंस देने वाले प्राधिकारियों में परिचालित किया गया था । यह उन व्यक्तियों में भी परिचालित नहीं किया जिन्हें लाइसेंस की छूट मिली हुई थी । इसके परिणाम-स्वरूप, प्राचीन विधान सभा के कुछ सदस्य तथा कुछ अन्य व्यक्ति जिन्हें वे लाइसेंस मिले थे, अब भी उन्हें रखे हैं तथा वह नहीं जानते कि अध्यादेश से उनका अधिकार छिन गया है ।

श्रीमान्, अब मैं १९२४ में बने तथा १९५० में संशोधित हुए नियमों के विस्तार में नहीं जाऊंगा । पुराना अधिनियम अभी तक लागू है । इसमें केवल यह परिवर्तन हुआ है कि कुछ श्रेणियों से, जिनमें केन्द्रीय तथा राज्य विधान मण्डल के सदस्य सम्मिलित हैं जिन्हें शस्त्रास्त्र रखने के लिए छूट मिली हुई थी, यह विशेषाधिकार वापस ले लिया गया है ।

इस बीच में, मैं महसूस करता हूं कि हमारी सरकार के दृष्टिकोण में परिवर्तन हो गया है । पिछले मास की ५ तारीख को हम ने माननीय गृह-कार्य मंत्री से राइफल क्लब तथा वैसी ही संघों के सम्बन्ध में सरकार के दृष्टिकोण के बारे में सुना था । गैर-सरकारी संकल्प को, पश्चिम बंगाल के मेरे माननीय मित्र, जो स्वयं एक राइफ़ल क्लब के अध्यक्ष हैं, द्वारा सुझाए गए संशोधित रूप में स्वीकार करते समय, हमें सरकार से वास्तव में बड़ा ही प्रोत्साहनोत्पादक उत्तर मिला था । मुझे विश्वास है कि अब विद्रोहोत्तर ब्रिटिश शस्त्रास्त्र अधिनियम रद्द हो जायेगा तथा नया शस्त्रास्त्र अधिनियम लागू होगा । यह स्वतन्त्र भारत की भावनाओं के अनुकूल होगा और हमारे युवकों की मांग तथा बहुत से क्षेत्रों में हमारे देश की आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा ।

इससे पहिले कि मैं उन परिवर्तनों का उल्लेख करूं जिनका मैं ने विशेष रूप से प्रस्ताव दिया है, मैं सदन का ध्यान विभिन्न देशों के शस्त्रास्त्र संबंधी नियमों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । वास्तव में ऐसे बहुत से देश हैं जहां शस्त्रास्त्र रखने पर कोई प्रतिबंध नहीं है । इन देशों के अतिरिक्त, उन देशों में भी जिनका नमूना हम अपनाए हुए हैं, उदाहरणार्थ, यू० के० तथा मित्र राष्ट्र, शस्त्रास्त्र नियम हमारे नियमों की अपेक्षा कहीं अधिक सरल हैं । यह ठीक है कि हाल में इन देशों में भी कुछ प्रतिबंध लगा दिए गए हैं परन्तु यदि उनकी हमारे यहां के प्रतिबंधों से तुलना की जाये तो वे कुछ भी नहीं हैं ।

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्य को स्मरण कराना चाहता हूं कि उन्होंने पहिले ही आधा घण्टा ले लिया है । उनके अतिरिक्त अन्य माननीय सदस्य भी इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के इच्छुक हैं ।

श्री यू० सी० पटनायक : मैं दो या तीन मिनट में अपना भाषण समाप्त कर दूंगा ।

मेरा निवेदन है कि इंगलिस्तान भी, जिसको भारतीय प्रशासकों ने अपनी योजनाओं का आधार बनाया है, इतना प्रतिक्रियात्मक सिद्ध नहीं हुआ है । यहां तक कि द्वितीय महायुद्ध के बादल छा जाने के बाद, उन अधिक विनाशकारी हथियारों की दृष्टि से जिनका निर्माण हो गया था, इंगलिस्तान स्थिति में परिवर्तन करना चाहता था तो वह परिवर्तन भी ऐसा नहीं था, जैसी स्थिति हमारे देश में है । इसी प्रकार संयुक्त राज्य अमरीका की संहिता में भी—मैं शीर्षक २६, धारायें २३६१ तथा २७३३ का उल्लेख कर रहा हूं—अग्नि उगलने वाले शस्त्रास्त्र का अर्थ है :

" . . . एक शोटगन या राइफल जिसकी नाल लम्बाई में १८ इंच से कम हो या कोई और हथियार . . . . आदि ।" उन देशों में १८ या २० इंच से अधिक नाल वाले हथियारों पर शस्त्रास्त्र विधि के अन्तर्गत छूट मिलती है । कनाडा में भी ऐसा ही होता है । अतः, प्रत्येक देश में वर्तमान शस्त्रास्त्र विधियां, इसके बावजूद भी कि आजकल अधिक विनाशकारी हथियार बनाये जा रहे हैं, इतनी कठोर नहीं हैं जितनी कि हमारी हैं । इस में सन्देह नहीं कि भारत में विधियों में परिवर्तन करना अनिवार्य है ।

यह सच है कि अणु तथा उद्जन बम्बों के युद्ध के इस काल में छोटे छोटे हथियारों की बातें करना ठीक नहीं है । दूसरी ओर, राइफलों आदि हथियारों के जन प्रशिक्षण से लोगों को अपने पर एक प्रकार का स्वयं विश्वास हो जायेगा तथा आवश्यकता के समय देश की उचित रक्षा भी कर सकेंगे । दूसरी बात यह है कि इन में से कुछ हथियार पुराने हुए जा रहे हैं । यदि हमारी युद्धास्त्र निर्माण शालायें इन चीज़ों में से, जो तीन या चार वर्ष पश्चात युद्ध के काम की न रहेंगी, बहुत चीज़ों को बेच दें तो उन्हें बड़ा भारी धन प्राप्त हो जायेगा । अतः मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि हमारे दृष्टिकोण में परिवर्तन की आवश्यकता है ।

मैंने जो संशोधन रखे हैं उन में से एक अत्यंत आवश्यक है । आप नियमों के अधीन जो भी कुछ परिवर्तन करेंगे, उन्हें सदन पटल पर रख दिया जाना चाहिये । यह कानून बहुत सख्त है इस लिए इस में जो भी कुछ परिवर्तन होंगे उन्हें व्यापक प्रसिद्धि देने के हेतु संसद् क दानों सदनों के पटलों पर रख दिया जाना चाहिये ।

मैं और भी एक महत्वपूर्ण परिवर्तन चाहता हूं । मैं चाहता हूं कि कुछ श्रेणियों के लोगों पर यह अधिनियम लागू नहीं होना चाहिये; अर्थात् उन्हें हेड कान्स्टेबल के पास अथवा पुलिस चौकी में जाने की तथा उसके पश्चात् सबडिविजनल मजिस्ट्रेट आदि के पास जाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये । और ऐसे लोगों के पास जितने शस्त्रास्त्र हों उनका पंजीयन किया जाना चाहिये । इन श्रेणियों में संसद के दोनों सदनों के सदस्य, गज़ेटेड सरकारी अधिकारी, सहायक तथा छात्र सेनाओं के अधिकारी आदि आ सकते हैं । इस सदन का प्रत्येक सदस्य लगभग सात लाख लोगों का प्रतिनिधि है । गज़ेटेड सरकारी अधिकारी भी एक जिम्मेवार तथा

[श्री यू० सी० पटनायक]

विश्वसनीय व्यक्ति होता है । प्रादेशिक सेना, होम गार्ड, आदि जैसी संस्थाओं के अधिकारियों को भी यह रियायत मिलनी चाहिये ।

सरकारी मान्यता-प्राप्त राइफल संस्थाओं को भी यह रियायत दी जानी चाहिये । इस के समर्थन में स्वयं गृहकार्य मंत्री के शब्द दुहराना भी मेरे लिए पर्याप्त है । अन्य देशों में भी राइफल संस्थाओं को विशेष रियायतें दी जाती हैं ।

इन परिवर्तनों के फलस्वरूप सारे देश में छोटे शस्त्रास्त्र चलाने की कला फैल जाएगी । शस्त्रास्त्र भंडारों के माल की बिक्री होगी और हमारे खजानों में कुछ करोड़ रुपए भी इक्ट्ठे हो जाएंगे । इस से केवल व्यक्ति की ही नहीं अपितु राष्ट्र की सुरक्षा भी सुदृढ़ बन जाएगी । हम अनुभव करने लगेंगे कि हम गुलाम भारत के नहीं किन्तु स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं । सरकार को अपने नागरिकों के बारे में यह विश्वास होना चाहिये कि आंतरिक तथा बाह्य सुरक्षा में वे सदैव उसका हाथ बटायेंगे ।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि भारतीय शस्त्रास्त्र अधिनियम, १८७८ में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

श्री वल्लाथरास (पुदुकोटै) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"विधेयक पर १० जुलाई, १९५४ तक राय जानने के लिए इसे परिचालित किया जाय ।"

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे अपने भाषणों के लिए दस मिनिटों की समय मर्यादा स्वीकार करें । बहुत से सदस्य बोलना चाहते हैं और आज हमें इसे पूरा करना है ।

श्री वेंकटारमन् (तंजोर) : मैं एक औचित्य प्रश्न उठाना चाहता हूं । आयव्ययक, मांगों, आदि के विषय में समय-मर्यादा निश्चित करने की प्रथा तो यहां रही है किन्तु विधेयकों के बारे में भाषणों पर मर्यादा कभी नहीं लगाई गई ।

सभापति महोदय : इसी लिए तो मैं ने समय-मर्यादा निश्चित नहीं की । मैंने सदस्यों से केवल प्रार्थना की है ।

श्री वल्लाथरास : विषय अत्यंत महत्वपूर्ण होने के कारण इस विधेयक की चर्चा के लिए केवल डेढ़ घंटा रखना अन्यायपूर्ण होगा । मैं निवेदन करता हूं कि यह समय दो घंटों से बढ़ा दिया जाय ।

सभापति महोदय : यदि सभा समय बढ़ाना चाहती हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं किन्तु मेरी राय में आज इस विधेयक को पूरा कर लेना ही अधिक अच्छा होगा । कम से कम इस परिचालन प्रस्ताव पर आज ही मतदान हो जाना चाहिये ।

श्री वल्लाथरास : भारतीय शस्त्र अधिनियम अंग्रेजी राज का एक शोचनीय चिन्ह है जिस ने हमारे देश के सम्मान और राष्ट्रीय वीरता को कलंक लगा दिया है । यह प्रेस अधिनियम या निवारक निरोध अधिनियम से भी अधिक घृणास्पद है । गत पचहत्तर वर्षों से यह संविधि पुस्तक में

लिखा हुआ है और इस से राष्ट्र को ज़रा भी लाभ नहीं हुआ है ।

राज्य विधानमंडलों तथा संसद् के सदस्यों को तो शस्त्र रखने का अधिकार होना ही चाहिये । यह तो एक सामान्य नागरिक का अधिकार है । हम यहां सम्पूर्ण-प्रभुत्व सम्पन्न लोगों के रूप में बैठते हैं अतः हमें यह अधिकार देने में तो किसी सरकार को आपत्ति होनी ही नहीं चाहिये ।

श्री यू० सी० पटनायक ने संशोधक विधेयक के सम्बन्ध में नीति सम्बन्धी बहुत सी बातें कही थीं । किन्तु मैं यह कह सकता हूं कि इस विधेयक में तो नीति को छुआ तक नहीं गया है । इस में तो केवल यह कहा गया है कि किसी व्यक्ति के लिये संसद् या राज्य विधान मंडल अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्था का सदस्य होना शस्त्र अधिनियम से विमुक्त होने के लिए पर्याप्त है। मेरा यह कहना है कि न केवल संसद या राज्य विधानमंडलों के सदस्य ही इस से विमुक्त होने चाहियें, अपितु देश के सारे छत्तीस करोड़ नागरिक इस से विमुक्त होने चाहियें । अंग्रेज़ों ने तो अपना राज बनाये रखने के लिए केवल एक विशेष वर्ग को शस्त्र रखने की छूट दी थी । आज हमारी अपनी सरकार है । हम सब को इस बात का गर्व है कि हम ने देश को स्वतन्त्र कराया है और इस देश की स्वतन्त्रता को सदियों तक बनाए रखने के लिए लोगों को वीर बनना चाहिए ।

वर्तमान परिस्थितियों में हमें इस सारे शस्त्र अधिनियम को रद्द कर देना चाहिए और स्वयं सरकार को एक ऐसा नया अधिनियम बनाना चाहिए जिस में मनुष्य के मूल अधिकारों का ध्यान रखा गया हो । ऐसे विधेयक का सदन में स्वागत किया जायेगा । हमें अपनी प्राचीन गौरव-मय परम्पराओं को स्मरण रखना चाहिए । अंग्रेज़ों को तो इस अधिनियम से अपना स्वार्थ सिद्ध करना था । एक समय वे यह कहते थे कि देश में शान्ति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह विधि अत्यन्त आवश्यक है । क्या स्काटलैंड या इंग्लैण्ड या वेल्स में शान्ति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस की आवश्यकता नहीं थी ? वहां प्रत्येक व्यक्ति को शस्त्र रखने और लेकर चलने का जन्मसिद्ध अधिकार है । किन्तु, इस देश में किसी को भी शस्त्र रखने का अधिकार नहीं है ।

पहली चीज़ मैं यह कहना चाहता हूं कि विमुक्ति का प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए। देश के सभी नागरिकों को समान रूप से यथा सम्भव मुक्त रूप से शस्त्रास्त्र रखने का अधिकार मिलना चाहिए । शस्त्रास्त्र रखने के सम्बन्ध में कुछ प्रतिबन्ध हैं, जैसे कि सार्वजनिक सुरक्षा और शान्ति को बनाए रखना आवश्यक है । इस से मैं बिल्कुल सहमत हूं । बिना सरकार की जानकारी के कोई भी हथियार नहीं रखा जा सकता है । सरकार के पास प्रत्येक बन्दूकधारी व्यक्ति का नाम दर्ज़ होना चाहिए। इस प्रकार विद्यमान हथियारों पर प्रभावशाली रूप से नियन्त्रण रखा जा सकता है । इस के अतिरिक्त कुछ विशेष परिस्थितियों पर प्रतिबन्ध लगाये जा सकते ह । उदाहरणार्थ पागल, शराबी, क्रोधावेश में आ जाने वाले आदि जैसे व्यक्तियों को बन्दूक आदि की अनुज्ञप्तियां देने से इन्कार किया जा सकता है । इस प्रकार की कुछ परिस्थितियों को छोड़ कर अन्य दशाओं पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिए। पुलिस के द्वारा इनका पता लगाया जा

[श्री वल्लाथरास]

सकता ह । परन्तु उस के निर्णय के विरुद्ध अपील करने का अधिकार भी दिया जाना चाहिए ।

अब हमें यह देखना है कि शस्त्रास्त्रों के लिए अनुज्ञप्तियां देने के सम्बन्ध में वस्तुतः स्थिति क्या है ।

आम तौर पर सभ्रान्त व्यक्तियों को इस प्रकार की अनुज्ञप्तियां मिलने में कोई कठिनाई नहीं होती है, परन्तु यदि आप जिलाधीश से अथवा अन्य किसी ऐसे अधिकारी से, जो इस प्रकार की अनुज्ञप्तियां देता हो, जाकर यह कहें कि 'मैं एक संसद सदस्य हूं' या 'मैं राज्य विधान मंडल का एक सदस्य हूं' तो सम्बन्धित अधिकारी कदाचित आप को बिना अनुज्ञप्ति दिए ही वापस लौटा देगा । इस प्रकार यह अधिनियम चल रहा है और इसी कारण यह विधेयक पुरःस्थापित किया गया है ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि यह विधेयक स्वीकार कर लिया जाता है तो अनुज्ञप्तियों और शस्त्रास्त्रों की संख्या में काफी वृद्धि की जानी आवश्यक है । यदि यह विधेयक केवल संसद सदस्यों को ही शस्त्रास्त्र दिलाने के प्रयोजन से प्रस्तुत किया गया है, तो यह एक अजीब और भद्दी बात है । मैं ऐसे बिचार को पसन्द नहीं करता हूं । मेरा तो यह कहना है कि पंचायत परिषद, पंचायत बोर्डों, नगर पालिकाओं और प्रत्येक स्थानीय बोर्ड को इस प्रकार की रियायत दी जानी चाहिए, क्योंकि इन के सदस्यगण भी जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं । इस प्रकार मेरा अनुमान है कि लगभग ७५,००० व्यक्तियों को हथियार रखने का लाभ प्राप्त हो जायेगा ।

हम लोगों को डरपोक क्यों बनाया जा रहा है ? सरकार को यह मान लेना चाहिए कि देश के बहुत से लोगों के पास आत्मरक्षा के लिए बन्दूक आदि न होने के कारण कई व्यक्ति जंगली जानवरों के शिकार हो जाते है और फसलों को भी भारी क्षति पहुंचती है । जंगली आदम-जातियां भी इस अभाव का लाभ उठाने से नहीं चूकती हैं । फलस्वरूप बहुत से निहत्थे लोगों को अपने प्राण गंवाने पड़ते हैं । ऐसी परिस्थिति में मैं तो यह कहूंगा कि शस्त्रास्त्रों के लिए अनुज्ञप्तियां देने के सम्बन्ध में बहुत उदारता से काम लिया जाना चाहिए । इतिहास इस का साक्षी है कि प्राचीन काल में देश के लगभग प्रत्येक नागरिक को एक प्रकार का सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त करना पड़ता था और सभी अपने साथ शस्त्रास्त्र रखते थे । सारी चीज़ों को दृष्टि में रखते हुए मुझे कहना पड़ता है कि यह भय कि यदि बहुत से लोगों को बन्दूक आदि हथियार दे दिए गये तो देश में चोरी, डकैती और हत्या का बोलबाला हो जायेगा, उचित नहीं है । हमारे देश में इस प्रकार की अराजकता नहीं है, जो काबू से बाहर हो ।

मेरा निवेदन यह है कि हमारे शस्त्रास्त्र अधिनियम के पीछे जो नीति है, उस में आमूल परिवर्तन की भारी आवश्यकता है । इस अधिनियम को रद्द कर के नया अधिनियम बनाया जाना चाहिए, जिस का आधार यह हो कि कुछ प्रतिबन्धों को छोड़ कर, जो अन्य सभ्य देशों में भी हैं, प्रत्येक नागरिक को शस्त्रास्त्र रखने का अधिकार होगा । मैं यह नहीं चाहता कि हमारा नया शस्त्रास्त्र अधिनियम अन्य देशों की नक़ल मात्र हो । इसीलिए मेरा यह

विचार था कि इस को लोकमत जानने के लिए परिचालित करना अच्छा होगा। इस सम्बन्ध में मैं स्पष्ट रूप से यह बता देना चाहता हूं कि जब तक कि उन लोगों को शस्त्रास्त्र रखने का अधिकार नहीं प्राप्त हो जाता जिन का हम लोग यहां पर प्रतिनिधित्व करते हैं, तब तक हम संसद सदस्यों को किसी प्रकार की छूट नहीं मिलनी चाहिए। इस सम्बन्ध में मैं जनता की राय जानना आवश्यक समझता हूं अतः मैं समझता हूं कि लोकमत संग्रह का यह प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है और उस के बाद भली प्रकार और लाभकारी जांच पड़ताल के लिए एक प्रवर समिति इस पर विचार कर सकती है। यदि आप मेरे इस विचार से सहमत हों तो मेरा यह सुझाव है कि इस की अवधि ३१ जुलाई, १९५४ तक के लिए बढ़ाई जा सकती है।

सभापति महोदय : क्या माननीय सदस्य अपने संशोधन में तिथि को १० जुलाई, १९५४ से बदल कर ३१ जुलाई, १९५४ करना चाहते हैं।

श्री बल्लाथरास : जी हां, श्रीमान।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि विधेयक पर ३१ जुलाई, १९५४ तक राय जानने के लिए इसे परिचालित किया जाये।"

सरदार ए० एस० सहगल (विलासपुर): जो बिल माननीय उमा चरण जी पटनायक लाए हैं उसके बारे में मेरी यह राय है कि यह ज़्यादा अच्छा होगा कि हम उस को सिलेक्ट कमेटी के पास भेज दें बनिस्बत इसके कि हम आज ही उसका फैसला कर दें। यह बड़ा अहम बिल है और मैं समझता हूं कि इस पर एक दम कोई राय ज़ाहिर कर देना ठीक नहीं होगा। जो माननीय मंत्री महोदय इस के इन-चार्ज हैं वह स्वयं इस पर विचार कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि अगर यह बिल सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया जायगा तो उस पर वह भी अपनी राय दे सकेंगे और यह बतला सकते हैं कि हम उस कायदे में कहां तक संशोधन कर सकते हैं जिसके लिए हमारे माननीय मित्र इसको हाउस के सामने लाए हैं। यह सारी चीज़ें देखते हुए मैं इस बिल पर ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। लेकिन आज जब कि हमारा देश स्वतंत्र हो गया है यह बात ज़रूरी हो जाती है कि हम इस बात पर विचार करें कि जो पाबन्दियां हमारे ऊपर हथियारों के मामले में विदेशी सरकार के ज़माने में लगायी गयी थीं उन को हम कहां तक हटा सकते हैं और कानून में कहां तक संशोधन कर सकते हैं। साथ ही उन देशों से अपनी तुलना करना जो कि हम से ज़्यादा उन्नित कर चुके हैं हमारे लिए ठीक नहीं होगा। हम को अपने देश के क़ायदों से उन देशों के क़ायदों की तुलना नहीं करनी चाहिए। हां, जैसा कि हमारे मित्र ने कहा जो हमारे सार्वजनिक कार्यकर्ता हैं जैसे संसद् के सदस्य हैं धारा सभा के हैं उनको छूट मिलनी चाहिये और उनको हथियार रखने की इजाज़त होनी चाहिये, इस बात पर हमें विचार करना चाहिये। हमको यह देखना चाहिये कि जितने हमारे यहां के सदस्य हैं वह किस रास्ते पर जाते हैं उन की कार्यवाहियां क्या हैं।

[सरदार ए० एस० सहगल]

इन सब चीजों का हम को तख़मीना करना पड़ेगा । मैं नहीं समझता कि बिना इन बातों का तख़मीना किये हुए सब को लाइसेंस दे देना कहां तक ठीक होगा । इस के साथ ही साथ उन लोगों को जिन को क़त्ल वगैरह के मामलों में, डकैती या दूसरे मामलों में, काफ़ी सज़ा हो चुकी है उन को हथियार देना कहां तक ठीक होगा इस पर भी हमको विचार करना चाहिये । इन सारी चीजों को देखते हुए जो होमगार्ड इंस्ट्रक्टर्स हैं या जो डिस्ट्रिक्ट या डिवीजनल कमांडिंट्स हैं उन को हथियार देने चाहिये नेशनल केडेट कोर के जो लोग हैं उन को देने चाहिये, फ़ौज के जो बड़े बड़े अफसर हैं तथा दूसरे उच्च अधिकारी हैं उन को भी हथियार रखने की इजाजत देनी चाहिये । लेकिन इस सब को करने के लिए हमें विचार करना चाहिए वक्त भी चाहिये कि हम इन क़ायदों में कहां तक संशोधन कर सकते हैं । पहले भी यहां इन बातों पर दरियाफ्त किया गया था कि हम कितनी छूट दे सकते हैं । मालूम नहीं कि क्यों वह बातें आगे नहीं बढ़ सकीं । अब तो मैं माननीय मंत्री महोदय से यह कहूंगा कि आप इस को सिलेक्ट कमेटी में भेज कर इस पर पूरी छानबीन करके राय ले लें और इन सब चीज़ों पर विचार कर लें । इस में अगर चार छः महीने की देर भी हो जायेगी तो हम उस को बरदाश्त कर सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों पर अच्छी तरह से विचार होना चाहिये । इन शब्दों के साथ मैं अपनी तरमीम को उपस्थित करता

सभापति महोदय : माननीय सदस्य ने अपना संशोधन पढ़ कर नहीं सुनाया है । क्या वह उस को प्रस्तुत करने की कृपा करेंगे ?

सरदार ए० एस० सहगल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि विधेयक को श्री उमा चरण पटनायक, डा० राम सुभग सिंह, डा० सत्यनारायण सिन्हा, श्री अमज़द अली, श्री भागवत झा आजाद, श्री छोइथराम प्रताप राय गिडवानी, श्री गोविन्द हरि देशपाण्डे, श्री बलवंत नगेश दातार, श्री वी० बी० गांधी, श्री वासुदेव श्रीधर किरोलिकर, डा० ए० कृष्णस्वामी, श्री सतीश चन्द्र, श्री आर० वी० धुलेकर, श्री विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी, श्री मुरली मनोहर, डा० सुरेश चन्द्र, श्री लक्ष्मण सिंह चरक, श्री एन० केशवैयंगार, सरदार सुरजीत सिंह मजीठिया, श्री गिरिराज सरन सिंह तथा प्रस्तावक की एक प्रवर समिति को सौंपा जाए और उसे अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अनुदेश दिया जाये ।"

और जो माननीय मंत्री महोदय इस के इनचार्ज हैं उन के साथ यह सिलेक्ट कमेटी बनायी जाय यह मेरा प्रस्ताव है ।

सभापति महोदय : इस प्रकार उक्त दो संशोधन सदन के सामने हैं । इन के अतिरिक्त श्री भागवत झा आज़ाद और श्री केशवैयंगार के भी संशोधन हैं । दोनों एक ही से हैं, केवल नामों में अन्तर है । सरदार ए० एस० सहगल का संशोधन प्रस्तुत हुआ ।

चूंकि दूसरे संशोधन भी प्रवर समिति के ही विषय में हैं, और ऐसे ही हैं, अतः मैं उन को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दे सकता। यदि माननीय सदस्य चाहें तो बाद में उपयुक्त अवसर पर नामों में परिवर्तन कर सकते हैं। अब सदन के सामने प्रस्तुत इन दोनों संशोधनों के संबन्ध में चर्चा आरम्भ होगी।

श्री टेकचन्द (अम्बाला-शिमला) : इस विषय को सदन के विचारार्थ प्रस्तुत करने के लिए मैं श्री पटनायक की सराहना करता हूं, परन्तु साथ मुझे यह भी कहना पड़ता है कि उनका विधेयक अत्यन्त संकीर्ण है। सच तो यह है कि १८७८ का भारतीय शस्त्रास्त्र अधिनियम देश की परिवर्तित परिस्थितियों के अनुकूल नहीं रह गया है। उस में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। यह सारा अधिनियम फिर से बनाया जाना चाहिये। इस में जो प्रतिबन्ध दिये गये हैं, वे सभ्य नागरिकों की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाले हैं। इस दृष्टि से भी इस पर विचार करना आवश्यक है।

इस अधिनियम के सम्बन्ध में दो और ऐसी बातें हैं जिनकी ओर सदन का और विषेश रूप से माननीय गृह-मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। १८७८ के शस्त्रास्त्र अधिनियम में 'शस्त्रास्त्रों' और 'गोला बारूद' की जो परिभाषायें दी गई हैं उनको ज्यों का त्यों बनाये रखना हमारे लिए एक स्थायी कलंक है। उक्त परिभाषा के अनुसार 'शस्त्रास्त्र' के अन्तर्गत 'शस्त्रास्त्रों' के भाग और पुर्जे भी आ जाते हैं। इस परिभाषा के अनुसार चाकू की मूठ जैसी चीज़ भी एक शस्त्रास्त्र है। बचाव या आक्रमण की कोई भी वस्तु शस्त्रास्त्र बन जाती है। और ऐसी चीज़ों को बिना आवश्यक अनुज्ञप्ति रखने पर तीन से सात वर्ष तक के लिए कारावास के दण्ड की व्यवस्था है। निस्सन्देह यह एक अत्यन्त क्रूर और कठोर चीज है। किसी भी सभ्य देश के विधान में ऐसी चीज़ को स्थान नहीं मिलना चाहिये।

इसी प्रकार 'गोला बारूद' की परिभाषा के अन्तर्गत उस के भाग भी आ जाते हैं। उधाहरण के लिए चलाई जा चुकी गोली का खाली खोल इस के अन्तर्गत आ जाता है। और ऐसी चीज़ों तक के रख' पर कठोर दण्ड की व्यवस्था है। यह बहुत अनुचित एवं अन्यायपूर्ण बात है। ब्रिटेन के विधान के अधीन इतने कठोर दण्ड की व्यवस्था नहीं है।

ब्रिटेन और भारत में शस्त्रास्त्रों के लिये अनुज्ञप्तियां देने के जो आधारभूत सिद्धान्त हैं, वे एक दूसरे से बिलकुल भिन्न हैं। ब्रिटेन में केवल तीन प्रकार के व्यक्तियों को छोड़ कर सभी व्यक्ति शस्त्रास्त्र अपने पास रख सकते हैं और उन्हें अपने साथ ले जा सकते हैं। अपवाद केवल पागल व्यक्तियों, उग्र प्रकृति के व्यक्तियों और अन्यथा बन्दूक आदि रखने के अयोग्य व्यक्तियों के ही सम्बन्ध में है। श्री पटनायक संसद् सस्दयों को एक ऐसे प्रतिष्ठित वर्ग में रखना चाहते हैं, जिन्हें स्वतः शस्त्रास्त्र के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो जाना चाहिए। मैं इस के विरूद्ध हूं। यह दृष्टिकोण गलत है। सामान्य नियम यह होना चाहिए कि योग्य, सच्चरित्र, नियमानुकूल चलने वाले प्रत्येक नागरिक को शस्त्रास्त्र रखने और ले कर चलने का

[श्री टेकचन्द]

अधिकार होना चाहिए । अन्यथा अवांछनीय व्यक्तियों के सम्बन्ध में अपवाद होना चाहिये । इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मेरा निवेदन यह है कि हमें इस सम्बन्ध में कोई नया अधिनियम बनाने में ब्रिटेन के १९३७ के आग्नेयास्त्र अधिनियम से काफ़ी सहायता प्राप्त हो सकती है । हम अपनी परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार उस अधिनियम के उपबन्धों में परिवर्तन कर सकते हैं । शस्त्रास्त्र रखने के लिए हमें एक ऐसा विधान बनाना है जो देश की विधि और विधान के अनुरूप हो और साहस, आत्मनिर्भरता तथा विश्वास से ओत प्रोत हो ताकि काफ़ी मात्रा में होने वाली इन डकैतियों एवं चोरियों को रोका जा सके । सरकार की नीति ऐसी होनी चाहिये कि २००० से अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक गांव के मुखिया अथवा किसी भी सम्मानित व्यक्ति को शस्त्रास्त्र एवं तत्सम्बन्धी गोलाबारूद रखने का अधिकार होगा । प्राय: यह देखा गया है कि जिन गावों में दो या तीन बन्दूकें होती हैं उन गावों में डकैतियां या चोरियां अपेक्षाकृत कम होती हैं । पैप्सू तथा पंजाब के कई गांव इस उदाहरण की जीती जागती मिसालें हैं ।

निस्सन्देह यह सत्य है कि हत्यायें भी वहीं और जब ही अधिक होती हैं जब कि जनता को शस्त्रास्त्र रखने की छूट नहीं होती है । ये हत्याएं या तो चोरी किये गये हथियारों जैसे बन्दूक आदि, अथवा स्थानीय तौर पर बनाये गये हथियारों के परिणाम स्वरूप हुआ करती हैं । यदि माननीय मंत्री जी इस सम्बन्ध में पुलिस द्वारा जांच करा कर देखें तो उन्हें मेरे इस कथन की पुष्टि हो जायेगी । अनुज्ञप्ति प्राप्त हथियारों से हुई हत्याओं का उदाहरण उन्हें एक भी नहीं मिलेगा । अत: यह आवश्यक है कि प्रत्येक ग्राम में एक या दो बन्दूकें अवश्य हों । प्रत्येक ग्राम के मुखिया अथवा पटवारी का यह कर्त्तव्य होना चाहिये कि वह बन्दूक इत्यादि रखे ताकि आक्रमण के समय उसका उचित उपयोग करके आक्रान्ताओं का सामना कर सके । इस प्रकार स्थानीय झगड़ों के लिए यह सुरक्षा का सर्वश्रेष्ठ साधन होगा । अत: मेरा सुझाव है कि शस्त्रास्त्र रखने के नियमों को ढीला किया जाना चाहिये । यह वर्तमान शस्त्रास्त्र अधिनियम जनता तथा प्रशासन करने वाले कर्मचारियों के लिए उपयुक्त नहीं है ।

श्री वी० जी० देशपांडे (गुना) : सभापति महोदय, मैं श्री पटनायक के प्रस्ताव का हार्दिक समर्थन करता हूं और मेरे समर्थन करने का मुख्य कारण यह है कि सन् १८५७ के पश्चात् इस भारतवर्ष की भूमि पर जो अंग्रेज़ शासक थे, उन्होंनें यह निश्चय किया भारत की क्षात्रवृत्ति नष्ट कर दी जाय और इस हेतु उन्होंने लोगों से शस्त्र छीन लिये और शस्त्रों के रखने पर प्रतिबन्ध लगा दिया क्योंकि उन्हें यह भय और डर हो गया था कि अगर हिन्दुस्तानियों के हाथ में शस्त्र रहने दिये जायेंगे तो १८५७ की सशस्त्र क्रान्ति के प्रयत्न के पश्चात् भारत फिर अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिये प्रयत्न करेगा । लेकिन अब तो परिस्थिति बिल्कुल बदल चुकी है और मुझे यह देख कर बड़ा

आश्चर्य होता है कि आज करीब सौ वर्ष पश्चात् भारत के शासक अंग्रेज़ों द्वारा शस्त्रों पर लगाये निर्बन्ध को कायम रखे हुए हैं। कांग्रेस के पुराने प्रस्ताब जब में पढ़ता हूं और जब मैं देशभक्तों के कथन पढ़ता हूं तो पाता हूं कि इस देश के लोगों की स्वतन्त्रता प्राप्त करने की प्रबल इच्छा थी और हमारे नेताओं का यह देश की जनता के लियें नारा था कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे ले कर रहेंगे, यह प्रसिद्ध नारा स्वर्गीय लोकमान्य तिलक ने देश को दिया; इसके अतिरिक्त श्रीमती एनी बेसेंट ने कलकत्ते के कांग्रेस अधिवेशन के अवसर पर यह घोषणा की थी कि जब तक भारतवर्ष में शस्त्र धारण करने का अधिकार हर एक व्यक्ति को नहीं मिलता है तब तक इस देश के लोग दुनिया के और स्वतन्त्र देशों के बराबर स्वतन्त्रता का अनुभव नहीं कर सकते हैं। आज सौ वर्ष बीत जाने के पश्चात् हम देखते हैं कि शस्त्र निर्बन्ध क़ानून उसी प्रकार से चल रहा है। मुझे पता नहीं है कि आज के हमारे भारतीय शासकों के दिल में किस प्रकार का भय अथवा चिन्ता है जिसके कारण वह यह प्रतिबन्ध शस्त्रों पर क़ायम रखे हुए हैं। हमारे गृह मंत्री डाक्टर काटजू ने जब श्री टेक चन्द बोल रहे थे जिस भावना का परिचय दिया और हमारे सरदार सहगल जो कि शस्त्र की पूजा करने वाले हैं उनके हृदय में भी एक चिन्ता बैठी हुई है कि हमारे इस संसद् में जो सदस्य बैठे हुए हैं उनको भी हर एक को शस्त्र देना उनकी निगाह में उचित न होगा और मैं इसी कारण चाहता हूं कि लाइसेंस देना बन्द करना आवश्यक है जब कि हालत यह है कि आप के हृदय में उन चुने हुए प्रतिनिधियों के बारे में भी एक संशय और शक है जिनको कि लाखों मतदाता चुन कर यहां पर भेजते हैं और इसका तो यह मतलब हो जाता है कि आप कल आर्म्स के लाइसेंस देते वक्त यह देखेंगे कि अमुक सदस्य मेरी पोलीटिकल पार्टी का नहीं है, यह विरोधी दल का है यह देख कर आप लाइसेंस देंगे तो फिर वह बिल्कुल एक फार्स हो जाता है। मैं मानता हूं कि पटनायक साहब का जो विधेयक है वह बहुत दूर तक नहीं जाता है।

आज यह बड़े आश्चर्य की बात है कि हम लोगों का जो दुनियां को

सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत् ॥

शान्ति का सन्देश देने वाले हैं, वे भारतवासी इस विश्वास के पात्र नहीं हैं आज जब कि भारत स्वाधीन हो चुका है इंगलैंड का हर एक आदमी पिस्तौल रख सकता है, बन्दूक रख सकता है, लेकिन इतने वर्षों की अहिंसा के अनुभव के पश्चात् भी आप उन पर यह विश्वास नहीं करते और चाहे वह संसद् का सदस्य क्यों न हो शस्त्र नहीं रख सकता है। इस अविश्वास और सन्देह की भावना को ले कर आप इस देश पर राज्य कर रहे हैं। मैं तो यह बात मानता हूं कि इस देश में शस्त्र धारण करने का अधिकार अपवाद न होकर एक नियम होना चाहिये, अलबत्ता शस्त्र न धारण करने का अधिकार एक अपवाद होना चाहिये। हर एक को शस्त्र धारण करने की स्वतन्त्रता और अधिकार हो, यह उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, हां कुछ खास अपवादात्मक परिस्थितियों में जब

[श्री बी० जी० देशपांडे]

कि आप समझते हैं कि कोई इनसैनिटी से सफर कर रहा है या 'इनटेम्पेरेट' है, ऐसे लोगों को आप शस्त्र धारण करने के अधिकार से अवश्य वंचित कर सकते हैं, लेकिन आपने क्या किया है, आप तो सब लोगों को ही वंचित रखना चाहते हैं और अपवादस्वरूप किसी किसी को जिसको आप देना चाहते हैं उनको आपने शस्त्र रखने का अधिकार दे दिया है। अंग्रेज़ों के शासनकाल में कम से कम जनता जिन को चुन कर भेजती है उनको शस्त्र धारण करने का अधिकार तो था, वह भी अधिकार वर्त्तमान शासन ने ले लिया है और सरकार के इस प्रतिबंध का निषेध श्री पटनायक करना चाहते हैं। श्री पटनायक इस बात को मानने को तैयार होंगे कि यह शस्त्र पर जो प्रतिबंध है, इस प्रतिबंध को 'लूज़' होना चाहिये और शस्त्र प्रतिबंध के बारे में आपको धीरे-धीरे नीचे आना चाहिये। मैं समझता हूं कि इसमें हिंसा और अहिंसा का विवाद यहां उत्पन्न नहीं होना चाहिये और मैं तो समझता हूं कि इस देश की सरकार यह मान रही है कि अहिंसा का जो एक बड़ा तत्व चिन्तन है उसे इस देश की सरकार ने भी मान लिया है कि इस देश की सुरक्षा के लिये संगठित हिंसा पर इस देश की सरकार का विश्वास है और मैं अपनी सरकार को इस प्रकार से एक यथार्थवादी और वास्तववादी दृष्टिकोण से इस समस्या को देखने के लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। मैं देखता हूं कि ग़रीब बेचारे मज़दूर कलकत्ते के अन्दर जब रोटी मांगते हैं तो हमारे डाक्टर काटजू के सिपाही उन पर गोलियां चलाते हैं, अपनी समझ से वह उचित बात करते हैं क्योंकि वह कहते हैं कि लोगों की स्वतंत्रता रहनी चाहिये, और उसको कायम रखने के लिये पुलिस बन्दूक चलाती है। ठीक बात है, ग़रीब बेचारे शिक्षक खाने को रोटी मांगते हैं और कई लोग ट्रामों का फ़ेयर कम कराना चाहते हैं और उन लोगों के खिलाफ भी हमारी सरकार गोलियां चलाती हैं। मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं मेरे कांग्रेस के मित्र मेरे इस कथन पर कुछ अस्वस्थ से प्रतीत हो रहे हैं। काटजू साहब की दलील दलील के लिये मानी जा सकती है कि जब कोई लोग भले ही किसी अच्छे काम के लिये क्यों न हो, लोगों की शान्ति भंग कर रहे हैं तो उस हालत में हमारी पुलिस उन पर गोली चला सकती है। मैं समझता हूं कि इसमें हिंसा और अहिंसा का वादविवाद नहीं आना चाहिये और आज हम दुनिया में जो कुछ देख रहे हैं, एटम बम और हाइड्रोजन बम देखने के पश्चात् हम इस नतीजे पर पहुंच गये हैं कि यह जीवन स्वयं एक महान् संघर्ष है और इस संघर्षमय जीवन में जो सबल होता है जिसके शस्त्र ज्यादा प्रभावशाली होते हैं और परिणामशाली होते हैं उसकी विजय होती है। हमने देखा कि धनुष के पश्चात् तलवार आई, तलवार के पश्चात् बन्दूक आई और बन्दूक के बाद तोप का आविष्कार हुआ और तोप के पश्चात् आप देखते हैं कि आज के युग में एटम बम, हाइड्रोजन बम, नाइट्रोजन बम हमारे सामने आ रहे हैं और इससे यही सिद्ध होता है कि विजय उसी की होती है जिसके शस्त्र अपने बेरी से ज्यादा प्रबल होते हैं और दुनिया में यह देखने के पश्चात् हमारी सरकार का शस्त्र पर फिर विश्वास बैठ रहा है। इसके अलावा मैं जो इस शस्त्र प्रतिबंध को ढीला कराना चाहता हूं और ठीक कराना चाहता हूं उसका मुख्य कारण

यह है कि इस शस्त्र प्रतिबंध का ही यह परिणाम होता है कि जो शान्तिप्रिय नागरिक हैं और क़ानून को मानने वाले हैं उनके संग अन्याय होता है और इसके विरुद्ध वे लोग जो क़ानून को मान कर चलना नहीं चाहते हैं जो दुर्गुणी हैं जो आक्रमण करना चाहते हैं जो डाकू, लुटेरे अथवा हत्यारे हैं उन लोगों को फ़ायदा पहुंचता है और जो शान्तिप्रिय और सद्गुणी नागरिक हैं उनके लिये हम देखते हैं कि यह सब बातें चल रही हैं कि मुझसे कोई कह रहा था मुझे पता नहीं वह कहता था कि यह संसद के पांच सौ मेम्बरों को शस्त्र रखने का अधिकार देने से बड़े खतरनाक नतीजे सामने आ सकते हैं, क्योंकि यहां पर कुछ ऐसे दल हो सकते हैं जो उत्पातों में विश्वास करते हैं। क्या आप ऐसे लोगों के हाथ में शस्त्र देना चाहते हैं ? लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या जो उत्पात करने वाले लोग हैं उनके पास शस्त्र आलरेडी मौजूद नहीं हैं ? क्या आप ऐसे लोगों से शस्त्र ले सके हैं ? मैं देखता हूं कि उत्पात करने वालों को शस्त्र बिना लाइसेंस मिल रहे हैं और जो लोग उनसे बचना चाहते हैं उनको आप शस्त्र दे नहीं रहे हैं। हमारे डाक्टर काटजू जो गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश से आते हैं, मैं भी मध्य प्रदेश से आता हूं और आज वहां बड़ी अव्यवस्था फैली हुई है और हम देख रहे हैं कि लोगों के जीवन की रक्षा का कार्य हमारी सरकार पूरा नहीं कर पा रही है। मैंने देखा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र ग्वालियर की जो कोलारस तहसील है वहां पुलिस थाने पर डाकू लोग पुलिस को मार कर स्टेनगन ले गये, डाकू लोग हथियारबंध थे, उनके पास हथियार रखने का लाइसेंस नहीं था।

जहां तक डाकुओं का सम्बन्ध है उनके पास स्टेनगन और सब प्रकार की बन्दूकें और हथियार हैं लेकिन उनसे बचाव करने के लिए लोगों को हथियार देने में खतरा अनुभव किया जाता है। डाकुओं के पास तो आधुनिक शस्त्रास्त्र हैं और उनसे बचाव करने के लिए हमारी सरकार सामने नहीं आती है। गुना जिले के लापचोरा गांव का एक आदमी यहां आया था जिसके अंग पर ७० ज़ख्म थे। मैं उसको डाक्टर काटजू के पास ले गया। उसके यहां ८०,००० रुपये से ऊपर की चोरी हुई थी। मैं स्वयं लापचोरा गांव में गया और मैंने वहां जा कर देखा कि वहां पर किसी के पास हथियार नहीं हैं। यह अवस्था हो रही है कि देहातों में लोग नहीं रह सकते और इसका परिणाम यह हो रहा है कि वह गांवों को छोड़ कर शहरों में आ रहे हैं। उस जिले में बहुत आतंक हो रहा है। आज जो विधेयक आया है उसके द्वारा हम यह मांग करते हैं कि इस देश के अन्दर अपने संरक्षण के लिए जो चरित्रवान लोग हैं उनके हाथ में शस्त्र दो। आपके इस निर्बन्ध का परिणाम यही हुआ है कि जो लूटेरे हैं उनको तो शस्त्र लेने के लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है पर जो अच्छे लोग हैं वह हथियार नहीं रख पाते हैं।

इसके अतिरिक्त एक बात और है। आज अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण हमारे देश में संकट की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। इसलिये भी आपको शस्त्र निर्बन्ध को उदार करना चाहिये। मैं जानता हूं कि एटम बम और हाइड्रोजन बम के सामने हम बन्दूक और पिस्तौल से लड़ाई नहीं कर सकते। यह समझने के लिए कोई बहुत बुद्धिमत्ता की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने पीछे भी कहा देश के अन्दर लड़ाई होने पर एटम बम और हाइड्रोजन

[श्री वी० जी० देशपांडे]

बम के होते हुए भी इन शस्त्रों का मूल्य कम होने वाला नहीं है। बन्दूक और पिस्तौल तो क्या, खुखड़ी तक का आखिर तक उपयोग हो सकता है। इन सब चीजों का अपना अपना स्थान है। तो इस दृष्टि से ही शस्त्रों का मूल्य कम होने वाला नहीं है। इसी कारण मैं खास कर कहता हूं कि जो हमारे सीमावर्ती प्रान्त हैं जैसे कि पंजाब और बंगाल वहां के लोगों को बन्दूकें और बाकी शस्त्र देने चाहियें और उनको शिक्षा देनी चाहिये। इन दृष्टियों से मैं अपने गृह मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह स्वयं खड़े होकर यह बतायें कि यह विधेयक पूरा नहीं है और हम इस विधेयक को ज्यादा लिबरल बना कर इस देश में लायेंगे और शस्त्र निर्बन्ध को समाप्त करेंगे और अपवादों को छोड़ कर शेष लोगों को शस्त्र धारण करने का अधिकार केवल रजिस्ट्रेशन द्वारा सरकार मान्य करेगी। यही आशा करके मैं इस बिल के तत्व को मान्यता देता हूं।

श्री रघुरामय्या (तेनालि) : विधेयक के मुख्य सिद्धान्तों से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं। मैं इस भारतीय शस्त्रास्त्र अधिनियम को संविधि पुस्तक का बहुत ही हेय विधान समझता हूं। इस भारतीय शस्त्रास्त्र अधिनियम को आधार भित्ति अविश्वास एवं संदेह है। इसका इतिहास पुराना है। इसका उद्देश्य हम में आपस में परस्पर विरोध उत्पन्न कराना था। इसका उद्देश्य स्पष्टतः तथा निष्पक्ष रूप से देश के प्रत्येक व्यक्ति को निहत्था बनाना और जनता को ब्रिटिश राज्य के लिए उपयुक्त बनाना था। यही उसका मुख्य उद्देश्य था। इसका ध्येय कभी भी यह नहीं था कि हम लोग इतने नासमझ हैं कि जैसे ही हथियार हमारे पास आयेंगे हम एक दूसरे की हत्या करने लगेंगे। हम सभ्य नागरिक हैं और हम में उत्तरदायित्व की भावना है। इस अधिनियम को बनाने में ब्रिटिश सत्ता का उद्देश्य चाहे कुछ भी रहा हो किन्तु माननीय गृहकार्य मंत्री से मेरा यह अनुरोध है कि इस अधिनियम पर विचार करने के लिए वह एक समिति बनायें और इस पर विचार करें कि यह संशोधन इस अधिनियम के लिए कहां तक आवश्यक है। हैदराबाद की ओर प्रायः ऐसा होता है कि एक व्यक्ति बन्दूक लेकर गांव में घुस जाता है और वहां के निवासियों को डरा धमका कर लूट मार कर भाग जाता है। यदि वहां के सम्मानित व्यक्तियों के पास हथियार होते तो ऐसा होना कभी संभव नहीं था।

प्रतिदिन हमें यह अनुभव होता है और इस बात की आवश्यकता बढ़ती जा रही है कि जनता में स्वरक्षा की भावना बढ़े, और वह बढ़ रही है। पाकिस्तान को दी जाने वाली अमरीकी सहायता ने एक समस्या खड़ी कर दी है। देश की सैनिक शक्ति के बारे में आप को विचार करना होगा। अपनी रक्षा के लिए देश को तैयार करना होगा। आज हम स्वतंत्र हैं—हमें तो केवल अपनी शक्ति पर ही निर्भर रहना होगा। अतः स्वरक्षा की भावना को विकसित करना होगा और यह तभी हो सकता है जब कि हम शस्त्रास्त्रों से डरना छोड़ दें। भारत के प्राचीन इतिहास को देखिये जहां के स्त्री पुरुष इतने साहसी और लड़ाकू हुआ करते थे किन्तु आज तो बड़ी से बड़ी भीड़ खाली एक छोटी सी पिस्तौल से ही डर जाती है। जनता की मनोवैज्ञानिक भावना में सुधार करना है।

मेरा निवेदन है कि अब वह समय आ गया है जब कि शस्त्रास्त्र रखना प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार होना चाहिये। क्या शस्त्र, किस प्रकार का शस्त्र एवं किस नियम के अधीन वह शस्त्र रखे इस पर गम्भीरता के साथ हमें विचार करना होगा। यह बात तो निश्चय ही ठीक है कि प्रत्येक व्यक्ति जो भी शस्त्र रखता है उसका वह पंजीयन कराये। जनता, समाज, तथा देश के हित की दृष्टि को ध्यान में रख कर ही उसे उस शस्त्र सम्बन्धी गोली बारुद रखने के नियम का स्वागत करना चाहिये। इस प्रकार का प्रतिबन्ध होना चाहिये। अतः माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि वह इस मामले पर पुनर्विचार करे और इसकी जांच करने के लिये एक समिति की नियुक्ति करें जो स्वतन्त्रता, संसार की वर्तमान स्थिति, एवं अपने देश की स्थिति को ध्यान में रख कर इस अधिनियम को संशोधित करने के प्रश्न पर विचार करे।

संसद् सदस्य, विधान सभाई सदस्य, तथा पंचायत बोर्ड के सदस्यों के शस्त्रास्त्र रखने का प्रश्न नहीं है अपितु प्रश्न तो व्यक्ति के भरोसे, विश्वास एवं उस के दायित्व का है। अतः शस्त्रास्त्र रखने के आधार की भी यही विशेषतायें होनी चाहियें। प्रवर समिति इस प्रश्न की तह तक में जा सकती हैं और इन विशेषताओं के अतिरिक्त और भी आवश्यक विशेषतायें निर्धारित कर सकती है। यदि माननीय मंत्री इस बात का आश्वासन नहीं दे सकते हैं कि भारत सरकार इस पर विचार करेगी तो फिर मैं यही निवेदन करूंगा कि यह मामला प्रवर समिति को सौंप दिया जाय।

श्री केशवैयंगार (बंगलौर उत्तर): सभापति महोदय, मुझे हिन्दी मालूम नहीं, मैं अभी हिन्दी का विद्यार्थी हूं, इस लिये मेरे इस पहले भाषण में जो गलतियां होंगी, उन के लिये मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं।

मैं वर्तमान प्रस्ताव के प्रेरक महोदय को हार्दिक बधाई देता हूं। यह प्रस्ताव तो हमारी सरकार को ही पेश करना चाहिये था। उसकी तरफ से इस प्रस्ताव के न आने से मुझे शक होता है कि हमारे स्वतंत्र भारत में यह सरकार देशी है या नहीं है। इस ऐक्ट का जन्म तो एक अद्भुत वातावरण में हुआ था मैं आप लोगों को आज से १०० वर्ष पीछे ले जाना चाहता हूं। आप घबराइये नहीं, हम वहां से वापस भी आ जायेंगे। उन दिनों हमारा देश विदेशियों के अधीन था। हमारे देशवासियों ने उन विदेशियों के विरुद्ध आन्दोलन मचाया। विदेशियों ने इस आन्दोलन को दबाने के लिये इस ऐक्ट को बनाया था। मुझे पता है कि उन विदेशियों के हमारे देश से भागने के बाद रातो रात ही हमारे देश का पुनरुद्धार नहीं हो सका। फिर भी आज हमारी पालिसी 'गो स्लो' की पालिसी है। हर एक विभाग के परिवर्तन में यह 'गो स्लो' पालिसी अच्छी नहीं लगती है।

हमारे स्वतन्त्र होने के बाद इस ऐक्ट को अपने स्टैट्यूट बुक में, जैसा कि वह आज है, उसी तरह स्थान देना बहुत शर्म की बात है। अब तो यह नहीं होना चाहिये कि इस ऐक्ट को इसी तरह रहने दिया जाय। इसका सुधार होना चाहिये। सिर्फ आप की 'गो स्लो' पालिसी की वजह से यह ठीक नहीं हो पाया है। मेरा अभिप्राय यह है कि या तो इस ऐक्ट को सुधार दिया जाय या फिर इस को स्टेट्यूट बूक से बिल्कुल मिटा दिया जाय।

[श्री केशवैयंगार]

जो ऐमेन्डमेन्ट्स हमारे मित्रों ने पेश किये हैं उन में कोई हानि नहीं है ।

क्या आप अपने प्रजा के प्रतिनिधियों का विश्वास नहीं करेंगे ? यहां तक कि ब्रिटिश सरकार भी ऐसे प्रतिनिधियों पर विश्वास करती थी जो सच्चे प्रतिनिधि नहीं थे । क्या आप के विचार में वे लोग गैरजिम्मेदार हैं ? क्या आप यह भूल गये हैं कि महात्मा ने हमें धूल से मनुष्य बनाया है, क्या उन्होंने हमें निडर होना नहीं सिखाया ? क्या कांग्रेस के सिवा अन्य पार्टी वालों को बन्दूक देने में आप को डर लगता है ? क्या वे भी हमारी तरह देशभक्त नहीं हैं ? क्या आप कम्युनिस्ट मेम्बरों से डरते हैं जो कि अहिंसात्मक रहने की घोषणा करके अपने हथियार छिपा कर रखते हैं ? हमारे देश में उनका जीवन बहुत थोड़े काल का है । अगर आप एक नम्बियार को बन्दूक देते हैं और वे एक केशवैयंगार को गोली मार देते हैं तो इससे क्या बिगड़ता है ? क्या इस प्रस्ताव के ऐमेन्डमेन्ट्स छिपी हुई बन्दूकों को और हथियारों को बाहर नहीं निकालेंगे ? फ़िलहाल हमारे मुल्क की क्या हालत है ? मेरे ख्याल से अब हमारे देश के हर एक सिटिजन को एक सोल्जर बनाया जाय, हर एक आदमी, स्त्री, पुरुष, बूढ़ा, जवान, बन्दूक चलाना जाने । इससे भी अधिक जन प्रतिनिधियों के लिए जरूरी है कि उनके पास बन्दूक हो और वे उसको अच्छी तरह से चलाना भी जान सकें । आम तौर से हम हिन्दुस्तानी ज़ोखिम उठाने में बहुत पीछे पड़े ह । अपने जीवन के सम्बन्ध में भी हम अभी लकीर के फकीर बने पड़े हैं । मुझे शर्म लगती है कहने में जो कि मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं । यह लोकसभा भारत में सब से ऊंची सभा है । हम लोग इस ऊंची सभा के सदस्य हैं । वर्तमान सरकार तो क्या कोई भी सरकार हो, वह इस लोकसभा के अधीन है । मगर वास्तव में हमारा स्थान क्या है ? सरकारी अफसरों और नौकरों के लिये भी एक राइफिल क्लब मौजूद है । उनके उपयोग के लिये सरकार ने ६ बन्दूकें उधार दी हैं । इसी तरह आपके पार्लियामेंट के सदस्यों के लिये भी राइफिल क्लब मौजूद है । लेकिन जैसे सरकार आफिसरों के राइफिल क्लब के लिये बन्दूकें उधार देती है वैसे आप के क्लब को उधार नहीं दे सकती । आप के क्लब के लिये जब हमारी सरकार की सहायता की हालत यह है, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश के अन्य और सरकारी सदस्यों को क्या सहायता मिल सकेगी ।

इस तरह से यह प्रस्ताव बहुत जरूरी है, इस लिये इस प्रस्ताव के सिलेक्ट कमेटी में भेजने के लिये मैं आपसे प्रार्थना करता हूं । बड़ी मुश्किल से मैं ने इतना हिन्दी में कहा है । मैं इतना ही चाहता हूं कि आप इस को सिलेक्ट कमेटी के पास जरूर भेज दें ।

आप ने मुझे बोलने का जो अवसर दिया, उसके लिये बहुत धन्यवाद ।

श्री साधन गुप्त (कलकत्ता—दक्षिण पूर्व) : विधेयक का वैसे तो मैं समर्थन करता हूं किन्तु मेरा निवेदन है कि यह विधेयक अपर्याप्त एवं व्यापक नहीं है । भारतीय शस्त्रास्त्र अधिनियम सम्पूर्ण रूप से एवं भावना की दृष्टि से प्रतिक्रियावाद है । इसके कुछ उपबन्धों को ठीक करके आप इस अधिनियम को प्रगतिशील नहीं

बना सकते हैं । यह अधिनियम हमारे प्रतिरोध की भावना को रोकने के लिये ही नहीं अपितु हमारी भावनाओं को कुचलने के लिये बनाया गया था और यही कारण था कि यहां की जनता को शस्त्रास्त्रों को रखने की आज्ञा नहीं दी गई थी ।

दोनों पक्षों के सदस्यों ने इस बात पर खेद प्रकट किया है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भी इस अधिनियम को संविधि पुस्तक में ज्यों का त्यों रहने दिया गया है । किन्तु मुझे इसका कोई आश्चर्य नहीं है क्योंकि ब्रिटिश सरकार यहां की जनता का विश्वास नहीं करती थी और यही बात हमारी इस वर्तमान सरकार की है ।

कलकत्ता में जब वहां की जनता यह कह रही थी कि यदि ब्रिटिश ट्रामों ने अपने भाड़े में कमी नहीं की तो वे उन ट्रामों में यात्रा नहीं करेंगे, केवल इसी प्रचार के लिये जनता को जेलों में ढूंसा गया, गोलियों से उड़ाया गया, उस पर लाठियों की वर्षा की गई और उन्हें निवारक निरोध अधिनियम के अधीन रोका गया । आप इस प्रकार की नीति नहीं अपना सकते हैं । शस्त्रास्त्र रखने की छूट विधान सभाइयों से ले ली गई है और भूतपूर्व शासकों, उनके उत्तराधिकारियों, उनके पुत्रों, सम्बन्धियों और उनके कर्मचारियों तक को दी गई है । आज की सरकार के यही मित्र हैं जनता तो उसकी शत्रु है । यही बात तो इस मामले की मूलभूत एवं वास्तविक जड़ है । इसके बारे में श्री यू० सी० पटनायक ने कुछ भी नहीं कहा है ।

मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि शस्त्रास्त्र रखने की छूट न केवल विधान सभाई सदस्यों को दी जाय अपितु जितनी भी निर्वाचित संस्थायें हैं उनके सभी निर्वाचित सदस्यों को दी जाय क्योंकि उन सभी के प्रति जनता ने अपने विश्वास का प्रदर्शन किया है । अतः यदि यह सम्भव नहीं है कि सभी को शस्त्रास्त्र रखने की अनुमति दी जाय तो मैं इसमें भी विश्वास करता हूं कि अच्छी बात है विधान सभाई सदस्यों को ही दे दी जाय । बिल्कुल न मिलने से कुछ को मिले यह भी अच्छा है । यह काफ़ी तो नहीं है किन्तु आज जो कुछ भी मिलता है उस दृष्टि से यह अच्छा है ।

इसी लिये मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । हम यह जानते हैं कि प्रवर समिति के पास भेज कर तथा गृह कार्य मंत्री को अपने विचार प्रकट करने का अवसर देकर हम किसी प्रकार का सुधार नहीं कर सकते हैं । इस प्रकार छूट का दायरा हम नहीं बढ़ा सकते हैं । जहां तक जनमत का प्रश्न है हम भली भांति जानते हैं कि इसके लिये समय नष्ट करने से कोई लाभ नहीं है क्योंकि जो कुछ सदन में कहा गया है वही जनमत भी होगा ।

जनमत का आदर करने के लिये तथा जनतंत्र को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार को चाहिये कि शीघ्र ही वर्तमान शस्त्रास्त्र विधेयक को समाप्त करने वाला तथा बहुत आवश्यक संरक्षणों के साथ प्रत्येक व्यक्ति को शस्त्र रखने का अधिकार देने वाला, एक विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत करे ।

माननीय गृह-कार्य मंत्री ने कहा है कि शस्त्रास्त्र विधेयक के हटा लेने से क़त्ल आदि होने लगेंगे । यह तो केवल

[श्री साधन गुप्त]

एक बहाना मात्र है जिस का प्रयोग इस प्रतिक्रियावादी उपबन्ध को विधान के रूप में बनाये रखने के लिये किया जाता है। हम देखते हैं कि जिसको कत्ल करना होता है या जितने क़त्ल होते हैं उन में सदा ही बिना लाइसेंस के शस्त्रों का प्रयोग होता है। विधि तथा व्यवस्था वाला बहाना भी पर्याप्त नहीं है क्योंकि जो चोर डकैत हैं उन्हें तो बिना लाइसेंस के शस्त्र प्राप्त करने में कोई कठिनाई होती नहीं है, कठिनाई तो उन के लिये है जिन के यहां डाका डाला जाता है क्योंकि उन के पास शस्त्र नहीं होते हैं इस प्रकार का विधान तो चोरों तथा डकैतों को ही सहायता पहुंचाता है।

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं तथा इस के परिचालन तथा प्रवर समिति को सौंपे जाने के प्रस्ताव का विरोध करता हूं क्योंकि यद्यपि यह विधेयक संतोषजनक नहीं है, फिर भी जल्दी से जल्दी कुछ न कुछ करना आवश्यक है।

डा० काटजू: जो भाषण सदन में दिये गये हैं उन पर मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ है। वास्तव में १८७२ का भारतीय शस्त्रास्त्र अधिनियम हम सब के दिमाग़ में विदेशी शासन के साथ सम्बद्ध है। हम जानते हैं कि विदेशियों ने यह अधिनियम हमारे देश के लाभ के लिये नहीं वरन अपने शासन को सुरक्षित बनाये रखने के लिये बनाया था। इसलिये मैं इस बात से सहमत हूं कि यह अधिनियम अत्यन्त घृणित है तथा इस पर पुनर्विचार तथा पुनर्निरीक्षण करने की आवश्यकता है। आवश्यकता तो इस बात की है कि हमारी राष्ट्रीय आवश्यकताओं तथा परिस्थितियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, तथा इस बात का ध्यान रखते हुए कि एक ओर तो प्रत्येक नागरिक को स्वयं अपनी रक्षा करने का अवसर देना आवश्यक है तथा दूसरी ओर यह भी आवश्यक है कि शान्ति भंग न होने पावे--इन सारी बातों का ध्यान करते हुए संसद् एक विधान तय्यार करे जिससे जनता अनुभव करे कि यह विधान हमारा ही बनाया हुआ है तथा जो प्रतिबन्ध हैं वह हमने स्वयं ही अपने ऊपर समझ बूझ कर लगाये हैं। मेरे माननीय मित्र ने कहा कि क़त्ल करने वाले, डाका डालने वाले, राईफ़िलें चुरा लेते हैं या उन के पास अवैध रूप से तय्यार की हुई राइफ़िलें होती हैं। इस सम्बन्ध में मैं कोई बहस नहीं करना चाहता हूं। मैं केवल उदाहरण के रूप में बताता हूं कि पंजाब में सीमा के निकट सेना की ओर से जनता को कुछ राइफिलें बांट दी गई हैं। अकसर झगड़ा होता है, कोई आदमी दूसरे की राइफ़िल छीन लेता है और उसे गोली का निशाना बना देता है। मैं यह नहीं कहता हूं कि राइफ़िल न होती तो वह क़त्ल न करता। हो सकता है उसने यही काम कृपाण, तलवार या कटार से किया होता। परन्तु राइफ़िल चूंकि उसे सहज में ही मिल गई इस लिये उस ने राइफ़िल का प्रयोग किया।

वास्तव में देखा जाये तो यह एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक समस्या भीहै। इस शस्त्रास्त्र अधिनियम के अनेकों उपबंध ऐसे हैं कि हम उन के गुणावगुण पर भी विचार करने को तय्यार नहीं हैं।

मैं आशा करता हूं कि श्री पटनायक मुझे समझने में भूल नहीं करेंगे यदि मैं

कहूं कि इस विधेयक से यह समस्या हल नहीं होती है। उदाहरण के लिये इस का एक उपबंध है कि प्रत्येक संसद् सदस्य को शस्त्र दिये जायें। हम सब वर्गहीन तथा वर्गहीन समाज स्थापित करने के लिये प्रयत्न कर रहे हैं। परन्तु मेरे माननीय मित्र उस में अपना एक नया वर्ग बढ़ा कर वर्गों की संख्या बढा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जो विधेयक बने वह भारतीय नागरिक के दृष्टिकोण से तय्यार किया जाये। भारत के प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार होने चाहियें। केवल संसद् सदस्य ग्राम पंचायत सदस्य अथवा ज़िला बोर्ड सदस्य होने से ही किसी को शस्त्र रखने का अधिकार हो ऐसा नहीं होना चाहिये।

दूसरी समस्या यह है कि शस्त्रास्त्र अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों को किस प्रकार बदला जाना चाहिये। इस का प्रचार मात्र पर्याप्त नहीं है। प्रचार का तरीका यही है कि गज़ट आफ़ इण्डिया (भारत सरकार के सूचना-पत्र) में प्रकाशित करा दिया जाये। परन्तु मेरे माननीय मित्र का सुझाव है कि इन को सदन पटल पर रख दिया जाये। उसके बाद वे कहते हैं कि आपत् काल में यदि शस्त्र छीन लिये जायें तो उस के लिये कुछ किया जाना चाहिये। मैं उन के विचारों से सहमत हूं परन्तु उन का ढंग बहुत लापरवाही का है। यह काम बहुत अच्छी तरह से करने का है। विधि तथा व्यवस्था का उत्तरदायित्व सब से पहले तो राज्य सरकारों पर है। इस लिये इस का उचित ढंग यह होना चाहिये कि इस विधेयक को पहले राज्य सरकारों के पास भेजा जा और मैं उन को लिख दूंगा कि वह आदि से अन्त तक इस सारी समस्या पर अपना परामर्श दें। मैं चाहता यह हूं इस देश का साधारण से साधारण व्यक्ति भी यह अनुभव करे कि यह उसका अपना देश है, इस देश की शांति तथा सुरक्षा को वह अपना ही कर्त्तव्य समझे। इसलिए मैं चाहता हूं कि राज्य सरकारें इस विधेयक के ढांचे तक ही अपने को सीमित न रखें वरन् वर्तमान मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों तथा आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए इस सारी समस्या पर विचार करके शस्त्रास्त्र अधिनियम के संपूर्ण विषय पर अपने परामर्श भेजें। किसी ने इस सम्बन्ध में कम्यूनिस्टों का नाम लिया था। मैं कम्यूनिस्टों को महान देशभक्त समझता हूं और आशा करता हूं कि वह भी मुझे ऐसा ही समझते होंगे। मुझे कम्यूनिस्टों की ओर से कोई भय नहीं है। इसलिए मेरा विचार है कि सदन के सामने जो दो संशोधन रखे गये हैं उनमें से पहला अधिक अच्छा है, जिस का तात्पर्य यह है कि विधेयक को जन मत ज्ञात करने के लिए परिचालित किया जाय क्योंकि यह बहुत ही महत्व-पूर्ण मामला है। इस प्रकार हम इंगलैंड तथा अमरीका के अधिनियमों पर विचार करेंगे और जो मनोवैज्ञानिक अड़चन है उसे दूर करने का प्रयत्न करेंगे। इस लिए मेरा विचार है कि इस संशोधन को स्वीकार कर लिया जाय।

मैं यह भी चाहता हूं कि इसके लिए जो समय दिया गया है वह भी बढ़ा दिया जाये। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य, जिन्होंने इस के लिए ३१ जुलाई, १९५४ निर्धारित की है, ३१ जुलाई के स्थान पर ३१ अगस्त करने पर तैयार हो जायेंगे।

श्री यू० सी० पटनायक : मैं यह पहले ही निवेदन कर देना चाहता हूं कि मैं इस बात का दावा नहीं करता हूं कि मेरे सुझाव इस समस्या पर अन्तिम वाक्य हैं। मैं ने तो केवल कुछ परिवर्तनों के सुझाव उपस्थित किये थे जिससे कि यह कार्य आरम्भ हो जाये और इस समस्या के शीघ्र हल किये जाने की आवश्यकता पर ध्यान दिया जाये। परन्तु माननीय गृह कार्य मन्त्री ने इस सम्बन्ध में शीघ्र उपाय किये जाने की आवश्यकता पर ध्यान नहीं दिया है। आज की परिस्थिति को देखते हुए यदि शस्त्रास्त्र अधिनियम में शीघ्र ही कुछ परिवर्तन कर दिये जाते तो जनता में उत्साह उत्पन्न हो जाता और हमें जनता का सहयोग तथा आगे आने वाले अधिक व्यापक विधान के प्रति जनता का समर्थन मिलता। मैं समझता हूं कि इस विधेयक के उपबन्धों का सुधार करने के लिए तथा शस्त्रास्त्र अधिनियम के कुछ उपबन्धों में शीघ्र ही परिवर्तन करने के लिए माननीय गृह कार्य मन्त्री के सभापतित्व एक प्रवर समिति बना दी जाती। फिर भी मैं सदन पर छोड़ता हूं कि इसका जो चाहे निर्णय करे। मैं गृह कार्य मन्त्री के इस सुझाव से सहमत हूं कि परामर्श सम्पूर्ण शस्त्रास्त्र अधिनियम के सम्बन्ध में भेजा जाये जिससे कि हम इसे अन्य देशों के अधिनियमों के अनुकूल बना सकें अथवा इसके उपबन्धों को और अधिक उदार बना सकें।

सभापति महोदय : माननीय गृह कार्य मन्त्री ने सुझाव दिया है कि इस संशोधन में ३१ जुलाई के स्थान पर ३१ अगस्त कर दिया जाये। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इस संशोधन को स्वीकार करेंगे।

श्री वल्लाथरास : मैं स्वीकार करता हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि विधेयक पर ३१ अगस्त, १९५४ तक राय जानने के लिए इसे परिचालित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : ७-२० म० प० हो चुके हैं।

सभापति महोदय : परन्तु यह अधिसूचित कर दिया गया था कि सदन की बैठक ७-३० म० प० तक होगी। मैं देखता हूं कि कोरम पूरा नहीं है और बिना उसके काम नहीं चल सकता है।

श्री नम्बियार : अब कुछ मंत्रीगण आ रहे हैं।

सभापति महोदय : इतनी देर प्रतीक्षा करने के बाद भी कोरम पूरा नहीं हुआ है इसलिये मैं कल दो बजे तक के लिए सदन की बैठक स्थगित करता हूं।

इसके पश्चात् सभा, सोमवार, १२ अप्रैल, १९५४ के दो बजे तक के लिये स्थगित हुई।